नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

ठेका संबंधी सामान्य षर्तें
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के क्रियान्वयन के लिए

विशय सूची
ठेका संबंधी सामान्य षर्तें

क्रम सं.	विवरण
(I)	विशय सूची
(II)	निविदा जमा करना
	अनुभाग I (ठेका संबंधी सामान्य षर्तें)
1.0	षब्दों की परिभाशा
	अनुभाग II (सामान्य सूचना)
2.0	सामान्य सूचना
2.1 (क)	साइट के स्थान
2.1 (ख)	सड़क से पहुंच
2.2	कार्य क्षेत्र की सीमा
2.3	जलापूर्ति
2.4	बिजली आपूर्ति
2.5	ठेकेदार के क्षेत्र कार्यालय, गोदाम एवं कार्यषाला की जमीन
2.6	आवासीय व्यवस्था हेतु भूमि
	अनुभाग III (निविदाकर्ताओं हेतु सामान्य निर्देष)
3.0	निविदा जमा करना
4.0	दस्तावेज़
4.1	सामान्य
4.2	सभी पृश्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर
4.3	दरें अंकों एवं षब्दों में हों
4.4	षुद्ध करना एवं मिटाना
4.5	निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
4.6	गवाह
4.7	अनुभव के विवरण
5.0	निविदा दस्तावेज़ों का हस्तांतरण
6.0	अग्रिम राषि
7.0	मान्यता
8.0	परिषिश्ट / षुद्धिपत्र
9.0	स्वामी द्वारा निविदा स्वकार या अस्वीकार करने का अधिकार
10.0	सुरक्षा जमा
11.0	समय सारणी
12.0	आंकड़ा संग्रह : निविदाकर्ता का दायित्व
13.0	सेवानिवृत्त सरकारी या कम्पनी अधिकारी

14.0 ठेका संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर
15.0 प्रभारी अभियंता द्वारा क्षेत्र प्रबंधन
16.0 दर तालिका की टिप्पणी
17.0 निविदाकर्ताओं के लिए विचाराधीन नीति
18.0 ठेका देना
19.0 निविदा दस्तावेज़ संबंधी स्पश्टीकरण
20.0 स्थानीय परिस्थिति
21.0 असाधारण दरें
अनुभाग–प्ट (सामान्य दायत्वि)
22.0 ठेका संबंधी दस्तावेज़ों की व्याख्या
22.1 सामान्य
22.2 षीर्शक एवं मार्जिनल टिप्पणियां
22.3 एकवचन एवं बहुवचन
23.0 ठेके की विषेश षर्त
24.0 ठेकेदार स्वयं अपनी सूचना प्राप्त करें
25.0 सुरक्षा जमा
26.0 प्रदर्षन की समयावधि
26.1 मोबिलाइजेषन का समय
26.2 निर्माण की समय सारणी
27.0 फोर्स मैज्यूरे
28.0 समय सीमा विस्तार
29.0 विलंब के लिए मुआवजा (आर्थिक क्षति)
30.0 मुआवजा के रूप में देय राषि दायित्व मुआवजा माना जाए,
वास्तविक क्षति पर विचार किए बिना
31.0 स्वामी द्वारा सुरक्षा राषि जब्त करने का अधिकारी
32.0 ठेका प्रावधानों के अनुपालन में ठेकेदार की असफलता
33.0 मुआवाजे के लिए ठेकेदार दायित्व, बषर्ते क्लॉज 32.0 (अधिकार में असफल ठेकेदार)
के तहत कार्यवाही नहीं की गई

34.0 संविधान में परिवर्तन
35.0 मृत्यु की स्थिति में ठेके की समाप्ति
36.0 स्वामी के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं
37.0 स्वामी व्यक्तिगत प्रस्तुतियों से बाध्य नहीं
38.0 साइट पर ठेकेदार का कार्यालय
39.0 ठेकेदारों के सबआर्डिनेट स्टाफ और उनके आचरण
40.0 (।) सब–लेटिंग ऑफ वर्ड्स
(।।) तात्कालिक कार्य आदि के लिए उपठेका
(।।।) आपूर्ति के लिए उपठेकेदारों की सूची
(प्ट) ठेकेदारों के दायित्व उपठेकेदारों द्वारा सीमित नहीं
(ट) स्वामी उपठेकेदारों को निरस्त कर सकते

(टप) इस क्लॉज के तहत सुधार हेतु कोई कार्य नहीं किया गया
41.0 इंट्री/प्रवेष की षक्ति

42.0 मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल इंटरकम्युनिकेषन सिस्टम, एयरकंडिष्निंग ठेकेदारों एवं अन्य एजेंसियों के प्रति ठेकेदारों के दायित्व
43.0 साइट पर अन्य एजेंसियां
44.0 सूचनाएं
45.0 विभिन्न हितों के अधिकार

46.0 पेटेंट्स एवं रॉयल्टी

47.0 लियंस
48.0 स्वामी या उसकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा विलंब
49.0 ठेके निरस्त होने पर भुगतान
50.0 अधिकारों में कोई छूट नहीं
51.0 प्रमाण पत्र से स्वामी के अधिकार एवं ठेकेदार के दायित्व प्रभावित नहीं होगे

52.0 भाशाएं एवं माप
53.0 टाइटिल का हस्तांतरण
54.0 सूचना जारी करना
55.0 ब्रांड नाम
56.0 ठेके का समापन
57.0 स्पेयर्स / कल–पुर्जे

अनुभाग–5 (कार्य प्रदर्षन)

58.0 कार्य संपादन
59.0 समन्वयन एवं निरीक्षण कार्य
60.0 विवरण, डिज़ायन एवं अतिरिक्त कार्य में परिवर्तन
61.0 रविवार एवं छुट्टियों के दिन कार्य
62.0 निर्माण एवं स्थापना के लिए सामान्य नियम एवं षर्तें
63.0 स्वामी द्वारा दिए जाने वाले ड्राइंग्स
64.0 ठेकेदार द्वारा दिए जाने वाले ड्राइंग्स
65.0 सेटिंग आउट वर्क्स
66.0 लेवल एवं एलायनमेंट संबंधी जिम्मेदारियां
67.0 ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली सामग्रियां
68.0 स्वामी द्वारा दिए जाने वाले स्टोर / सामग्रियों / उपकरणों की सुरक्षा
69.0 सामग्री जारी करने की षर्तें
70.0 स्वामी के सहयोग से खरीदी गई सामग्री / सरप्लस की वापसी
71.0 डिसमैंटलिंग से प्राप्त सामग्रियां
72.0
73.0 निर्देषों के बीच अंतर

74.0 मॉनसून के दौरान काम एवं पानी हटाने का काम
75.0 कार्यवाही जिसके लिए कोई निर्देष न हो
76.0 कार्यों का निरीक्षण

77.0 प्रभारी अभियंता की सहायता
78.0 कार्यों की गुणवत्ता की जांच/ गुणवत्ता सुनिष्चित करना
79.0 अनुमोदन के सैम्पल/उदाहरण
80.0 अस्तरीय कार्य की स्थिति में कार्यवाही एवं मुआवजा
81.0 कार्य स्थगन
82.0 स्वामी को आंषिक कार्य करने का अधिकार
83.0 कार्य संपन्न होने से पूर्व अधिग्रहण
84.0 कार्य संपन्न प्रमाण पत्र देने से बारह माह की उत्तरदायी अवधि
84.1 उत्तरदायी अवधि में समस्या समाधान एवं असमानता दूर करना
84.2 ठेके पर कार्य की गारंटी संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व
84.3 फैक्ट्री/कार्य की देखभाल
84.4 अधिग्रहण से पहले मौजूद खराबी

84.5 अधिग्रहण के बाद मौजूद खराबी
85.0 गारंटी/ गारंटी हस्तांतरण
86.0 स्वामी के कार्मिकों का प्रषिक्षण
87.0 खराब कल–पुर्जों/ सामग्रियों को बदलना

88.0 कानूनी प्रक्रिया से निपटना/डिफेंस ऑफ सुट
89.0 निर्माण सहयोग, उपकरण, औजार एवं ट्रैकल्स

अनुभाग 4 (प्रमाण पत्र एवं भुगतान)

90.0 दर एवं भुगतान तालिका
(प) ठेकेदारों के पारिश्रमिक
(पप) दर सूची समावेषी है :
(पपप) दर सूची में निर्माण उपकरण, सामग्री, मजदूरी का समावेष :

(पअ) दर सूची में रॉयल्टी, किराया तथा दावे भी षामिल :
(अ) दर सूची में कर एवं षुल्क भी षामिल हैं
(अप) दर सूची में विलंब संबंधी जोखिम भी षामिल
(अपप) दर सूची में परिवर्तन नहीं

91.0 जारी कार्य की माप एवं बिलिंग का काम
91.1 बिलिंग की प्रक्रिया
91.2 सामग्रियों के लिए सुरक्षित अग्रिम भुगतान

91.3 माप पद्धति में विवाद
91.4 राषि को राउण्ड ऑफ करना
92.0 निविदा में एकमुष्त राषि
93.0 चालू खाता के भुगतान को अग्रिम राषि माना जाए
94.0 अतिरिक्त भुगतान की दावेदारी हेतु सूचनाएं
95.0 ठेकेदारों के बिल भुगतान
96.0 भुगतान की प्राप्ति/रसीद
97.0 संपन्न प्रमाण पत्र
97.1 संपन्न प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

97.2 संपन्न प्रमाण पत्र

97.3 संपन्न प्रमाण पत्र के दस्तावेज़
98.0 अंतिम निर्णय एवं अंतिम प्रमाण पत्र
99.0 प्रमाण पत्र एवं भुगतान कार्य संपन्न होने का प्रमाण नहीं
100.0 ठेका मूल्य से कटौतियां

अनुभाग 7 (कर एवं बीमा)

101.0 कर, षुल्क, चुंगी आदि
102.0 बिक्री कर/व्यापार कर
103.0 उत्पाद षुल्क (केवल वर्क्स कांट्रैक्ट पर)
104.0 बीमा
104.1 सामान्य
(प) राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम

(पप) मजदूर मुआवजा एवं कर्मचारी उत्तरदायित्व बीमा
(पपप) अन्य कोई बीमा जो कानून या नियम या स्वामी के अनुसार आवष्यक हो
(पअ) मजदूर की दुर्घटना या जोखिम
(अ) ट्रांजिट/यात्रा बीमा
105.0 किसी संपत्ति या व्यक्ति या तीसरी पार्टी को क्षति

अनुभाग 8 (श्रमिक कानून एवं गैर–न्यायिक समझौता)

106.0 श्रमिक कानून

107.0 एप्रेंटिस अधिनियम 1961/प्रोविडेंड फंड अधिनियम का क्रियान्वयन

108.0 ठेकेदार द्वारा स्वामी को इण्डेम्निफाई करना

109.0 श्रमिक के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की व्यवस्था
110.0 गैर–न्यायिक समझौता

111.0 न्याय क्षेत्र

अनुभाग 9 (सुरक्षा कोड)

112.0 सामान्य
113.0 सुरक्षा नियम
114.0 सामान्य नियम
115.0 ठेकेदार के बैरीकेड

116.0 स्कैफोल्डिंग
117.0 खुदाई एवं खड्ढा बनाने का काम
118.0 ध्वस्तीकरण/ सामान्य सुरक्षा
119.0 ज्वलनषील गैस के रखरखाव संबंधी देखभाल
120.0 अस्थायी ज्वलनषील संरचनाएं
121.0 आग से सुरक्षा के उपाय
122.0 विस्फोटक

123.0 खदान अधिनियम

124.0 स्थानों का संरक्षण
125.0 संक्रामक बीमारियों का प्रकोप
126.0 विशैले पदार्थों का उपयोग

परिषिश्ट

1. समझौते का प्रारूप
2. अग्रिम जमा राषि के लिए बैंक गारंटी का प्रारूप
3. सुरक्षा जमा का प्रारूप

4. अग्रिम भुगतान के लिए गारंटी

5. सुरक्षित अग्रिम भुगतान के लिए इंडेचर

6. समेकित बैंक गारंटी का प्रारूप

निविदा जमा करना

निविदाकर्ता :
मेसर्स

प्राप्तकर्ता

विशय : ....के आलोक में निविदा

महोदय,

हम यहां संलग्न निविदा के नियमों एवं षर्तों का पूर्णतः पालन करते हुए एतद्द्वारा द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अग्रिम जमा राषि के रूप में........रु. का एक ....संलग्न किया जा रहा है जो दिनांक...........तक वैध है।

भवदीय,
निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
निविदा पर हस्ताक्षर करने
वाले व्यक्ति का पूरा नाम,
पदनाम एवं अधिकार

कॉर्पोरेट प्रमुख के रूप में प्रमाण पत्र

मैं....................यह प्रमाणित करता हूं कि मैं ....के कानूनों के तहत गठित कॉर्पोरेषन का ....सचिव हूं और ....जिसने इस निविदा पर हस्ताक्षर किया है उसे कॉर्पोरेषन के षासी निकाय/निदेषक मंडल आदि के अधिकार से कम्पनी/कॉर्पोरेषन को उत्तरदायी ठहराने का अधिकार है।

.....
सचिव/ एम.डी./ निदेषक/ जी.एम.

अनुभाग 1
ठेका संबंधी सामान्य षर्तें

1.0 <u>विभिन्न षब्दों की परिभाशा :</u>

ठेका संबंधी दस्तावेज़ों में, जैसा कि यहां परिभाशा की गई है और जहां वे संदर्भ में स्वीकार्य हैं, निम्नलिखित षब्दों एवं अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे :

(1) ''स्वामी'' का अर्थ कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत गठित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कम्पनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय तरुण नगर, चौथा रोड, गुवाहाटी–781005, असम है।

(2) ''ठेकेदार'' का अर्थ वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह, प्रतिश्ठान या कम्पनी या कॉर्पोरेषन है जिसकी निविदा को स्वामी ने स्वीकार कर लिया है और इसमें ठेकेदार के कानूनी प्रतिनिधि, उसके उत्तराधिकारी एवं अनुमति प्राप्त 'एसाईंस' भी षामिल हैं।

(3) ''प्रबंध निदेषक'' का अर्थ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) का प्रबंध निदेषक या उसका उत्तराधिकारी जिसे स्वामी द्वारा वह पद दिया गया हो।

(4) ''मुख्य अभियंता'' का अर्थ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के महाप्रबंधक (परियोजना)/ कार्यकारी निदेषक (परियोजना) या कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी या परियोजना के लिए उसका अधिकृत नामित व्यक्ति।

(5) ''प्रभारी अभियंता'' का अर्थ स्वामी से यह पदनाम प्राप्त व्यक्ति समेत अन्य व्यक्ति जिसे उसने इस ठेके के परिचालन के लिए स्पश्टतः अधिकृत किया है।

(6) ''कार्य'' का अर्थ वह कार्य होगा जो ठेके या उसके एक हिस्से (जैसी जरूरत हो) के रूप में किया जाएगा और इसमें ठेके के उद्देष्य से आवष्यक सभी अतिरिक्त, संषोधित या स्थानापन्न कार्य षामिल होंगे।

(7) ''स्थायी कार्य'' का अर्थ हैं, और उसमें षामिल हैं, वे कार्य जो ठेका पूरा होने पर ठेकेदार द्वारा स्वामी को सौंपे गए कार्य के रूप में किए जाएंगे और उस कार्य का हिस्सा होंगे।

(8) ''निर्माण उपकरण'' का अर्थ किसी भी स्वरूप के वे सभी औजार/उपकरण और सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल कार्य या तात्कालिक कार्य (जैसे कि आगे परिभाशित है) में या उन्हें संपादित करने, पूरा करने, परिचालन या देखभाल में होता है लेकिन इनमें वे सामग्रियां या अन्य चीजें नहीं आती हैं जो कार्य, या कैम्प की सुविधा के लिए होती हैं या उसमें अभिन्न रूप से षामिल होती हैं।

(9) ''साइट'' का अर्थ वे जमीन और अन्य जगह हैं जिन पर, जिनके अंदर, जिनमें या जिनसे होते हुए स्थायी कार्य किए जाएंगे – ठेका पूरा करने के लिए स्वामी द्वारा दी गई अन्य जमीन या जगह भी इसमें षामिल होंगे।

(10) ''ठेकदा दस्तावेज़'' का अर्थ है सामूहिक रूप से निविदा दस्तावेज़, डिज़ायन, ड्राइंग, विवरण, मात्रा एवं दर सूची, स्वीकृति पत्र और स्वीकार्य भिन्नता, यदि कोई हो, समेत अन्य कोई दस्तावेज़ जो निविदा और उसे स्वीकार करने का हिस्सा हो।

(11) ''कांट्रैक्ट'' का अर्थ होगा स्वामी एवं ठेकेदार के कीच कार्यों को पूरा करने का करार और इसमें ठेका संबंधी सभी दस्तावेज़ भी षामिल होंगे।

(12) ''ईआईएल'' का अर्थ है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो इस परियोजना के लिए स्वामी का सलाहकार इंजीनियरिंग प्रतिशठान है जिसका पंजीकृत पता है : 1, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066

(13) ''परियोजना हेतु प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/परियोजना समन्वयक'' का अर्थ इस परियोजना का प्रभारी है जिसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने यह पदनाम दिया है या उसका उत्तराधिकारी या अधिकृत नामित व्यक्ति है।

(14) ''उपठेकेदार'' वह व्यक्ति या प्रतिशठान या कम्पनी (ठेकेदार के अतिरिक्त) है जिसे ठेकेदार ने प्रभारी अभियंता, की अनुमति लेने के बाद कार्य का कोई हिस्सा सौंप दिया है और इसमें ऐसे व्यक्ति, प्रतिशठान या कम्पनी का कानूनी कार्मिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त 'एसाईंस' भी षामिल हैं।

(15) ''विवरण'' का अर्थ सभी दिषानिर्देष, विभिन्न तकनीकी विवरण जो निविदा दस्तावेज़ से संलग्ल और संदर्भित हो (कार्य पूरा करने की पद्धति और प्रक्रिया संबंधी), या कार्य की मात्रा और गुणवत्ता संबंधी विवरण, या ठेके के तहत कार्य के लिए आवष्यक सामग्रियों का विवरण, ठेके के दौरान समय–समय पर स्वामी या प्रभारी अभियंता द्वारा उद्धृत या संषोधित हो ताकि अदृष्य परिस्थितियों या कार्य की उत्कृश्टता के लिए भी प्रावधान रहे, और इसमें संबद्ध भारतीय मानकों संबंधी विवरण भी होंगे जो ठेका करार से पूर्व प्रकाषित होंगे, सभी परिषिश्ट/षुद्धिपत्र समेत।

(16) ''ड्राइंग'' का अर्थ है कोई मानचित्र, प्लान और ट्रेसिंग या प्रिंट या स्केच, प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप से संषोधन समेत, और प्रभारी अभियंता द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले या लिखित रूप से अनुमोदित किए जाने वाले ऐसे अन्य सभी ड्राइंग।

(17) ''निविदा'' का अर्थ है वह प्रस्ताव, सहायक दस्तावेज़ों समेत, जो स्वामी के विचारार्थ ठेकेदार प्रस्तुत करता है।

(18) ''परिवर्तन आदेष'' का अर्थ है प्रभारी अभियंता का लिखित आदेष जो कार्यों में कुछ जोड़ने या घटाने और परिवर्तन के उद्देष्य से दिया जाता है।

(19) ''लगभग समाप्त'' का अर्थ है ऐसे सभी महत्वपूर्ण/ अनिवार्य कार्यों का समापन जिनके एक छोटे हिस्से को स्वयं स्वामी ने रोक रखा है ताकि परस्पर संबद्ध अन्य कार्यों को तालमेल के साथ पूरा किया जा सके।

(20) ''समापन प्रमाण पत्र'' का अर्थ है प्रभारी अभियंता द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो ठेका दस्तावेज़ के अनुसार कार्य समाप्त होने के प्रति संतुश्टि के बाद दिया जाता है। समापन प्रमाण पत्र का अर्थ यह भी होगा कि लगभग समाप्त कार्य के मामले में स्वामी यह निर्णय ले ले कि तय समय सीमा में काम लगभग समाप्त घोशित कर दिया जाएगा।

(21) ''अंतिम प्रमाण पत्र'' ठेका प्रावधानों के अनुसार किसी कार्य के संतोशजनक संपादन के बाद प्रभारी अभियंता/स्वामी द्वारा ठेकेदार की जिम्मेदारी की अवधि की समाप्ति के बाद दिया जाने वाला प्रमाण पत्र है।

(22) ''जिम्मेदारी की अवधि'' किसी कार्य के संदर्भ में समापन प्रमाण पत्र की तिथि से अंतिम प्रमाण पत्र देने तक निर्धारित वह अवधि है जिसके दौरान ठेकेदार द्वारा ठेके के तहत किए गए कार्यों में उत्पन्न सभी त्रुटियों को ठीक करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और इसमें निर्माण कौषल संबंधी त्रुटि, उत्पादन/फैब्रिकेषन संबंधी त्रुटि (सभी सामग्रियों, प्लांट, उपकरण, कम्पोनेंट और ठेकेदार द्वारा आपूर्त ऐसे सामनों) की वारंटी भी षामिल हैं।

(23) ''नियुक्ति अधिकारी'' का अर्थ आर्बिट्रेषन के उद्देष्य से प्रबंध निदेषक या स्वामी द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति होगा।

(24) ''अस्थायी कार्य'' का अर्थ हरेक प्रकार वे सभी अस्थायी कार्य हैं जो मूल कार्य को करने, पूरा करने या देखभाल के लिए आवष्यक हैं।

(25) ''प्लांस'' का अर्थ है सभी मानचित्र, स्केच और लेआउट, जैसा कि कांट्रैक्ट में दिए गए हों, जिनसे कार्य या कार्यों की सीमा और विवरण की मोटे तौर पर परिभाशा की जा सके और कथित प्लांस की सभी प्रतिलिपियां।

(26) ''लिखित सूचना'' का अर्थ है लिखित, टंकित या मुद्रित षब्द जो पाने वाले के सबसे नए निजी या व्यवसाय या पंजीकृत कार्यालय पंजीकृत डाक (बषर्ते निजी तौर पर नहीं दिया गया या पाने वाले द्वारा प्राप्त करने का अन्य प्रावधान न हो) से भेजा जाए और जिसे डाक में लगने वाले उचित समय के बाद प्राप्त मान लिया जाएगा।

(27) ''अनुमोदित'' का अर्थ लिखित रूप से अनुमोदित है और इसमें षामिल होंगी पूर्व की मौखिक स्वीकृति की आगे लिखित पुश्टि और ''अनुमोदन'' का अर्थ है लिखित अनुमोदन समेत उपुर्यक्त विधि से अनुमोदन।

(28) ''टेलेक्स/ लेटर ऑफ इंटेंट'' का अर्थ है निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) को टेलेक्स/पत्र के माध्यम से यह सूचना कि निविदा पत्र में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार कर ली गई है।

(29) ''दिवस'' का अर्थ है मध्य रात्रि से मध्य रात्रि तक 24 घंटा, भले ही उस दिन जितने घंटे कार्य किए गए हों।

(30) ''कार्य दिवस'' का अर्थ है कोई दिन जिसे स्वामी ने छुटटी या अवकाष दिवस नहीं घोशित किया हो।

(31) ''सप्ताह'' का अर्थ है लगातार सात दिनों की अवधि।

(32) ''मीट्रीक पद्धति'' का अर्थ यह है कि कार्य संबंधी सभी तकनीकी दस्तावेज़ मीट्रीक पद्धति में होते हैं और परियोजना संबंधी सभी कार्य मीट्रीक पद्धति से पूरे किए जाएंगे। कार्य संबंधी सभी दस्तावेज़ों का रिकार्ड भी मीट्रीक पद्धति में रखा जाएगा।

(33) ''ठेका मूल्य'' का अर्थ है स्वीकार्य राषि या निविदा के तहत स्वीकृत मूल्यों के अनुसार आकलित राषि और/ या संपूर्ण कार्य संपादन और कार्य के पूर्ण समापन के लिए ठेकेदार को देय ठेके की दरें।

(34) ''ड्राइंग और निर्देष की भाशा'' से तात्पर्य यह है कि सभी ड्राइंग, षीर्शक, टिप्पणियां, आयाम आदि अंग्रेजी भाशा में दिए गए हों।

(35) ''मोबिलाइजेषन (संसाधन जुटाना)'' का अर्थ है ठेकेदार द्वारा साइट पर पर्याप्त आधारभूत संरचना जुटाना जिसके तहत षामिल होंगे निर्माण उपकरण, सहायक उपकरण, औजार समेत साइट कार्यालय में बिजली, पानी, संचार आदि सुविधा जुटाना। इसके अंतर्गत साइट पर स्थायी अभियंता, निरीक्षण कार्मिक समेत कुषल, अर्द्धकुषल और अकुषल श्रमिकों का ऐसा मानव संसाधन आधारभूत संरचना करना भी षामिल है जो तय समय सीमा के तहत कार्य को पूरा कर सके। ''मोबिलाइजेषन (संसाधन जुटाना)'' को असफल माना जाएगा यदि ठेकेदार उपर्युक्त विधि से ऐसी आधारभूत संरचना कायम करने में असमर्थ रहता है, जो सभी साइट /जगह पर तय समय सीमा में कार्य करवाने के लिए आवष्यक है, और प्रभारी अभियंता/स्वामी के नजर में संतोशजनक ढंग से तय समय सीमा में यह काम करना आवष्यक था।

(36) ''चालू करने'' का अर्थ है सफल जांच–परीक्षण और आरंभिक परिचालन के बाद ठेकेदार द्वारा प्रषिक्षण समेत उस संपूर्ण तंत्र को चालू कर देना जिसमें प्लांट, उपकरण, पात्र, पाइपलाइन, मषीन या स्थापित प्रणाली का कोई भाग या उपभाग षामिल हैं।

''चालू करने'' का अर्थ संपूर्ण तंत्र या उसके एक हिस्से या तंत्रों के संयोग या उप तंत्रों के संयोग को चालू करना हो सकता है और यह कार्य स्वामी की इच्छा के अनुसार किसी क्रम से इस तरह पूरा किया जा सकता है जो आवष्यक सामानों की उपलब्धता के अनुसार उपयुक्त बनाया जा सके। चालू करने की गतिविधि में स्वामी द्वारा इस तरह के किसी पुनर्समायोजन को

ठेके के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और यह माना जाएगा कि ठेकेदार के लिए यह प्रावधान लागू था।

अनुभाग 2

2.0 <u>**सामान्य जानकारियां :**</u>

2.1 (क) साइट का स्थान :

प्रोजेक्ट साइट के लिए प्रस्तावित स्थान की परिभाशा ठेके की विषेश षर्त में दी गई है।

(ख) सड़क मार्ग से पहुंच :

यदि ठेकेदार आवष्यकता के अनुसार साइट तक पहुंचने के लिए अपनी लागत से सड़क मार्ग बनवाता है तो ठेकेदार को प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत अन्य पार्टियों के वाहनों के लिए उस सड़क मार्ग के उपयोग की अनुमति देनी होगी। ठेकेदार को स्थायी सड़कों के निर्माण में भी सुविधा देनी चाहिए यदि इस कार्य में उसके संलग्न रहने के दौरान उस सड़क का निर्माण षुरू हो जाए। ऐसे किसी कार्य के नाम संभावित असुविधाओं के लिए ठेकेदार को इस निविदा के तहत उचित अनुमति देनी होगी।

पहुंच मार्ग और रेल सुविधा की अनुपलब्धता के चलते कार्य संपादन में विलंब के लिए ठेकेदार को कोई छूट नहीं दी जाएगी और न ही वह हर्जाना स्वरूप स्वामी पर किसी मुआवजे का दावा कर सकता है।

2.2 कार्य सीमा :

कार्य सीमा ठेके की विषेश षर्त और विवरण में परिभाशित है। ठेकेदार को कार्य पूरा होने तक कार्य के संपादन और देखरेख के लिए आवष्यक सभी सामग्रियों, उपकरणों, मजदूरी आदि का प्रावधान करना होगा बषर्ते इस निविदा दस्तावेज़ में कोई अन्यथा उल्लेख न हो। कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्रियां खरीद एवं उपयोग से पहले प्रभारी अभियंता से स्वीकृत हो।

2.3 जल आपूर्ति :

मजदूर कैम्प एवं कार्य संपादन के लिए ठेकेदार को ही जल आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार की लागत से ही सभी पम्प लगाए जाएंगे, पाइपलाइन बिछाई जाएगी और वितरण व्यवस्था की जाएगी।

वैकल्पिक रूप से स्वामी अपने विवेक से ठेकेदार को अपने ही स्रोत से जल आपूर्ति की व्यवस्था कर सकता है बषर्ते ठेकेदार पाइप बिछाने का काम, स्रोत से आपूर्ति और वितरण की व्यवस्था कर ले। हालांकि पाइप बिछाने के लिए प्रभारी अभियंता की पूर्व अनुमति आवष्यक है ताकि लेआउट और अन्य निर्माण कार्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। इस स्थिति में ठेकेदार को 2.99 रु. प्रति किलो लीटर की दर से भुगतान करना होगा जो चालू खाता बिल से काट लिया जाएगा।

हालांकि स्वामी जल आपूर्ति की गारंटी नहीं देता है और इस तरह ठेकेदार जल आपूर्ति व्यवस्था करने और समय सीमा में विभिन्न कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है।

2.4 बिजली आपूर्ति :

2.4.1 स्वामी द्वारा 400/440 वी बिजली की आपूर्ति की जाएगी बषर्ते वह उपलब्ध हो। यह आपूर्ति निकटतम उपकेंद्र को की जाएगी जहां से तात्कालिक वितरण की व्यवस्था ठेकेदार को

ही करनी होगी। संबंधित सभी कार्य आईईए नियमों के अनुसार किए जाएंगे और प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। कार्य पूरा होने के बाद बिजली की तात्कालिक लाइनों को हटा दिया जाएगा या यदि इन लाइनों की संरचना के चलते अन्य कार्य में कोई बाधा हो तो ठेकेदार लाइनों को दूसरे रास्ते ले जाने या फिर इल लाइनों को हटाने की व्यवस्था अपनी लागत से करेगा। ठेकेदार अपनी लागत से ही बिजली के उपयुक्त मीटर (राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विधिवत् परीक्षित), फ्यूज़, स्विच आदि का प्रावधान करेगा ताकि स्वामी को भुगतान किया जा सके। बिजली मीटर स्वामी के अधीन और उसी के नियंत्रण में होगा। बिजली आपूर्ति के लिए 2. 53 रु. (दो रुपये तिरपन पैसे) प्रति किलोवाट की दर से मासिक भुगतान करना होगा। बिजली बिल भुगतान भी ठेकेदार के चालू खाता बिल से ले लिया जाएगा। ध्यातव्य है कि स्वामी द्वारा बिजली आपूर्ति की कोई गारंटी नहीं दी जाती है और न ही बिजली गुल होने या कम आपूर्ति होने की स्थिति में ठेकेदार को कोई मुआवजा दिया जाएगा।

2.4.2 साइट पर बिजली आपूर्ति के लोड साइड की पूरी व्यवस्था (इन्स्टॉलेषन) का प्रावधान करना और देखभाल करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को साइट पर सर्किट की समुचित सुरक्षा एवं आवष्यकता का भी ध्यान रखना होगा। केबल, उपकरण, इन्स्टॉलेषन आदि संपूर्ण कार्य नवीनतम वैधानिक मानकों अर्थात् केंद्र/ राज्य विद्युत अधिनियमों एवं नियमों के सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार होना आवष्यक है। ठेकेदार यह सुनिष्चित करेगा कि उसके उपकरण एवं बिजली की वायरिंग आदि के इन्स्टॉलेषन, उनमें सुधार और देखभाल का काम एक लाइसेंस प्राप्त बिजली सुपरवाइजर द्वारा किया जाए। बिजली उपलब्ध होने से पहले इसकी स्वीकृति के लिए प्रभारी अभियंता के समक्ष एक परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा मानकों को नहीं मानने वाले ठेकेदार से वह हर्जाना लिया जा सकता है जो प्रभारी अभियंता को उचित लगे।

2.4.3 आईईए नियमों का पालन हमेषा आवष्यक है जिसमें असफल रहने पर स्वामी को अधिकार है कि ठेकेदार को संदर्भित किए बिना बिजली आपूर्ति बंद कर दे। बिजली आपूर्ति बंद होने के मामले में प्रभारी अभियंता द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। अधिकृत बिजली सुपरवाइजर द्वारा जारी नया प्रमाण पेष करने के बाद ही बिजली आपूर्ति पुनः षुरू की जा सकती है।

2.4.4 बिजली आपूर्ति में वोल्टेज़ या फ्रिक्वेंसी के अचानक उतार–चढ़ाव या बिजली आपूर्ति में बाधा के परिणामस्वरूप ठेकेदार के उपकरणों को हुई कोई हानि या क्षति या फिर इस वजह से हुई अन्य क्षति के लिए स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा।

2.4.5 ठेकेदार यह सुनिष्चित करेगा कि उसके द्वारा इन्स्टॉल किए गए बिजली उपकरणों के औसत पावर फैक्टर किसी माह में 0.90 से कम न हो। ठेकेदार द्वारा माह के दौरान खपत सभी यूनिट का भुगतान किया जाएगा। (निम्न पी.एफ.आई. के नाम)

2.4.6 प्लांट साइट के पास ठेकेदार की कॉलोनी के लिए आवष्यक बिजली आपूर्ति का निर्धारण स्वामी द्वारा किया जाएगा जो ऐसे इन्सटॉलेषन के लिए समय–समय पर लागू राज्य बिजली बोर्ड, नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ठेकेदार की कॉलोनी में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था एक प्वाइंट पर की जाएगी और खुद ठेकेदार को अपनी लागत से कॉलोनी वासियों को बिजली नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार बिजली वितरण की व्यवस्था करनी होगी। साइट एरिया और कॉलोनी में पर्याप्त रोषनी रखनी होगी ताकि दुर्घटना से बचा जा सके।

2.4.7 ठेकेदार को खुद लाइट और पावर मीटर देना और लगाना होगा। राज्य बिजली बोर्ड से विधिवत् ये मीटर केंद्र / राज्य सरकार के बिजली नियमों के अधीन काम करेंगे। स्वामी मीटर को सील कर देगा।

2.4.8 ठेकेदार द्वारा जाने–अनजाने स्वामी के किसी उपकरण को क्षति होने की स्थिति में स्वामी को ठेकेदार के बिल से आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति कर लेने का अधिकार है। ठेकेदार की बिजली व्यवस्था में किसी खराबी के चलते स्वामी के टर्मिनल पर एचआरसी फ्यूज़ बदलने की स्थिति में इस पर आई लागत ठेकेदार के खाते से प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दर से काट ली जाएगी। ठेकेदार द्वारा दिए गए /इस्तेमाल किए गए फ्यूज़ की रेटिंग स्वामी द्वारा स्वीकृत रेटिंग से अधिक नहीं हो सकती है।

2.4.9 सीधे लाइन में अधिकतम 3 एचपी के मोटर लगाए जाने की अनुमति होगी। 3 एचपी से अधिक एवं 100 एचपी तक के मोटर के लिए ठेकेदार प्रदत्त उपयुक्त स्टार्टिंग उपकरण लगाए जाएंगे जिनका प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदन आवष्यक है। 100 एचपी से अधिक के मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टिंग उपकरण सहित स्लिप रिंग इंडक्षन मोटर होना आवष्यक है जो खुद ठेकेदार को लगाना होगा और प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित होगा।

2.4.10 ठेकेदार को यह सुनिष्चित करना होगा कि स्वामी द्वारा बिजली आपूर्ति से पहले ठेकेदार की लागत से लगी बिजली की सभी लाइनें और उपकरण एवं इन्स्टॉलेषन राज्य विद्युत निरीक्षक द्वारा स्वीकृत हों।

2.4.11 निविदाकर्ता को अपनी निविदा के साथ बिजली की कुल आवष्यकता का उपकरणवार उल्लेख करना होगा।

2.5 <u>ठेकेदार के फील्ड ऑफिस, गोदाम और वर्कषॉप के लिए जमीन</u>

ठेकेदार के फील्ड ऑफिस, गोदाम और वर्कषॉप बनाने के लिए साइट के नजदीक जमीन की व्यवस्था स्वामी द्वारा उसके विवेक एवं सुविधा के हिसाब से कार्य अवधि के लिए की जाएगी। इसमें ठेका पूरा करने के लिए असेम्बली यार्ड के लिए भी जमीन षामिल होगी। ऐसे अस्थायी निर्माण ठेकेदार की लागत से होंगे। ठेकेदार ही उपयुक्त जलापूर्ति एवं साफ–सफाई की व्यवस्था करेगा। इन सभी का प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदन आवष्यक है।

कार्य समाप्ति या स्वामी से नोटिस मिलने, जो पहले हो, की स्थिति में ठेकेदार को उसके सभी अस्थायी निर्माण और संरचनाओं को हटाना पड़ेगा और प्रभारी अभियंता के दिषानिर्देषानुसार साइट साफ करने की व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार के इसमें असफल रहने पर प्रभारी अभियंता ठेकेदार की ओर से ऐसी बाकी पड़ीं, और बेकार सामग्रियों को हटवा देगा और जो सही समझे उस हिसाब से उन सामग्रियों की बिक्री कर साइट की सफाई करवा देगा। इस संबंध में आए पूरे खर्च का भुगतान ठेकेदार को करना होगा और इस तरह बिक गई सामग्रियों के नाम ठेकेदार का कोई दावा भी नहीं रहेगा। स्वामी सुरक्षा या राश्ट्रहित या अन्य किसी कारण से ठेके की अवधि में ही 7 दिनों की पूर्व सूचना देकर जमीन खाली कर देने के लिए कह सकता है। इस जमीन के नाम प्रति हेक्टेयर सालाना 100 रु. या उसके हिस्से के रूप में एक टोकन लाइसेंस षुल्क लिया जाएगा। साइट खाली/साफ करने और मलवा हटाने में ठेकेदार के असफल रहने पर प्रभारी अभियंता अन्य किसी एजेंसी से यह काम करवा लेगा और इस पर आए खर्च को ठेकेदार के बिल/एस.डी. या अन्य किसी कार्य के भुगतान से काट लेगा।

2.5.1 प्रोजेक्ट साइट पर बिल्डिंग बनाना :

स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोजेक्ट साइट के निर्धारित क्षेत्र में ही ठेकेदार आवष्यकतानुसार अपना कार्यालय, फैब्रिकेषन षॉप, और कंस्ट्रक्षन स्टोर बना सकता है। स्वामी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना निर्धारित क्षेत्र में ठेकेदार चाय की दुकान/कैंटीन नहीं खोल सकता है या खोलने की अनुमति दे सकता है।

ठेकेदार द्वारा प्रोजेक्ट साइट पर कहीं भी अनाधिकृत मकान, निर्माण या संरचना नहीं की जा सकती है।
स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोजेक्ट साइट के निर्धारित क्षेत्र में ही ठेकेदार छत सहित अस्थायी निर्माण (12 मी गुणा 50 मीटर या जो जरूरी हो) कर सकता है ताकि फैब्रिकेषन का काम अनवरत चलता रहे। हालांकि स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही यह संरचना की जा सकती है।

2.6 आवासीय व्यवस्था के लिए भूमि :
प्रभारी अभियंता के निर्देषानुसार स्टाफ और मजदूर की आवासीय व्यवस्था के लिए भूमि की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। ठेकेदार द्वारा चुने गए क्षेत्र और उसके आकार के अनुसार प्रभारी अभियंता द्वारा किराया तय किया जाएगा।

अनुभाग 3
निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देष

3.0 निविदा जमा करना
3.1 निविदाओं को कुछ जोड़े या फेरबदल किए बिना, और नीचे दिए गए अन्य क्लॉज के विवरणों के अनुसार जमा करना आवष्यक है। ठेकेदार को निविदा दस्तावेज़ के पृश्ठ 1 पर आवष्यक विवरण देने होंगे। निविदा दस्तावेज़ सूची में दरें दर्ज करनी होंगी।
3.2 निविदा दस्तावेज़ के लिए यदि कोई परिषिश्ट/ षुद्धिपत्र जारी किया जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर निविदा दस्तावेज़ के साथ जमा करना जरूरी है। निविदाकर्ताओं के लिए जरूरी है कि संषोधित मात्राओं को निविदा दस्तावेज़ दर संबंधी सूची में साफ–साफ लिखें और परिषिश्ट में मात्राओं में संषोधन होने की स्थिति में तदनुसार मूल्य का उल्लेख करें।
3.3 निविदा दस्तावेज और आगे के सभी पत्राचारों के लिफाफों के साथ–साथ कवरिंग लेटर की चार प्रतियां जमा करें।
3.4 निविदाकर्ताओं से आग्रह है कि वे निविदा दस्तावेज़ में दिए गए नियमों एवं षर्तों एवं विवरण के अनुसार ही निविदा करें और किसी तरह अंतर न होने दें।
3.5 निविदाएं सदैव डबल स्केल कवर में हों और कवर के ऊपर लिखा हो : नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (परियोजना) के लिए निविदा, निविदा सूचना संख्या........, निविदा खुलने की तिथि.... मुहरबंद कवर पर नीचे बाएं के हिस्से में निविदाकर्ता का नाम, पता, और टेलीग्राफिक पता लिखा हो।
4.0 दस्तावेज़ :
4.1 सामान्य :
जमा की जाने वाली निविदा में निम्नलिखित दस्तावेज़ होंगे :
(प) संपूर्ण निविदा दस्तावेज़, जो निविदाकर्ता द्वारा निविदा दस्तावेज़ के अलग–अलग क्लॉज के अनुसार विधिवत् पूरा, और हस्ताक्षर किया हो।
(पप) नीचे क्लॉज़ 6 में उल्लिखित विधि से प्रस्तुत अग्रिम जमा।
(पपप) यदि निविदा पर अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर हो तो पावर ऑफ एटार्नी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसकी विधिवत् सत्यापित प्रति, जो नीचे क्लॉज 4.5 के अनुसार आवष्यक है।
(पअ) निविदा के साथ आय कर क्लियरेंस सर्टिफिकेट (आईटीसीसी) और बिक्री कर क्लियरेंस सर्टिफिकेट की मूल या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न हो। ये सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रारूप पर होने चाहिए। आईटीसीसी निविदाकर्ता प्रतिश्ठान/ व्यक्ति के नाम होना चाहिए। आईटीसीसी के अभाव में सरकारी आदेष/दिषानिर्देष के अनुसार निविदा कार्य नहीं दिया जा सकता है।

(अ) निविदाकर्ताओं से संबंधित सूचना दिए गए प्रारूप में संलग्न हो।
(अप) निविदाकर्ताओं द्वारा समरूप कार्य एवं समरूप मात्रा के कार्य के विवरण इस पुस्तिका के अंत में दिए गए प्रारूप में दिए गए हैं।
(अपप) ऑर्गेनाइजेषन चार्ट जिसमें इस कार्य के लिए निविदाकर्ता द्वारा साइट पर प्रस्तावित क्षेत्रीय प्रबंधन का विवरण हो।
(अपपप) ''कार्य संपादन हेतु निविदाकर्ता के प्रस्तावित उपकरणों की सूचना'' षीर्श के तहत दिए गए प्रारूप में इस कार्य हेतु निविदाकर्ता के पास उपलब्ध निर्माण संयंत्र एवं उपकरणों का विवरण।
(पग) किसी अनुसूचित बैंक से प्राप्त साल्वेंसी सर्टिफिकेट जो निविदा कार्य पूरा करने के लिए वित्तीय क्षमता का प्रमाण होगा।
(ग) नवीनतम तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि खाता जो विधिवत् अंकेक्षित हो।
(गप) निविदा दस्तावेज़ से संलग्न प्रारूप के अनुसार वर्तमान दायित्व का विवरण।
(गपप) उपठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/ उत्पादक संबंधी आवष्यक आंकड़े और अन्य तकनीकी सूचना जो निविदाकर्ता देना चाहे।
(गपपप) निविदा के साथ संलग्न सभी सामग्रियों की सूची।

4.2 <u>सभी पृश्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर</u>

निविदा जमा करने से पहले निविदाकर्ता या उसकी ओर से हस्ताक्षर के लिए अधिकृत पावर ऑफ एटार्नी होल्डर द्वारा किए जाने वाले सभी हस्ताक्षर दिनांकित होंगे और निविदा दस्तावेज़ के सभी अनुभाग के सभी पृश्ठों के दाएं नीचले कोने में संक्षिप्त हस्ताक्षर होंगे और निविदा दस्तावेज़ में अन्यत्र जहां भी हस्ताक्षर जरूरी हो वहां हस्ताक्षर करेंगे।

4.3 <u>दरों का अंकों एवं षब्दों में उल्लेख :</u>

निविदाकर्ता द्वारा दर सूची में प्रत्येक मद के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित दरें एवं राषियां अंग्रेजी अंकों एवं षब्दों में इस तरह लिखे हों कि उनके आगे/पीछे कुछ लिखना असंभव हो। प्रत्येक मद के लिए राषि की गणना कर सभी मदों के योग को अंकों एवं षब्दों में लिख देना आवष्यक है। कार्य के लिए प्रस्तावित राषि को निविदा में लिख कर निविदाकर्ता द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर करना आवष्यक है।

यदि निविदा में दी गई दरों या राषियों के अंकों और षब्दों में कोई अंतर पाया गया तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :
(क) यदि दर संबंधी अंकों एवं षब्दों में फर्क हो तो उस दर को सही माना जाएगा जिसके अनुसार निविदाकर्ता द्वारा राषि की गणना की गई है।
(ख) यदि निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर अंक एवं षब्द दोनों में सही हो परंतु निविदाकर्ता द्वारा आकलित राषि गलत हो तो निविदाकर्ता द्वारा दी गई दर सही मानी जाएगी।
(ग) यदि उपर्युक्त दोनों पद्धतियों में किसी से सही दर न निकले तो षब्दों में उल्लिखित दर को सही मान लिया जाएगा। (अंकों एवं षब्दों में लिखी गई निम्नतम दरों को सही मान लिया जाएगा)

4.4 <u>भूल सुधार एवं मिटाना :</u>

निविदा पत्र की किसी इंट्री में किए गए सभी भूल सुधार एवं फेरबदल के लिए दिनांक सहित हस्ताक्षर करना होगा। मिटाने या ऊपर से दुहरा कर लिखने की अनुमति नहीं है।

4.5 <u>निविदाकर्ता का हस्ताक्षर :</u>

4.5.1 निविदाकर्ता को निविदा संबंधी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, पता और व्यवसाय के स्थान का उल्लेख करना होगा और उस पर अपना प्रचलित हस्ताक्षर करना होगा। साझेदारी प्रतिश्ठानों को निविदा संबंधी सभी साझेदारों का पूरा नाम लिखना होगा। इस पर साझेदारी के नाम सभी साझेदारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करना होगा और हस्ताक्षर करने वाले का नाम और पदनाम भी लिखना होगा। निविदा कॉर्पोरेषन का हो तो उस पर अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर हो, संबंधित पावर ऑफ एटार्नी की कॉपी संलग्न हो। प्रतिश्ठान के संविधान की एक कॉपी, सभी साझेदारों के नाम समेत, भी देनी होगी।

4.6 गवाह :

गवाही और स्योरीटी ऐसे व्यक्ति की हो जिसकी अच्छी स्थिति और संपत्ति हो और हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम, पेषे और पते का उल्लेख हो।

4.7 अनुभव संबंधी विवरण :

निविदाकर्ता को यहां संलग्न प्रारूप के अनुसार दस्तावेज़ और विवरण देने चाहिए ताकि पता चले कि उसे हाल में ऐसे कार्य के सफल संपादन का अनुभव है। इसमें स्वामियों के नाम एवं साइट का विवरण भी हो। ठेके की लागत, कार्य षुरू और अंत होने की तिथि, विलंब, यदि हुआ हो, विलंब की वजह और अन्य विवरण समेत सबूत के तौर पर दस्तावेज देने होंगे। यदि किसी निविदाकर्ता के द्वारा दी गई सूचना आंषिक रूप से या पूरी तरह गलत पाई जाती है तो उस ठेकेदार की निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

5.0 निविदा दस्तावेज़ का हस्तांतरण :

किसी निविदाकर्ता को यह अनुमति नहीं है कि वह निविदा दस्तावेजों का किसी दूसरे निविदाकर्ता के नाम हस्तांतरित कर दे।

6.0 अग्रिम जमा राषि :

6.1 निविदाकर्ता को निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार अग्रिम जमा राषि का भुगतान करना होगा और निविदा के साथ उसकी कार्यालयीय रसीद भी संलग्न करनी होगी। ऐसा नहीं करने से उसकी निविदा अस्वीकृत हो सकती है। अग्रिम जमा राषि का भुगतान नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल), गुवाहाटी के नाम देय कॉल डिपॉजिट रसीद (सीडीआर), भारतीय स्टेट बैंक या अन्य किसी राश्ट्रीयकृत अनुसूचित 'ए' बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रूप में करना होगा। अग्रिम जमा राषि के बदले दी गई बैंक गारंटी निविदा खुलने की तिथि से ''छह माह'' तक मान्य रहेगी।

6.2 बैंक गारंटी का स्वामी द्वारा दिए गए प्रारूप में होना आवष्यक है। निविदाकर्ता की अग्रिम जमा राषि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ताओं की अग्रिम जमा राषि उचित समयावधि में वापस कर दी जाएगी।

6.3 सफल निविदाकर्ताओं की अग्रिम जमा राषि ठेका पूरा करने के उद्देष्य से बतौर सुरक्षा जमा रख ली जाएगी। हालांकि यदि निविदाकर्ता क्लॉज 10 के अनुसार आरंभिक सुरक्षा जमा देने में असफल रहता है और/ या 21 दिनों के अंदर कार्य षुरू करने में असफल रहता है या निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के 10 दिनों के अंदर करार पूरा करने में असफल रहता है तो अग्रिम जमा राषि ज़ब्त कर ली जाएगी।

7.0 वैधता :

निविदाकर्ताओं की निविदाएं निविदा खुलने की तिथि से छह माह की अवधि तक वैध रूप से स्वीकार्य होंगी। छह माह की इस अवधि में निविदाकर्ताओं को यह अधिकार नहीं होगा कि वे

स्वामी की लिखित अनुमति के बिना अपनी निविदा को वापस ले लें या रद्द कर दें या निविदा या उसके किसी हिस्से में परिवर्तन कर दें। स्वामी से लिखित अनुमति के बिना निविदा वापस लिए जाने या रद्द करने या उसमें किसी फेरबदल करने की स्थिति में स्वामी को अधिकार होगा कि निविदा के साथ जमा अग्रिम राषि को जब्त कर ले।

8.0 **परिषिश्ट / षुद्धिपत्र :**

8.1 निविदा दस्तावेज़ों के लिए परिषिश्ट / षुद्धिपत्र निविदा खुलने की तिथि से पहली जारी किए जाएंगे ताकि दस्तावेज़ संबंधी स्पश्टीकरण हो जाए या रूपरेखा या ठेके की षर्तों में परिवर्तन का सभी को पता चल जाए।

8.2 परियोजना प्रबंधक द्वारा जारी प्रत्येक परिषिश्ट / षुद्धिपत्र की प्रत्येक दो प्रतियां प्रति व्यक्ति या संगठन को दी जाएगी जिसे पहले ही निविदा दस्तावेज़ का एक सेट दिया जा चुका है। प्रत्येक व्यक्ति या संगठन को निविदा के साथ परिषिश्ट / षुद्धिपत्र की एक प्रति जमा करना होगा और बतौर पाबती उसकी एक हस्ताक्षरित कॉपी प्रभारी अभियंता को लौटा देना होगा। परियोजना प्रबंधन द्वारा जारी सभी परिषिश्ट / षुद्धिपत्र निविदा दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे।

9.0 **स्वामी को निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार :**

9.1 स्वामी के पास किसी निविदा को स्वीकार करने का अधिकार है। हालांकि स्वामी निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और खुद को यह अधिकार देता है कि कोई कारण बताए बिना किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार कर दे। पूरे कार्य को एक से अधिक ठेकेदारों के बीच बांटा जाता सकता है या यदि स्वामी को उचित लगे तो किसी निविदा को अंषतः (पूर्ण रूप से नहीं) स्वीकार कर ले। इन परिस्थितियों में भी निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई दरें उन्हें मान्य होंगी।

9.2 निविदा के मामले और / या दी गई षर्तों के संबंध में यदि किसी निविदा में कोई विवरण और सूचना अपूर्ण है तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9.3 निविदा के संबंध में पैरवी प्रतिबंधित है और पैरवी करने वाले निविदाकर्ताओं की निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी। अनावष्यक विवरण या अतिरिक्त षर्त के साथ दी गई निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

10.0 **सुरक्षा जमा राषि :**

निविदा स्वीकार होने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों (जिन्हें आगे ठेकेदार कहा जाएगा) को उनकी निविदा स्वीकार होने की सूचना मिलने के 10 दिनों के अंदर निविदा के स्वीकृत मूल्य का 2.5 प्रतिषत नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के नाम आरंभिक सुरक्षा जमा राषि के रूप में जमा करना होगा।

11.0 **समय सारणी :**

11.1 कार्य संपादन निविदा दस्तावेज़ के परिषिश्ट। में दी गई समय सारणी के अनुसार करना होगा। समय सारणी में निर्माण की दी गई समयावधि में मोबिलाइजेषन (आधारभूत सुविधा जुटाने) के साथ–साथ प्रभारी अभियंता के पूर्ण संतोश के अनुसार जांच, सुधार, यदि जरूरी हो, पुनः जांच और हरेक दृश्टिकोण से ठेका पूर्ण करने में लगा समय षामिल है।

11.2 प्रभारी अभियंता और ठेकेदार मिल कर कार्य संपादन के लिए संयुक्त कार्यक्रम बनाएंगे जो परियोजना की प्राथमिकताओं के अनुसार होगा। इस कार्यक्रम में 11.1 में कार्य पूरा करने में लगा समय और प्रभारी अभियंता द्वारा प्राथमिक कार्यों के लिए दिया गया समय भी षामिल है।

11.3 प्रभारी अभियंता ठेकेदार के सहयोग से मासिक/साप्ताहिक कार्यक्रम बनाएंगे जो वर्क फ्रंट की उपलब्धता और उपर्युक्त बिन्दु 11.2 के अनुसार संयुक्त निर्माण कार्यक्रम पर आधारित होगा। इन लक्ष्यों / कार्यक्रमों को इमानदारी से पूरा करने करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिकों,

निर्माण उपकरणों एवं औजारों (टैकल्स) का इस्तेमाल करेगा और कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वह समय पर अपने लिए सभी सामानों की आपूर्ति सुनिष्चित करेगा। साप्ताहिक और मासिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों और उनकी उपलब्धि के स्तर संबंधी मामलों में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और ठेकेदार को मान्य होगा।

12.0 **आंकड़ा संग्रह निविदाकर्ता का दायित्व :**
निविदाकर्ता साइट पर जाकर खुद साइट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेगा। अनजान होने या कार्य संपादन या माल परिवहन में कठिनाई की कोई दलील नहीं सुनी जाएगी।

13.0 **सेवानिवृत्त सरकारी या स्वामी के अधिकारीगण :**
स्वामी की पूर्व अनुमति के बिना राज्य/ केंद्र सरकार या स्वामी संगठन के किसी इंजीनियरिंग प्रभाग में इंजीनियरिंग या प्रषासनिक कार्य में संलग्न कोई अभियंता या राजपत्रित स्तर का कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र देने के दो वर्शों की अवधि में ठेकेदार का काम नहीं कर सकता है। यदि ठेकेदार या उसके किसी कार्मिक को कभी इस तरह का व्यक्ति पाया गया तो ठेके, यदि दे दिया गया हो, को रद्द कर दिया जाएगा बषर्ते उस व्यक्ति ने निविदा जमा करने से पहले, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य/ केंद्र सरकार या स्वामी से अनुमति नहीं ली हो, या ठेकेदार की सेवा में संलग्न हो, जो भी मामला हो।

14. **ठेका करार पर हस्ताक्षर :**
निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के 10 दिनों के अंदर सफल निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज़ के साथ संलग्न प्रोफॉर्मा में एक करार पूरा करना होगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा सुनिष्चित समय सीमा में हस्ताक्षर नहीं किए जाने की स्थिति में अग्रिम जमा राषि या उसकी आरंभिक जमा राषि जब्त कर ली जाएगी और निविदा की स्वीकृति को रद्द मान लिया जाएगा।

15. **प्रभारी अभियंता द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधन :**
15.1 क्षेत्रीय प्रबंधन प्रभारी अभियंता, स्वामी द्वारा नामित व्यक्ति, की जिम्मेदारी होती है। प्रभारी अभियंता भी अपने दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के संपादन के लिए अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकता है।
15.2 इस संबंध में ठेके की समान्य षर्तों के क्लॉज 76 का संदर्भ लिया जा सकता है।
15.3 प्रभारी अभियंता साइट पर विभिन्न एजेंसियों के कार्यों के बीच समन्वयन का काम करेगा। विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अबाध जारी रखने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य एजेंसियों के कार्यों को बाधित किए बिना साइट संबंधी निर्देषों का पूरी तरह पालन करते हुए अपने कार्य का नियोजन एवं संपदान ठेकेदार की जिम्मेदारी है।
16.0 **दर सूची पर टिप्पणी :**
16.1 दर सूची को निविदा के अन्य सभी अनुच्छेदों के तालमेल से पढ़ना चाहिए।
16.2 निविदाकर्ताओं के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने समय सीमा में संपन्न किए जाने वाले कार्य की ड्राइंग, विषेशताओं एवं विवरणों को पढ़ लिया है और साइट की स्थिति से स्वयं परिचित हो गया है।
16.3 मूल निविदा दस्तावेज़ की दर सूची के पृश्ठों की प्रतियों पर दरें अवष्य लिखी होनी चाहिए। दरों को अलग पृश्ठ पर टंकित कर प्रस्तुत करने की स्थिति में मद के विवरण या विषिश्टता में कोई अंतर अस्वीकार्य होगा। दर सूची में निविदाकर्ता द्वारा कोई अपवाद लिया जा सकता है परंतु यह प्रस्ताव के नियमों एवं षर्तों के अनुसार होगा और स्वामी द्वारा उसे स्वीकारने की कोई गारंटी नहीं होगी।

16.4 विभिन्न मदों के लिए प्रस्तुत मात्राएं एक अनुमान मात्र हैं। मात्राओं में कोई कमी या वृद्धि के आधार पर प्रस्तावित एवं स्वीकृत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हालांकि किसी मद में मात्रा में संभावित वृद्धि की सूचना कार्य संपदान से बहुत पहले प्रभारी अभियंता को दे दी जाएगी।

16.5 स्वामी को कार्य के ऐसे मदों की दरों के सामंजस्य का अधिकार है जो कम एवं अधिक मात्रा के समान मदों के बीच आते हैं।

17.0 <u>निविदा पर विचार करने की नीति :</u>

17.1 निविदा दस्तावेज़ के नियमों एवं षर्तों तथा तकनीकी विषेशताओं के अनुसार प्रस्तुत, हर तरह से पूरी, निविदा मात्र के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा। इस तरह की निविदाएं निविदा खुलने की तिथि के तुरंत बाद विचाराधीन होंगी और उस समय तक विचाराधीन रहेंगी जब तक निविदाकर्ता को स्वामी की ओर से स्वीकृति/ अस्वीकृति की कोई कार्यालयीय सूचना नहीं मिल जाती है।

17.2 स्वामी/ ईआईएल, यदि आवष्यक लगे, निविदा संबंधी स्पश्टीकरण मांग सकता है। यह स्पश्टीकरण लिखित या संचार के अन्य माध्यम, जैसी जरूरत हो, से किसी या सभी निविदाकर्ता से मांगी जा सकती है। निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुद स्वामी/ ईआईएल और उनके कार्मिक (कार्मिकों)/ प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) से विचाराधीन निविदा को लेकर किसी माध्यम से संपर्क न करें। निविदा खुलने के बाद निविदाकर्ताओं को निविदाओं की विशय–वस्तु में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

18. <u>ठेका प्रदान करना :</u>

18.1 सफल निविदाकर्ता को एक 'निविदा स्वीकृति पत्र' के रूप में निविदा स्वीकार होने की सूचना स्वामी द्वारा टेलेक्स/टेलीग्राम/फैक्स या पत्र या ऐसे किसी माध्यम से दी जाएगी।

18.2 ठेका मामले में स्वामी/ईआईएल एकमात्र निर्णायक होगा। स्वामी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। हालांकि उपर्युक्त क्लॉज 17.0 पूरा करने और ठेका दस्तावेज़ के अन्य संबंधित आवष्यकताओं के अनुसार तकनीकी–व्यावसायिक रूप से स्वीकृत निम्नतम दर के ठेकेदार को ठेका प्रदान किया जाएगा बषर्ते उसकी दरों में अनुमोदित अनुमानित दरों/ राषि से उचित अंतर हो और उन दरों पर कार्य किया जा सके।

19.0 <u>निविदा दस्तावेज़ संबंधी स्पश्टीकरण :</u>

19.1 निविदाकर्ता को चाहिए कि ठेके की तकनीकी विषेशताओं, नियमों, ड्राइंग और कार्य संबंधी अन्य विवरणों, जो ठेका दस्तावेज़ में दिए गए हैं, को अच्छी तरह देख ले और सभी नियमों एवं मामलों से भली–भांति अवगत हो जाए जो कार्य या उसकी लागत को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। यदि निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज़ की किसी विशय–वस्तु की पूर्णता या सही होने को लेकर कोई संदेह हो तो वह स्वामी/ ईआईएल को उसकी व्याख्या/ स्पश्टीकरण के लिए तीन प्रतियों में लिख सकता है। स्वामी/ ईआईएल द्वारा उसकी लिखित व्याख्या/स्पश्टीकरण की जाएगी। यह व्याख्या या स्पश्टीकरण विवरण एवं दस्तावेज़ का हिस्सा बनेगा और निविदाकर्ता को निविदा आमंत्रण में निर्धारित समय एवं तिथि के अंदर निविदा के साथ जमा करना होगा।

19.2 स्वामी/ईआईएल या उसके कार्मिक (कार्मिकों) या उसके प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया मौखिक स्पश्टीकरण और सूचना किसी प्रकार स्वामी के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

20.0 <u>स्थानीय परिस्थिति :</u>

20.1 निविदाकर्ताओं के लिए आवष्यक है कि वे स्थानीय परिस्थितियों और उन कारकों से परिचित हो जाएं जो निविदा दस्तावेज़ के अंतर्गत कार्य संपादन को प्रभावित कर सकते हैं। निविदाकर्ताओं के हित में होगा कि वे आयकर अधिनियम 1961, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय सीमा षुल्क अधिनियम 1962 और भारत के अन्य संबंधित अधिनियमों और नियमों एवं कानूनों समेत प्रोविडेंट फंड अधिनियम, भारतीय विवाद अधिनियम, ठेका मजदूर

अधिनियम और ऐसे अन्य विधेयकों एवं नियमों, उनमें नवीनतम संषोधनों जो लागू हों, से परिचित हो जाएं। स्थानीय परिस्थितियों के बारे में स्पश्टीकरण संबंधी किसी पूछताछ पर स्वामी कोई उत्तर नहीं देगा।

20.2 यह समझा और माना जाएगा कि निविदा जमा करते समय ऐसे कारक संबंधी पूरी जांच और विचार किया जा चुका है। ऐसे कारकों पर स्पश्टीकरण के अभाव के नाम कोई वित्तीय दावेदारी या अन्य समायोजन नहीं किया जाएगा।

21.0 <u>असामान्य दरें :</u>

21.1 निविदाकर्ता से उम्मीद की जाती है कि वे ठेके की सभी विषेशताओं एवं षर्तों के अनुसार किसी मद को पूरा करने की लागत के विष्लेशण के बाद ही दर का प्रस्ताव देंगे। इससे लाभ में कमी या किसी मद में कटौती या विषेशता बदल देने की स्थिति में लाभ की स्थिति नहीं आएगी। निविदाकर्ता द्वारा किसी मद में दी गई दरों का असामान्य रूप से कम या अधिक होना निविदा की अस्वीकृति का पर्याप्त कारण माना जाएगा बषर्ते निविदाकर्ता द्वारा ऐसी दरों के विष्लेशण के बाद दी गई सुरक्षा (मांगे जाने पर) के बाद स्वामी उस दर के तर्कसंगत होने के बारे में आष्वस्त हो।

अनुभाग 4

<u>सामान्य दायित्व</u>

22. <u>ठेका संबंधी दस्तावेज़ों की व्याख्या</u>

22.1 <u>सामान्य</u>

ठेके के अन्यथा प्रावधानों और दी गई सीमा तक किए गए प्रावधानों को छोड़ कर, ठेके की सामान्य षर्त और विषेश षर्तों के प्रावधानों को ठेका संबंधी अन्य किसी दस्तावेज़ की तुलना में वरीयता दी जाएगी बषर्ते ठेके में अन्यथा कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। ठेका संबंधी विभिन्न दस्तावेजों को एक दूसरे की व्याख्या के रूप में लिया जाना चाहिए। ठेका दस्तावेज़ों में कोई अंतर, असंगति, भूल या त्रुटि हो तो मामला प्रभारी अभियंता के पास दर्ज करना चाहिए। प्रभारी अभियंता इस संदर्भ में निर्णय लेंगे और ठेकेदार को निर्देष जारी करेंगे कि कार्य का किस तरह संपादन किया जाए। प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा और यही निश्कर्श माना जाएगा। ठेकेदार को इसी निर्णयानुसार काम करना होगा।

ऐसे कार्य जो ड्राइंग में प्रदर्षित, पर विवरण में उल्लिखित न हों या विवरण में उल्लिखित पर ड्राइंग में प्रदर्षित न हों, ठेका कार्य में उसी तरह षामिल माने जाएंगे मानो वे ड्राइंग में प्रदर्षित और विवरण में उल्लिखित हों।

22.2 **<u>हेडिंग और मार्जिनल नोट :</u>**

ठेका संबंधी सामान्य षर्तों या विवरणों या अन्य किसी निविदा दस्तावेजों के क्लॉज के हेडिंग और मार्जिनल नोट का एकमात्र उद्देष्य एक संक्षित संकेत देना है, न कि विशय–वस्तु का सारांष प्रस्तुत करना और उन्हें कभी भी ठेके का हिस्सा नहीं माना जाए या व्याख्या और न ही ठेका निर्माण कार्य में उनका इस्तेमाल किया जाए।

22.3 **<u>एकवचन एवं बहुवचन :</u>**

ठेका दस्तावेज़ में अन्यथा स्पश्ट उल्लेख न हो तो एकवचन का अर्थ आवष्यकतानुसार बहुवचन और बहुवचन में एकवचन षामिल हो सकता है। कार्य में उल्लिखित ''व्यक्ति'' में संबंधित कॉर्पोरेट कम्पनी/ पंजीकृत संघ/ लोगों का संगठन/ साझेदारी प्रतिश्ठान षामिल है।

23.0 **<u>ठेके की विषेश षर्तें :</u>**

23.1 ठेके की आवष्यकतानुसार ठेके की विषेश षर्तों को ठेके की सामान्य षर्तों, कार्य विवरण, ड्राइंग और ठेके से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज़ के तालमेल से पढ़ना होगा।

23.2 दस्तावेज़ के कई उपभागों और अलग–अलग अनुच्छेदों एवं खंडों में बंटे होने के बावजूद दस्तावेज़ के हरेक भाग को अन्य भाग का हिस्सा और पूरक माना जाएगा तथा उनके तालमेल से पढ़ा जाएगा, यथासंभव ठेके के अनुसार।

23.3 यदि ठेके की विषेश षर्त संबंधी कोई प्रावधान ठेके की सामान्य षर्त के किसी अंष के विपरीत हो या कुछ अलग हो तो ठेके की विषेश षर्त संबंधी प्रावधान मान्य होंगे बषर्ते कोई अन्य उद्देष्य स्पश्ट न होता हो। इस स्थिति में ठेके की सामान्य षर्त संबंधी प्रावधान के बदले विषेश षर्त संबंधी प्रावधान लागू होंगे और विपरीत या अलग होने की सीमा तक लागू होंगे।

23.4 विवरण में जहां कहीं भी यह उल्लेख हो कि ठेकेदार कोई कार्य विषेश करेगा या सुविधा देगा तो इसका अर्थ यह है कि ठेकेदार ऐसा अपनी लागत से करेगा।

23.5 यह आवष्यक है कि किसी सामान की डिज़ायन और बनावट संबंधित भारतीय मानक, यहां उल्लिखित कार्य संबंधी विवरण और संदर्भित कोड के अनुसार हो। यदि दिए गए मानक कोड और विवरण के अतिरिक्त कार्य विवरण में किसी तरह की अतिरिक्त आवष्यकता हो तो उसे पूरा करना होगा।

24.0 <u>ठेकेदार खुद सूचना एकत्र करेंगे</u>

ठेकेदार द्वारा मूल्यों के निर्धारण, जिस उद्देष्य से किया गया हो, के मामले में यह मान लिया जाएगा कि उसने अपनी निविदा तैयार करने के लिए खुद स्वतंत्र रूप से सभी सूचनाओं को हासिल कर लिया है और यह भी मान लिया जाएगा कि उसकी निविदा में इस सूचना या उसके अभाव के चलते उत्पन्न सभी अप्रत्याषित मुद्दों पर विचार कर लिया गया है। ठेकेदार को निविदा तैयार करने के उद्देष्य से निविदा दस्तावेज़ में दिए गए विवरण के सही होने की कोई गारंटी नहीं दी जाती है।

यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा दस्तावेज़ों को जांच लिया है, आम तौर पर आवष्यक सभी संबंधित मामलों, जो भी हो, की सूचना उसने खुद हासिल कर ली है जो दर सूची के अनुसार कार्य संपादन को प्रभावित कर सकती है, और ठेकेदार अपनी निविदा की पूर्णता को लेकर खुद संतुश्ट है। मात्रा संबंधी विवरण में कोई त्रुटि या गलती होने से ठेका रद्द नहीं होगा या ठेकेदार को ठेके के ड्राइंग और विवरण और दर सूची के अनुसार कार्य संपादन करने से छुटकारा नहीं मिलेगा। यह माना जाएगा कि ठेकेदार कार्यों की सीमा, प्रकृति और मात्रा के साथ–साथ सामग्रियों एवं मजदूरी आदि जरूरतों से अवगत है। यह भी माना जाएगा कि ठेका संबंधी दस्तावेज़ों में मौजूद त्रुटियों या गलतियों के बावजूद ठेकेदार को यह पता है कि ठेका दस्तावेज़ के अनुसार क्या–क्या काम करना है। यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने आसपास के क्षेत्र का दौरा कर लिया है और उसे मौजूदा सभी संरचनाओं, यदि हो, की जानकारी है और रेलमार्ग, सड़क मार्ग, पुल और कल्वर्ट, परिवहन और संचार के साधन (जमीन, जल या हवा) और उनमें संभावित बाधाओं का ज्ञान है और साइट पर प्रवेष एवं निकास का ज्ञान है। यह भी माना जाएगा कि ठेकेदार ने सैंडस्टोन, ईंट, एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धि के स्थान और बेकार सामानों को फेंकने के स्थान, आवष्यक हो तो आवासीय स्थान, डिपो और कार्य संपादन हेतु आवष्यक अन्य भवनों की जानकारी प्राप्त कर ली है। इन कार्यों को प्रभावित करने वाले कार्यों जैसे नीचे की मिट्टी, भूजल और ऐसे अन्य कारकों के बारे में भी स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल कर ली है। यह भी माना जाएगा कि ठेकेदार सरकारी करों, कस्टम और अन्य षुल्कों आदि, जो देय हों, से परिचित है।

ठेके को प्रभावित करने वाले अग्रिम कार्य या अन्य मामलों के बारे में आवष्यक और विष्वस्त जानकारी प्राप्त करने के कार्य को नजरअंदाज करने या उसमें असफल रहने या त्रुटि करने के चलते ठेकेदार को ठेके की दर सूची एवं समय सारणी के अनुसार कार्यों को पूरा करने के जोखिमों या उत्तरदायित्वों या संपूर्ण दायित्वों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी।

इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि ठेका संबंधी दस्तावेज़ के किसी हिस्से का अर्थ समझने में कोई संषय होने पर हस्ताक्षर करने से पहले ठेकेदार दो प्रतियों में स्वामी के पास उसका लिखित उल्लेख करेगा। स्वामी द्वारा ठेकेदार को आवष्यक लिखित स्पश्टीकरण दिया जाएगा। स्वामी द्वारा दिया गया स्पश्टीकरण ठेका संबंधी दस्तावेज़ों का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा।

ठेका करार करने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद स्वामी के किसी कार्मिक से प्राप्त मौखिक समझौते या बातचीत के माध्यम से हस्तक्षेप किसी प्रकार से यहां उल्लिखित षर्तों या दायित्वों को प्रभावित या संषोधित नहीं करेगा।

साइट की स्थिति या तकनीकी आवष्यकता के चलते लेआउट में कोई परिवर्तन ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा इस संदर्भ में कोई अतिरिक्त दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

25.0 **<u>सुरक्षा जमा राषि :</u>**

25.1 अतिरिक्त कार्य या अन्य किसी कारण से व्यक्ति/व्यक्तियों (यहां से आगे ठेकेदार कहा जाएगा) को निविदा के स्वीकृत मूल्य या किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य का 10 प्रतिषत, जो लागू हो, बतौर सुरक्षा जमा राषि स्वामी के पास जमा करना होगा। ठेकेदार को निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के 10 दिनों के अंदर आरंभिक रूप से ठेका मूल्य का ढाई प्रतिषत (2.5 प्रतिषत) (जिसे आरंभिक सुरक्षा जमा कहा जाता है) जमा करना होगा जबकि षेश साढ़े सात प्रतिषत (7.5 प्रतिषत) ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल से दस प्रतिषत की दर से किस्तों में तब तक काटा जाएगा जब तक ठेका मूल्य/कार्य के वास्तविक मूल्य के 10 प्रतिषत के बराबर कुल सुरक्षा जमा राषि नहीं मिल जाती है। इसके बाद बिलों से इस नाम कोई कटौती नहीं की जाएगी, नीचे क्लॉज 25.3 के अनुसार।

निविदा के साथ जमा अग्रिम जमा राषि का बतौर सुरक्षा जमा समायोजन किया जाएगा बषर्ते यह केवल डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दिया गया हो।

वैकल्पिक रूप से ठेकेदार, अपनी इच्छा से, निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के 10 दिनों के अंदर निविदा के स्वीकृत मूल्य के 10 प्रतिषत की कुल राषि को जमा कर सकता है।

25.2 ठेकेदार आरंभिक या कुल सुरक्षा जमा राषि के रूप में (क) सरकारी प्रतिभूति या किसी अनुसूची ''ए'' बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एनआरएल के पक्ष में देय) या (ख) अनुसूची ''ए'' बैंक की बैंक गारंटी (एनआरएल के पक्ष में देय) जमा कर सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वाजनिक ऋण कार्यालय द्वारा इंडोर्स करना आवष्यक है और कार्य के निकटतम ट्रेजरी कार्यालय में

भुगतान के लिए 'इनफेस' किया हो। सुरक्षा जमा, यदि नकद भुगतान प्राप्त किया जाए, को बाद में ठेकेदार के आग्रह पर ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियों या किसी अनुसूची ''ए'' बैंक के एफ.डी.आर. में परिवर्तित किया जा सकता है जिसे एनआरएल के पक्ष में विधिवत् इंडोर्स और स्वामी के पास हाइपोथिकेटेड करना होगा या एक बैंक गारंटी में परिवर्तित करना होगा – कुल 10 प्रतिषत सुरक्षा जमा की रिकवरी होने के बाद ही यह किया जा सकता है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

25.3 ठेका कार्य पूरा करने के दौरान स्वामी या अन्य किसी की संपत्ति को यदि ठेकेदार/ उप ठेकेदार या उनके कार्मिक किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाए, तोड़ दे, स्वरूप बिगाड़ दे या नाष कर दे तो ठेकेदार को खुद अपने खर्च से क्षतिपूर्ति करनी होगी और प्रभारी अभियंता अन्य एजेंसी से क्षतिपूर्ति का काम करवा सकता है और इस पर आई लागत ठेकेदार से वसूल सकता है (इस संदर्भ में प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा)।

25.4 इस ठेके की षर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा स्वामी को देय सभी मुआवजा या अन्य राषि ठेकेदार की सुरक्षा जमा के पर्याप्त हिस्से को भुनाकर या बिक्री कर काटा या भुगतान किया जाएगा या स्वामी द्वारा ठेकेदार को किसी मद, जो भी हो, में देय हो गया हो या होने वाला हो अन्य राषि उससे काटा जाएगा और ऐसी किसी कटौती या बिक्री के परिणामस्वरूप ठेकेदार की सुरक्षा जमा राषि में कमी आ गई हो तो कथित ठेकेदार को दस दिनों के अंदर नकद या बैंक गारंटी या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में देय है। स्वामी द्वारा सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज नहीं देय है।

26.0 **कार्य प्रदर्षन के लिए समय :**

26.1 **मोबिलाइजेषन के लिए समय :**

'निविदा स्वीकृति पत्र' मिलने के 21 दिनों के अंदर ठेके के अंतर्गत कार्य षुरू हो जाना चाहिए और कार्य पूरा होने संबंधी समय सूची में उल्लिखित तिथियों के अनुसार कार्य का चरण या कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ठेकेदार इस बात को ध्यान में रखे कि समय पर काम इस करार का मौलिक गुण है। निविदा खुलने के बाद समय सूची में संषोधन के आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा। 21 दिनों की उपर्युक्त अवधि को भी कार्य पूरा करने की समय सूची में षामिल रखी गई है। किसी अतिरिक्त कार्य या किसी अन्य कारण से कार्य पूरा करने की समय सूची से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।

26.2 **निर्माण की समय सूची :**

26.2.1 निविदा दस्तावेज में निर्माण की सामान्य समय सूची दी गई है। लेटर ऑफ इंटेंट या निविदा स्वीकृति की सूचना मिलने के एक माह के अंदर ठेकेदार प्रभारी अभियंता के साथ संयुक्त रूप से एक व्यापक साप्ताहिक या मासिक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। कार्य बिल्कुल समय सूची के अनुसार किया जाएगा जिसमें मोबिलाइजेषन, परीक्षण, सुधार, यदि कोई, पुनः परीक्षण और ठेका दस्तावेज़ के अनुसार सभी प्रकार से कार्य पूरा करने में लगे समय षामिल हैं। इन सभी कार्यों से प्रभारी अभियंता का पूरा संतुश्ट होना आवष्यक है।

26.2.2 ठेकेदार को उपर्युक्त समय सीमा के अंतर्गत एक विस्तृत पीईआरटी जमा करना होगा जिसमें कार्य के मुख्य क्षेत्रों की पर्याप्त विभिन्न गतिविधियों जैसे डिज़ायन, खरीद, उत्पादन, षिपमेंट और क्षेत्र में इरेक्षन के विवरण हों। निविदा स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर यह काम पूरा करना होगा। इस नेटवर्क में स्वमी द्वारा दी जाने वाली इंटरफेस सुविधाओं के साथ–साथ उन तिथियों का उल्लेख होगा जिनके अनुसार ये सुविधाएं चाहिए होंगी।

26.2.3 ठेकेदार इस नेटवर्क पर स्वामी से विचार करेगा। स्वामी को प्रस्तुत नेटवर्क या विचार के बाद संषोधित नेटवर्क, जिस पर सहमति हो, ठेके का हिस्सा होगा और उस पर निविदा स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। ठेका कार्य के दौरान यदि स्वामी को लगता है कि उचित प्रगति नहीं है तो वह ठेकेदार के परिचालन में

उचित परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यदि स्वामी को लगता है कि पूर्व सहमति के अनुसार प्रगति नहीं है और ठेके को समय पर समाप्त करने के लिए नए सिरे से देखना होगा तो स्वामी को यह छूट होगी कि ठेके को समाप्त घोशित कर दे या विलंब के लिए उपयुक्त दंड की घोशणा कर दे।

उपर्युक्त पीईआरटी नेटवर्क की नियमित समीक्षा की जाएगी और स्वामी/ईआईएल के निर्देषानुसार रिपोर्ट जमा करना होगा।

27.0 **फोर्स माज्यूर :**

दैविक प्रकोप या जन विद्रोह या सरकारी प्राधिकरणों द्वारा सुविधाओं के अधिग्रहण, युद्ध, विद्रोह, आग लगने से नाष, बाढ़, विस्फोट एवं दंगे आदि घटना के परिणामस्वरूप यदि यहां दोनों में कोई पार्टी अपने प्रदर्षन में असफल रहती है तो उस समय तक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी जो कथित कारणों से हुई हो।

28.0 **समय सीमा में विस्तार :**

यदि ठेकेदार अपरिहार्य बाधा या अन्य किसी वजह से ठेका पूरा करने के लिए समय सीमा में विस्तार चाहता है तो बाधा उपस्थित होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर उसे इसकी लिखित सूचना प्रभारी अभियंता को देनी होगी जिसमें उस बाधा का उल्लेख हो जिसके चलते अधिक समय चाहिए और प्रभारी अभियंता को यदि बाधा के कारण उचित दिखे तो उतना अधिक समय दे सकता है (जो अंतिम रूप से मान्य होगा) जो उसकी राय में आवष्यक या उचित है और जिसके चलते स्वामी पर कोई अतिरिक्त लागत/जिम्मेदारी नहीं आएगी।

29.0 **विलंब के लिए मुआवजा (आर्थिक क्षति) :**

29.1 कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गई समय सीमा का पालन करना होगा। संपूर्ण ठेका अवधि में निरंतर ध्यानपूर्वक कार्य करना होगा (क्योंकि समय पर काम ठेके के लिए बहुत अहम है)। समय सूची के अनुसार हरेक सप्ताह कार्य की अपूर्णता के नाम प्रभारी अभियंता (जिसका लिखित आदेष मान्य होगा) द्वारा तय ठेका मूल्य का 1 प्रतिषत या एक मामूली मुआजवजा देना होगा। मुआवजा ठेका मूल्य का अधिकतम 15 प्रतिषत हो सकता है जिसके पष्चात् ठेके के प्रावधानों के तहत प्रभारी अभियंता द्वारा समयावधि संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

29.2 कार्य संपादन के दैरान अच्छी प्रगति सुनिष्चित करने के लिए ठेकेदार इसके लिए बाध्य होगा कि ऐसे सभी कार्यों, जिनके लिए तय समय सीमा एक माह से अधिक हो, के पांचवें हिस्से को ठेके में दिए गए समय के चौथे हिस्से से पहले पूरा कर ले। इस षर्त को पूरा करने में असफलता की स्थिति में ठेकेदार को उपर्युक्त दर से मुआवजा देना होगा। लेकिन मुआवजा देने के बावजूद ठेकेदार को समय पर काम करने के दायित्व या अन्य किसी दायित्व और ठेके के अंतर्गत किसी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं माना जाएगा।

30.0 **मुआवजा स्वरूप देय राषि को उचित मुआवजा माना जाए, वास्तविक क्षति जो भी हो :**

30.1 किसी परिस्थिति में क्षतियों के उचित पूर्वानुमान के अनुसार मुआवजा स्वरूप देय सभी राषियों को उचित मुआवजा माना जाए, वास्तविक क्षति या हानि जो भी सहना पड़ा हो।

31.0 **स्वामी को सुरक्षा जमा राषि ज़ब्त करने का अधिकार है :**

ठेके की निविदा के तहत यदि ठेकेदार द्वारा किसी राषि के भुगतान का मामला बनता है तो स्वामी को अधिकार है कि ठेकेदार की अंषतः या पूर्णतः सुरक्षा जमा राषि से यह राषि

प्राप्त कर ले। सुरक्षा जमा राषि अपर्याप्त होने पर या ठेकेदार से सुरक्षा जमा राषि नहीं लिए जाने की स्थिति में षेश या कुल राषि, जो लेना हो, उस समय या कालांतर में ठेकेदार को देय राषि से काट लिया जाए। ठेकेदार को स्वामी द्वारा मांगे जाने पर षेश राषि का भुगतान करना होगा।

32.0 **<u>ठेके की षर्तों को पालन करने में ठेकेदार की असफलता :</u>**

32.1 यदि कोई ठेकेदार ठेके में उल्लिखित समय या विस्तृत समय सीमा के अंतर्गत आवष्यक जतन से किसी काम या उसके किसी भाग को पूरा करने से मना करता है या उसमें असफल रहता है या ठेके के किसी दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है या फिर ठेके के किसी प्रावधान का किसी प्रकार उल्लंघन करता है तो स्वामी को यह विकल्प है कि ठेकेदार को निम्नलिखित की लिखित सूचना दे दे :

(क) ठेके का निर्धारण : इस स्थिति में ठेका निरस्त, और स्वामी द्वारा निर्धारित तिथि से लागू एवं प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसके बाद कथित ठेकेदार अन्य किसी ठेकेदार के साथ जारी कार्य को रोक देगा बषर्ते स्वामी किसी संपत्ति या कार्य या किसी इन्स्टॉलेषन की सुरक्षा के उद्देष्य से पूरा करने का लिखित आदेष न दे। आगे स्वामी कथित ठेकेदार के षेश बचे कार्य को नए ठेकेदार या अन्य किसी माध्यम से ठेकेदार की लागत और जिम्मेदारी से पूरा करवा सकता है। स्वामी द्वारा हाथ में ले लिए गए इस कार्य को पूरा करने की अतिरिक्त लागत, मात्रा एवं दर/मूल्य संबंधी सूची के अनुसार, के लिए ठेकेदार या उसके स्योरीटी, यदि हों, जिम्मेदार होंगे।

(ख) ठेके के निर्धारण बिना ठेकेदार के किसी कार्य या उसके किसी भाग को स्वामी द्वारा अपने हाथ में लिए जाने और उसे नए ठेकेदार या अन्य किसी माध्यम से पुराने ठेकेदार की लागत और जोखिम संबंधी जिम्मेदारी से पूरा करना। स्वामी द्वारा हाथ में ले लिए गए इस कार्य को पूरा करने की अतिरिक्त लागत के लिए ठेकेदार या उसके स्योरीटी, यदि हों, जिम्मेदार होंगे।

32.2 <u>उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न होने पर :</u>

(क) इस स्थिति में स्वामी को ठेकेदार की पूरी या आंषिक सुरक्षा जमा राषि को किसी पूर्वाग्रह बिना ज़ब्त करने का अधिकार है। उपर्युक्त सब–क्लॉज के अनुसार ठेकेदार से अतिरिक्त लागत वसूली का भी अधिकार है। स्वामी को यह अधिकार भी है कि ठेकेदार के उपकरणों एवं उसकी सामग्रियों, साइट पर उपलब्ध, पर अधिकर कर ले और उस कार्य या उसके किसी भाग को पूरा करने में आवष्यकतानुसार उनका उपयोग कर ले। ठेकेदार को इन उपकरणों एवं संयंत्र एवं सामग्रियों के उपयोग या क्षतिग्रस्त होने के नाम किसी मुआवजे का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ख) ठेकेदार द्वारा पूरे किए गए कार्य के नाम देय राषि ठेका रद्द होने की तिथि से 6 कैलेंडर माह की समाप्ति के बाद या स्वामी द्वारा कार्य के पूर्णतः या अंषतः अधिग्रहण करने तक भुगतान नहीं किया जाएगा। इस अवधि में इस कार्य संबंधी खराब सामग्री या खराब वर्कमैनषिप के मामले में पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की रहती है। ठेकेदार को देय इस राषि से ठेके की षर्तों के तहत ऐसी कोई राषि काट ली जाएगी जिसके लिए स्वामी अधिकृत है या जिसे सुरक्षित रखना या स्वामी के पास रखना आवष्यक है।

32.3 ठेके के निर्धारण से पूर्व स्वामी के न्याय–विवेक से ठेकेदार को एक मौका दिया जाएगा कि वह स्वामी द्वारा दी गई सूचना में उल्लिखित समय में गलती को सुधार ले

बषर्ते ठेकेदार की गलती/ गलतियों में सुधार की संभावना है। स्वामी द्वारा इस संदर्भ में एक लिखित सूचना दी जाएगी।

32.4 स्वामी को यह भी अधिकार है कि ठेकेदार के विरुद्ध उपर्युक्त विधि से कार्यवाही करे यदि ठेकेदार दिवालिया या इनसॉल्वेंट हो जाए या अपने क्रेडिटर्स के साथ 'कम्पाउण्ड' हो जाए, अपने क्रेडिटर्स के पक्ष में ठेके को सौंप दे यदि ठेकेदार कम्पनी या कॉरपोरेषन हो, जो स्वैच्छिक रूप से लिक्विडेषन की प्रक्रिया में हो। इस स्थिति में स्वामी के लिए ठेकेदार को पूर्व सूचना देने की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी।

32.5 उपर्युक्त सब–क्लॉज 32.1 (क) में ठेका रद्द करने संबंधी प्रावधान के अनुसार इस कार्यवाही से स्वामी का कोई अधिकार पूर्वाग्रहग्रस्त या प्रभावित नहीं होगा जो रद्द होने की तिथि तक संचित हो गया हो।

33.0 <u>ठेके की षर्तों को पालन करने में ठेकेदार की असफलता के क्लॉज 32.0 के बावजूद कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में ठेकेदार मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार होगा :</u>

क्लॉज 32 के तहत स्वामी को प्राप्त अधिकारों में कोई, जो प्रयोग योग्य था पर जिनका प्रयोग नहीं किया गया, अधिकार के प्रयोग नहीं किए जाने का अर्थ यहां उल्लिखित किसी षर्त से छूट नहीं होगा और इन अधिकारों का आगे भी, यदि ठेकेदार कोई गलती करता है, प्रयोग किया जा सकता है यदि संबंधित किसी क्लॉज़ या कई क्लॉज़ के तहत उसे अपनी संपूर्ण सुरक्षा राषि के बराबर मुआवजा देन होगा जबकि ठेकेदार की अतीत एवं भविश्य की जिम्मेदारियां अप्रभावित रहेंगी। उप–क्लॉज़ 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 एवं 32.5 के तहत स्वामी को प्राप्त अधिकार के प्रयोग से यदि स्वामी चाहे तो साइट या काम की जगह पड़े ठेकेदार के उपकरणों, और संयंत्रों, सामग्रियों एवं बची हुई सामग्रियों पर अधिकार कर सकता है। इसके बाद ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने के उद्देष्य से खरीदे गए सामानों या उनके हिस्सों को और इसलिए उनके लिए ठेकेदार के खातों में भुगतान किया जाएगा या उन समानों पर बाजार मूल्य नहीं लागू होने की स्थिति में प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित मूल्य अंतिम रूप से मान्य होगा – अन्यथा प्रभारी अभियंता ठेकेदार, ठेके के क्लर्क, फोरमैन या अन्य अधिकृत एजेसियों को लिखित सूचना देगा कि उपकरणों, और संयंत्रों, सामग्रियों एवं बची हुई सामग्रियों को (निर्धारित समय सीमा के अंदर) उठा ले। इसमें ठेकेदार के असफल रहने पर, आवष्यकता पड़ने पर, प्रभारी अभियंता ठेकेदार के खर्च और उसकी जिम्मेदारी से सामानों की निजी तौर पर बिक्री या नीलामी कर सकता है और इस संदर्भ में बिक्री की तिथि, समय या स्थान की कोई सूचना नहीं दी जाएगी। और इस तरह सामान हटाने के मामले में प्रभारी अभियंता के प्रमाण पत्र और बिक्री से प्राप्त राषि और बिक्री पर खर्च के मामलों में अंतिम रूप से मान्य होगा।

34. <u>संरचना में परिवर्तन :</u>

ठेकेदार 'पार्टनरषिप फर्म' हो तो स्वामी की पूर्व अनुमति से ही फर्म की संरचना में परिवर्तन किया जा सकता है। ठेकेदार के व्यक्ति विषेश या अविभाजित हिन्दू परिवार का व्यावसायिक प्रतिश्ठान होने पर उपरोक्त अनुमोदन आवष्यक होगा जब ठेकेदार अन्य पार्टियों से ऐसा कोई करार करता है जिसके तहत नई संरचना के साथ फर्म को ठेकेदार के इस कार्य को पूरा करने का अधिकार होगा। दोनों स्थितियों में यदि उपरोक्त अनुमति नहीं ली गई तो इस ठेके को क्लॉज़ 40 (।) का उल्लंघन माना जाएगा और इसी क्लॉज़ में उल्लिखित कार्यवाही एवं परिणाम होंगे।

35.0 <u>मृत्यु की स्थिति में ठेके का अंत :</u>

ठेकेदार कोई व्यक्ति विषेश या प्रोपराइटरी प्रतिश्ठान हो और उस व्यक्ति या प्रोपराइटर की मृत्यु हो जाए या ठेकेदार एक पार्टनरषिप हो और उसके एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए और स्वामी को इस बात की संतुश्टि न हो कि उस व्यक्ति या प्रोपराइटरी प्रतिश्ठान का कानूनी प्रतिनिधि या जीवित पार्टनर कार्य के अपूर्ण भाग को पूरा कर सकता है तो स्वामी को ठेका रद्द करने का अधिकार है और ऐसा करने के नाम मृत ठेकेदार और/ या ठेकेदार के फर्म के जीवित पार्टनर को कोई मुआवजा भी नहीं देय है। इस संदर्भ में स्वामी द्वारा किया गया आकलन अंतिम और मान्य होगा।

36.0 **स्वामी संगठन के सदस्यगण व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं :**

स्वामी संगठन का कोई निदेषक या कार्मिक/ ईआईएल का इंजीनियर ठेके के तहत स्वामी के किसी कार्य या दायित्व को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य या जिम्मेदार नहीं होगा और यहां उल्लिखित किसी कार्य, मामलों या चीजों के संदर्भ में भूल या चूक या ऐसे किसी काम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

37.0 **किसी व्यक्ति विषेश द्वारा दिए गए विवरण को लेकर स्वामी बाध्य नहीं है**

किसी व्यक्ति विषेश द्वारा प्रस्तुत विवरण, व्याख्या, वक्तव्य या कथित तौर पर दिए गए विवरण, वचन या गारंटी के आधार पर ठेकेदार को ठेका मूल्य में वृद्धि करने का अधिकार या अन्य कोई अधिकार या दावा, जो भी हो, नहीं मिल जाता है।

38.0 **ठेकेदार का ऑफिस साइट :**

ठेकेदार को साइट पर एक ऑफिस बनवाना और बरकरार रखना होगा जहां उसके एजेंट और स्टाफ रहेंगे तथा यह ऑफिस उचित समयावधि तक खुला रहेगा ताकि वहां आवष्यक निर्देष, सूचना दी जा सके या संपर्क किया जा सके। ठेकेदार को हमेषा एक साइट इंस्ट्रक्षन बुक रखना पड़ेगा और संबंधित दिषानिर्देषों के अनुपालन की जानकारी समय–समय पर प्रभारी अभियंता को देना होगा और सभी दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखना पड़ेगा और कार्य समापन के बाद सौंप देना पड़ेगा।

39.0 **ठेकेदार के अधीनस्थ कर्मचारीगण और उनके आचरण :**

39.1 काम प्रदान करने के दौरान या उसके बाद इस प्रकार के कार्य के पर्याप्त अनुभवी सुयोग्य इंजीनियर का नाम बता कर उसे तैनात करना होगा जिसे कार्य संबंधी उपकरण, सामग्रियां, यदि कोई, और निर्देष दिए जाएंगे। ठेकेदार को कार्यों के संपादन एवं निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे सुयोग्य कर्मचार, सक्षम सब–एजेंट, फोरमैन और अगुआ कार्मिकों (विषेश कर ठेके में उल्लिखित किस्म के कार्यों की इस तरह निगरानी में पहले से संलग्न हों कि कार्य सर्वश्रेश्ठ स्तर का, और तेजी से हो) की आपूर्ति भी करनी होगी जो प्रभारी अभियंता की राय में संतोशजनक हों। यदि प्रभारी अभियंता की राय में अतिरिक्त संख्या में सुपरवाइजरी स्टाफ की आवष्यकता होगी तो ठेकेदार को उनकी बहाली करनी होगी और इसके नाम अतिरिक्त लागत नहीं देय होगा। प्रभारी अभियंता की संतुश्टि के लिए ठेकेदार को ही यह सुनिष्चित करना होगा कि उप–ठेकेदार, यदि हों, सौंपे गए कार्यों की सक्षम और प्रभावी निगरानी रखेंगे।

39.2 प्रभारी अभियंता की राय में यदि और जब कभी ठेकेदार या उपठेकेदार का कोई एजेंट, सब–एजेंट, सहायक, फोरमैन, या अन्य कर्मचारी किसी दुर्व्यवहार का दोशी या चोरी में लिप्त या अक्षम या कम योग्य या काम के प्रति लापरवाह पाया जाता है या स्वामी या प्रभारी अभियंता की राय में प्रषासनिक या अन्य किसी कारणवष ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य में संलग्न रहना अवांछित पाया जाता है तो ठेकेदार, प्रभारी अभियंता के निर्देष पर, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को तुरंत सेवामुक्त कर देगा। इस तरह सेवामुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रभारी अभियंता की लिखित अनुमति के बिना इस कार्य में पुनः बहाल नहीं किया जा सकता है। इस

तरह सेवामुक्त व्यक्ति की जगह तुरंत ठेकेदार को एक सुयोग्य एवं सक्षम व्यक्ति की बहाली करनी होगी। यदि ठेकेदार से बर्खास्त व्यक्ति को वापस घर भेज देने का आग्रह किया जाएगा तो ठेकेदार अपने खर्च से यह काम करने को बाध्य होगा।

39.3 ठेकेदार सभी स्टाफ, फोरमैन, श्रमिक, और अन्य लोगों के उचित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा और इसलिए उन सभी पर समुचित नियंत्रण रखेगा। साथ ही, सामान्य निर्देषों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह विषेश कर यह भी सुनिष्चित करेगा कि कोई कर्मचारी उल्लंघन का कोई काम न करे और न ही ऐसा कोई काम करे कि समाज या संपत्तियों या स्थानीय लोगों की जमीन और पड़ोसियों की संपत्तियों को कोई क्षति पहुंचे या अहित हो। उल्लंघन के ऐसे किसी कार्य का जिम्मेदार स्वयं ठेकेदार होगा और इसलिए वह स्वामी को इस संबंध में किसी प्रकार की दावेदारी या क्षति पूर्ति या जख़्म या अन्य किसी वजह से क्षति के मामले में मुक्त रखेगा। इस क्लॉज के तहत उठने वाले किसी मामले में प्रभारी अभिंयता का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। ठेका पूरा करने के सिलसिले में ठेकेदार के स्टाफ आदि की तैनाती के नाम खर्च के लिए खुद ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

39.4 यदि और जब भी स्वामी को जरूरत हो उसके परिसर में आने वाले ठेकेदार के कार्मिकों की पहचान के लिए एक ऐसा बैज़ दिखना होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और जो स्वामी के लिए स्वीकार्य हो। स्वामी के परिसर में सदैव बैज़ पहनना आवष्यक होगा। परिचालन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वामी के परिसर पर प्रवेष के लिए ठेकेदार को अपने स्टाफ/कार्मिकों के लिए प्रति दिन प्रवेष–पत्र लेने होंगे। चूंकि सुरक्षा के लिए ये आवष्यक हैं इसलिए इस मामले में ठेकेदार को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

40.0 <u>कार्य का उप–ठेका :</u>

प) ठेके के किसी हिस्से या षेयर या उसमें निहित हित, जो भी हो, को किसी प्रकार या किसी मात्रा में स्वामी की लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति, प्रतिश्ठान या कॉरर्पोरेषन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, सौंपा नहीं जा सकता है या उपठेके पर नहीं दिया जा सकता है।

पप) <u>अस्थायी कार्यों के लिए उप–ठेका :</u>

साइट पर कार्य के किसी हिस्से को उप–ठेके पर पूरा करने के लिए स्वामी अपनी लिखित सहमति दे सकता है बषर्ते ठेकेदार ने प्रभारी अभियंता के समक्ष प्रत्येक उप–ठेके को प्रस्तुत किया हो और प्रभारी अभियंता की पूर्व सहमति के बाद ही उप–ठेके का करार किया हो।

पपप) <u>उप–ठेकेदारों की सूची प्रदान करना :</u>

हरेक मासिक सर्वेक्षण के आरंभ में ठेकेदार को सभी उप–ठेकेदारों या ठेकेदार द्वारा नियुक्त अन्य लोगों या प्रतिश्ठानों, जो पिछले माह साइट पर कार्यरत रहे, की एक सूची प्रभारी अभियंता को सौंपना होगा। साथ ही, उप–ठेके के सामान्य स्वरूप और उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी देना होगा।

पअ) <u>उप–ठेकेदार की नियुक्ति से ठेकेदार की जिम्मेदारी सीमित नहीं हो जाती :</u>

उपुर्यक्त विधि से अनुमति लेने और प्रभारी अभियंता को उप–ठेके की कॉपी मिल जाने के बावजूद कार्यों की गुणवत्ता, उनके सही और तीव्र संपादन और ठेके की सभी षर्तों को पूरा करने के लिए ठेकेदार और केवल ठेकेदार उसी तरह जिम्मेदार होगा जैसा कि उप–ठेका नहीं दिए जाने की स्थिति में होता और जैसा कि ठेकेदार ने स्वयं यह कार्य पूरा किया हो।

अ) <u>स्वामी उपठेका समाप्त करने का निर्देष दे सकता है :</u>

यदि साइट पर किसी कार्य के लिए उपठेका दिया जाता है जा प्रभारी अभियंता की राय में ठेके की षर्तों के अनुसार नहीं हो रहा हो तो स्वामी ठेकेदार को यह निर्देष दे सकता है कि उपठेका

समाप्त कर दे और उपठेकेदार को बर्खास्त कर दे और इसके बाद उपठेकेदार को कार्य छोड़ कर जाना होगा जो नहीं करने पर स्वामी को उसे साइट से हटाने का अधिकार होगा।

अप) इस क्लॉज के अंतर्गत की गई कार्यवाही के चलते कोई छूट नहीं

इस क्लॉज के अंतर्गत की गई कार्यवाही के चलते ठेकेदार को उसके किसी दायित्व में कोई छूट नहीं मिलेगी – उसे कोई मुआवजा या समय विस्तार या अन्यथा कोई सुविधा भी नहीं मिलेगी। और इसमें ठेकेदार के असफल रहने पर स्वामी को साइट से कथित उपठेकेदार को हटाने का अधिकार रहेगा।

41.0 **ठेकेदार के कार्य में दखलंदाजी का अधिकार :**

यदि ठेकेदार ठेका संबंधी दस्तावेज़ में पहले से निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्य नहीं करता है या यदि वह प्रभारी अभियंता की राय में किसी समय :

प) ठेके के दस्तावेज़ के अनुसार कार्य संपादन करने में असफल रहता है, या

पप)कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में असफल रहता है या

पपप) प्रभारी अभियंता की अनुमति के बिना 14 दिनों तक कार्य को मोटे तौर पर स्थगित रखता है या

पअ) कार्य का संपादन इस तरह नहीं करता कि प्रभारी अभियंता को संतोशजनक लगे, या

अ) ठेकेदार पर्याप्त या उपयुक्त निर्माण संयंत्र, अस्थायी संयंत्र, श्रम, मेट, रेल या अन्य संबद्ध सामानों की आपूर्ति में असफल रहता है, या

अप) प्रभारी अभियंता द्वारा ठेके के प्रावधनों के उल्लंघन की सूचना दिए जाने के 14 दिनों के बाद भी खुद उल्लंघन में लिप्त रहता है या उल्लंघन सहता है या उसकी अनुमति देता है और प्रतिकार का कोई प्रयास न करता है, या

अपप) ठेकेदार बीच में ही काम छोड़ देता है या

अपपप) ठेकेदार कार्य के दौरान दिवालिया हो जाता है, अपने क्रेडिटरों की संरचना में फेरबदल कर देता है या किसी कार्य पर प्रभार लगने देता है या अनिवार्यता या स्वेच्छा से लिक्विडेषन में चला जाता है (अमलगेमेषन या पुनर्संरचना के लिए लिक्विडेषन छोड़ कर) तो स्वामी को कथित ठेकेदार के कार्य को अधिकार में लेने का अधिकार है और वह (स्वामी) कथित ठेके से संबंधित सामग्रियों, अस्थायी संयंत्रों, निर्माण संयंत्रों, और भंडार सामग्रियों को अधिकार में लेने का अधिकारी है जिसके उपरांत स्वामी कथित सामानों के उपयोग संबंधी ठेकेदार की लाइसेंस रद्द कर सकता है और अन्य एजेंट, अन्य ठेकेदार या श्रमिकों से वह काम पूरा करवा सकता है या फिर वही काम दुबारा किसी व्यक्ति, प्रतिश्ठान या कॉर्पोरेषन को अपने नियमों और षर्तों पर सुपुर्द कर सकता है। ठेके से संबंधित सामग्रियों, अस्थायी संयंत्रों, निर्माण संयंत्रों, और भंडार सामग्रियों के उपयोग को लकर स्वामी अपने पूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है और प्रभारी अभियंता द्वारा लिखित रूप से प्रमाणित सामग्रियों को छोड़ कर ठेकेदार को उसकी सामग्रियों के उपयोग के लिए कोई भुगतान नहीं कर सकता है। कथित ठेकेदार से संबंधित सामग्रियों, अस्थायी संयंत्रों, निर्माण संयंत्रों, और भंडार सामग्रियों के उपयोग या उसके चलते किसी हानि या क्षति के लिए स्वामी कोई भुगतान नहीं करेगा या छूट नहीं देगा और यदि स्वामी द्वारा कार्य पर अधिकार कर लिए जाने की वजह से किसी दूसरे ठेकेदार द्वारा कार्य संपादन होता है तो प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित वह अतिरिक्त राषि ठेकेदार को देय किसी भी राषि से काट ली जाएगी जिसके लिए ठेकेदार ने काम पूरा कर दिया है और भुगतान नहीं हुआ है। स्वामी की क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार के निर्माण संयंत्रों, सामग्रियों आदि, जो ठेकेदार के हों या उसके द्वारा निर्मित हों, की स्वामी की राय में उपयुक्त विधि से बिक्री की जा सकती है और इस तरह प्राप्त राषि से पूर्णतः या अंषतः क्षतिपूर्ति कर ली जाएगी।

42.0 **मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, इंटरकम्युनिकेषन सिस्टम, एयरकंडिषनिंग के ठेकेदार और अन्य एजेंसियों के प्रति ठेकेदार के दायित्व :**

किसी षर्त का उल्लंघन किए बिना सिविल कंस्ट्रक्षन में लगे ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, एयरकंडिषनिंग, इंस्ट्रूमेंटेषन, इंसुलेषन, पेंटिंग के ठेकेदारों और अन्य एजेंसियों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के तालमेल और उनके समन्वयन के साथ इस तरह कार्य करे कि सभी दीवार, स्लैब, बीम और कॉलम आदि पर आवष्यक ग्रूव, रिसेस, कट और ओपनिंग मिले और दिए गए विवरण के अनुसार कार्य पूरा किया जा सके, जहां भी आवष्यक हो, उचित ढंग से बिजली, इंटरकम्युनिकेषन के केबल, कंडुइट, एयरकंडिषनिंग इनलेट और आउटलेट ग्रिल और उपकरणों आदि को बदला जा सके। फॉल्स सीलिंग और अन्य पार्टिषन में उपरोक्त आवष्यकताओं के मद्देनजर कार्यारंभ से पहले ठेकेदार इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंटरकम्युनिकेषन, एयरकंडिषनिंग के ठेकेदारों और अन्य एजेंसियों के साथ सलाह–मषविरे के बाद संयुक्त रूप से एक योजना पेष करेगा जिसमें आवष्यक ओपनिंग, ग्रूव्स, रेसेस, कट्स को दिखाया जाएगा और उपरोक्त के कार्यों को पूरा करने की पद्धति और फिनिषिंग प्रभारी अभियंता को दिखाया जाएगा और उसका अनुमोदन प्राप्त किया लाएगा। प्रभारी अभियंता के समक्ष योजना के अंतिम स्वरूप को रखने से पहले अन्य सभी एजेंसियों से लिखित करार किया जाएगा। प्रभारी अभियंता भी अनुमोदन, किसी संषोधन के साथ, देने से पूर्व एजेंसियों से अंतिम सहमति हासिल कर लेगा जो बाध्यकारी होगा। उपरोक्त के नाम किसी दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठेकेदार किसी स्थानीय या विधिवत् गठित प्राधिकरणों या सरकारी संगठनों के किसी वैधानिक नियामकों, अध्यादेषों या उप नियमों के प्रावधानों का हर प्रकार से पालन करने को बाध्य होगा जो समय–समय पर ठेकेदार के कार्य या संबद्ध अस्थायी कार्य पर लागू रहेंगे। ठेकेदार द्वारा स्वामी को उन सभी हर्जानों और हरेक प्रकार के दायित्वों से मुक्त रखा जाएगा जो इन वैधानिक नियामकों, कानूनों, नियमों आदि के अनुपालन के अभाव में उत्पन्न होते हैं।

43.0 <u>साइट पर कार्यरत अन्य एजेंसियां :</u>

ठेकेदार को ऐसे स्थान और स्थिति में काम करना होगा जहां अन्य एजेंसियां भी अन्य कार्यों में लगी होंगी। उपरोक्त परिस्थितियों में कार्य करने के नाम पर किए गए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

44.0 <u>सूचना :</u>

इसके अंतर्गत ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को कार्य की साइट पर या ठेकेदार द्वारा दिए गए पते पर सीधे पंजीकृत डाक के माध्यम से कोई सूचना दी जा सकती है। सूचना जारी किए जाने के प्रमाण से इस तथ्य की पुश्टि होगी कि ठेकेदार को सूचना की विशय–वस्तु की विधिवत् जानकारी मिल गई है।

45.0 <u>विभिन्न लाभार्थियों के अधिकार :</u>

प) स्वामी को अधिकार है कि किसी कार्य को एक से अधिक एजेंसियों के बीच वितरित कर दे। ठेकेदार को अन्य एजेंसियों को सहयोग करना होगा और उन्हें उनके कार्य तक पहुंचने का रास्ता देना होगा तथा सामग्रियों के भंडारण और उनके कार्य के संपादन का अवसर भी देना होगा।

पप) जहां कहीं भी स्वामी के किसी विभाग द्वारा या स्वामी द्वारा नियुक्त अन्य एजेंसियों द्वारा काम किया जा रहा हो, इस ठेके के तहत कार्य से संबद्ध हो, विभिन्न लाभार्थियों के अधिकारों का निर्धारण प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाएगा ताकि कार्य के विभिन्न हिस्सों को सामान्य तालमेल के साथ पूरा किया जा सके।

46.0 <u>पेटेंट और रॉयल्टी :</u>

46.1 इस ठेके को पूरा करने के लिए यदि ऐसे किसी उपकरण, मषीन, सामग्री या इस्तेमाल या आपूर्ति होने वाले किसी संबद्ध सामग्री या पद्धति और प्रक्रिया के लिए किसी पेंटेंट के तहत ठेकेदार के पास लाइसेंस है तो उसे सभी संबद्ध रॉयल्टी और लाइसेंस षुल्क का भुगतान करना होगा। और इस ठेके को पूरा करने के लिए यदि ऐसे किसी उपकरण, मषीन, सामग्री या इस्तेमाल या आपूर्ति होने वाले किसी संबद्ध सामग्री या पद्धति और प्रक्रिया के लिए किसी पेंटेंट के तहत आवष्यक लाइसेंस ठेकेदार के पास नहीं है तो यह जरूरी है कि ऐसे किसी उपकरण, मषीन, सामग्री या इस्तेमाल या आपूर्ति होने वाले किसी संबद्ध सामग्री या पद्धति और प्रक्रिया का लाभ लेने से पहले ठेकेदार कथित पेंटेंट के तहत लाइसेंस प्राप्त कर ले और सभी संबद्ध रॉयल्टी और लाइसेंस षुल्क का भुगतान करे जो इस ठेके को पूरा करने के लिए जरूरी है। इस तरह की रॉयल्टी देने या लाइसेंस लेने में असफल रहने के चलते कथित पेटेंट के उल्लंघन को लेकर ठेकेदार या स्वामी के नाम की गई कानूनी कार्यवाही और इस मुकदमें के निर्णयानुसार तय हर्जाने और षुल्क का भुगातन ठेकेदार को करना होगा। ठेकेदार को जैसे ही यह पता चलेगा कि स्वामी द्वारा उपयोग किए गए किसी संयंत्र में प्रयुक्त उपकण, मषीन, सामग्रियां, प्रक्रिया, आपूर्त पद्धति के चलते कानूनी कार्यवाही संभव है तो वह स्वामी को अविलंब इस बात की सूचना देगा। ठेकेदार इसके लिए सहमत है और स्वामी को यह अधिकार देता है कि इस ठेके को पूरा करने के दौरान या उसके परिणामस्वरूप उसके /ठेकेदार/ या उसके किसी कार्मिक द्वारा किए गए किसी आविश्कार का किसी देष में रॉयल्टी मुक्त उपयोग करे। स्वामी को प्राप्त यह अधिकार स्वामी की सहायक कम्पनियों को भी स्वतः मिल जाता है और इस अधिकार को वापस नहीं लिया जा सकता है।

46.2 ठेका कार्य या अस्थायी कार्य या उसके किसी भाग/स्वामी द्वारा देय सामग्रियों को छोड़ कर/ को पूरा करने के लिए ली गई सामग्रियों पर देय रॉयल्टी, टॉल, किराया, चुंगी, टर्मिनल या बिक्री कर और/ या अन्य षुल्क या अन्य लेवी का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

46.3 ठेकेदार इस कार्य के उद्देष्य के अतिक्ति साइट से बालू, पत्थर, पांक, बैलास्ट, चट्टान या ऐसे अन्य सामान या कार्य के उद्देष्य से की गई खुदाई या निर्माण या उत्पादन से प्राप्त सामग्रियों की बिक्री या अन्य माध्यम से साइट से नहीं हटा सकता है। ये सभी सामान, सामग्रियां, निर्माण और उत्पाद स्वामी के होंगे जिन्हें ठेकेदार प्रभारी अभियंता की अनुमति से कार्य पूरा करने के उद्देष्य से प्रभारी अभियंता द्वारा तय दरों से भुगतान कर ठेकेदार उपयोग कर सकता है।

46.4 ठेकेदार किसी पेटेंट अधिकार के उल्लंघन को लेकर ठेकेदार पर किए गए दावों से स्वामी को सुरक्षित रखेगा और उसे किसी तरह क्षति नहीं होने देगा भले ही दावा यह भी हो कि स्वामी के किसी कार्य विषेश के दौरान, स्वामी द्वारा तैयार डिज़ायन के चलते और संयंत्र के संचालन के दौरान कथित उल्लंघन हुआ। यदि कोई ठेकेदार किसी उप ठेकेदार से कोई करार करता है तो इस क्लॉज़ के आलोक में ठेकेदार को उस उप ठेकेदार से यह वचन लेना होगा कि पेटेंट अधिकार की सुरक्षा के मामले में वह (उप ठेकेदार) भी स्वामी को उसी तरह सुरक्षित रखेगा जिस तरह क्लॉज़ 46.1 के प्रावधानों के अनुसार खुद ठेकेदार सुरक्षित रखने को बाध्य है।

47.0 **लियंस** :

47.1 यदि कभी ऐसे किसी लियन या दावे के लिए स्वामी के जिम्मेदार होने का प्रमाण मिलता है जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है तो स्वामी को यह अधिकार है कि ठेकेदार को उस समय या बाद में देय राषि से वह रकम रख ले जिससे स्वामी कथित लियन या दावे का पूरी तरह निपटान कर सके और यदि यह लियन या दावा मान्य है तो स्वामी उसके लिए उचित भुगतान कर अपना दायित्व पूरा कर सकता है और उस समय या बाद में ठेकेदार को देय राषि से वह

रकम काट सकता है। ठेकेदार के सभी भुगतान के बाद यदि कोई लियन या दावा बच जाता है तो ठेकेदार स्वामी को वह राषि वापस कर देगा या उसका भुगतान कर देगा जो स्वामी द्वारा कथित लियन या दावा निपटान के लिए आवष्यक है। इस राषि में सभी संबद्ध खर्च भी षामिल हैं। स्वामी के पास यह अधिकार सुरक्षित है।

47.2 सभी सामग्रियों और स्थापना, परीक्षण एवं कार्य चालू करने के लिए ठेकेदार द्वारा लाए गए उपकरणों समेत सभी उपकरणों पर स्वामी का लियन रहेगा।

47.3 अंतिम भुगतन तब तक नहीं होगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा प्रभारी अभियंता को सभी लियन को पूरी तरह रिलीज़ या सौंप नहीं दिया जाता है जो ठेकेदार के करार से उत्पन्न हो या हो सकता हो या प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में ठेकेदार द्वारा यह पूर्णतः प्रमाणित नहीं किया जाए कि लियन के अनुसार मजदूरी, सामग्री, सेवा के सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है और यदि प्रभारी अभियंता को जरूरत पड़ी तो किसी हाल में यह हलफनामा देना होगा कि ठेकेदार की जानकारी या उसे प्राप्त सूचना के अनुसार इन भुगतानों में सभी मजदूरी और सामग्री के भुगतान षामिल हैं जिनके लिए लियन फाइल किया जा सकता है।

47.4 स्वामी द्वारा अंतिम प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद 2 वर्षों की अवधि के लिए ठेकेदार स्वामी को सभी प्रकार के लियन और अन्य भारों से मुक्त रखेगा जो कथित तौर पर ठेकेदार को ऋण या दावा के नाम उप ठेकेदार समेत किसी व्यक्ति को स्वामी की ओर से देय है और ऐसे किसी दावे या कानूनी लड़ाई के लिए ठेकेदार अपने खर्च से स्वामी के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ेगा। अंतिम प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि से 2 वर्षों की समाप्ति के बाद भी उप ठेकेदार समेत किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी या ठेकेदार पर किए गए नए दावों या संबंधित कानूनी लड़ाई के खिलाफ ठेकेदार ही बचाव पक्ष होगा या अपने खर्च से कानूनी लड़ाई को संतोशजनक ढंग से पूरा करेगा।

48.0 **स्वामी या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा विलंब के मामले :**

48.1 स्वामी या उसके अधिकृत एजेंट के किसी कार्य या चूक से यदि ठेकेदार के कार्य में विलंब होता है तो ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए उचित समय विस्तार दिया जाएगा। यह समय सीमा स्वामी की चूक से हुए विलंब के अनुसार बढ़ाई जाएगी।

48.2 इस तरह के विलंब और समय विस्तार के नाम ठेके की लागत में कोई समायोजन नहीं किया जाएगा, बषर्ते निविदा में यह उल्लेख हो कि परिस्थिति विषेश में स्वामी को निर्धारित समय सीमा में ठेकेदार से काम पूरा करवाने का अधिकार है। इस परिस्थिति में ठेकेदार को यह प्रावधान करना होगा कि उसके कार्मिक निर्धारित कार्य अवधि से अतिरिक्त जैसे रविवार एवं छुट्टियों के दिन भी काम करें और लक्षित समय सीमा में ही कार्य पूरा कर लें।

49.0 **ठेका रद्द करने पर भुगतान :**

49.1 ठेका रद्द करने पर स्वामी ठेकेदार को उन राषियों या मदों का भुगतान करेगा जो रद्द करने की तिथि से पहले ठेकेदार द्वारा पूर्ण और प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए पहले ही ठेकेदार को की गई भुगतान राषियों में षामिल नहीं है। कथित राषि का भुगतान ठेके के तहत निर्धारित दरों और मूल्यों के अनुसार किया जाएगा और यह निम्नलिखित के अतिरिक्त होगा :

क) वह राषि जो किसी आरंभिक मदों में किए गए कार्य या सेवा के नाम देय है और प्रभारी अभियंता ने उस कार्य या सेवा के समुचित हिस्सा को इस तरह प्रमाणित कर रखा है कि वे आंषिक रूप से पूर्ण किए जा चुके हैं।

ख) ठेके के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए ठेकेदार द्वारा किया गया कोई अतिरिक्त खर्च बषर्ते वह प्रभारी अभियंता द्वारा विधिवत् अनुमोदित हो स्वामी द्वारा भुगतान किए जाने की स्वीकृति हो। हालांकि इस भुगतान के लिए ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त खर्च किए जाने का कागजी प्रमाण आवष्यक है।

49.2 ठेकेदार को स्वामी के निर्देषानुसार अधिकार (टाइटल) का हस्तांतरण करना होगा और निम्नलिखित को प्रदान करना होगा :

क) कोई और सभी पूर्ण कार्य

ख) ठेकेदार द्वारा विषेश तौर पर किए गए कार्य, ठेकेदार के कार्यों से संबंधित कार्य जो आंषिक रूप से पूरा किए जा सके जैसे ड्राइंग, सूचना और ठेका संबंधी अधिकार।

50.0 <u>अधिकारों के संबंध में कोई छूट नहीं</u>

स्वामी, स्वामी के किसी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंट द्वारा निरीक्षण किए जाने या स्वामी या ईआईएल द्वारा पूरे या आंषिक कार्य को स्वीकार कर भुगतान आदेष दिए जाने, अधिक समय दिए जाने या स्वामी द्वारा किसी कार्य को हस्तगत किए जाने से ठेके के किसी प्रावधान संबंधी कोई छूट ठेकेदार को नहीं मिल जाती है, स्वामी का करार के तहत कोई अधिकार नहीं समाप्त होता है, किसी क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं समाप्त होता है और न ही इस करार के उल्लंघन संबंधी किसी छूट को किसी अन्य या आगामी उल्लंघन के लिए छूट माना जा सकता है।

51. <u>प्रमाण पत्र से स्वामी के अधिकार एवं ठेकेदार के दायित्व प्रभावित नहीं होंगे</u>

स्वामी द्वारा अंतरिम भुगतान के लिए दिए गए प्रमाण पत्र या स्वामी द्वारा इस नाम भुगतान की कोई कोई रकम, या स्वामी द्वारा कार्य पूरा करने के लिए दिए गए अतिरिक्त समय से स्वामी का अधिकार किसी तरह प्रभावित या ठेकेदार के पक्ष में नहीं हो जाएगा या इस आधार पर ठेकेदार विधिवत् ठेका पूरा करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएगा या फिर इसे कार्य/कार्यों के पूरा हो जाने या सामग्रियों की आपूर्ति हो जाने का अनुमोदन नहीं माना जाएगा और इस तरह दिये गए किसी प्रमाण पत्र से स्वामी फेरबदल, संषोधन, रूप परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य (स्वामी द्वारा लिखित रूप से आदेष नहीं होने के बावजूद) के नाम भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं हो जाएगा और ठेकेदार ऐसी किसी क्षतिपूर्ति के नाम भुगतान करने से मुक्त नहीं हो जाएगा जो विधिवत् सुनिष्चित किया गया हो या प्रमाणित हो या नहीं, और ठेकेदार उस राषि के भुगतान से भी मुक्त नहीं हो जाएगा जिसके लिए वह स्वामी को मुक्त रखने को बाध्य है।

52.0 <u>भाशा एवं माप :</u>

ठेका के सभी कागजात जैसे विवरण, अनुसूचि, सूचना, पत्राचार, परिचालन एवं देखभाल, निर्देष, ड्राइंग्स या अन्य कोई लिखित जानकारी अंग्रेजी भाशा में होगी। माप–तौल की मीट्रिक पद्धति लागू रहेगी बषर्ते ठेके में अन्यथा उल्लेख न हो।

53.0 <u>अधिकार (टाइटल) का हस्तांतरण :</u>

53.1 ठेकेदार द्वारा आपूर्त सामानों पर स्वामी का तब तक औपचारिक अधिकार (टाइटल) नहीं होगा जब तक कि 'प्रदर्षन परीक्षण' और 'गारंटी परीक्षण' पूरा करने के बाद अंतिम प्रमाण पत्र प्रदान कर सामानों को स्वामी अंतिम रूप से स्वीकार नहीं कर लेता है।

53.2 हालांकि ये सभी कार्य स्वामी के पास लियन रहेंगे, स्वामी द्वारा अग्रिम या उत्तरोत्तर भुगतान के साथ ठेकेदार द्वारा यथाषीघ्र पूरे किए जाएंगे और ठेकेदार ठेके के उद्देष्य के अतिरिक्त इनका लाभ नहीं ले सकता है।

54.0 <u>सूचना सार्वजनिक करना :</u>

स्वामी से पूर्व लिखित सूचना के बिना ठेकेदार इस ठेके से संबंधित सूचना किसी को नहीं दे सकता है या उसका विज्ञापन, प्रचार–प्रसार, बिक्री के उद्देष्य से किसी माध्यम, फोटो या अन्य तरीके से पेष नहीं कर सकता है और न ही साइट के आकार–प्रकार, संबंधित मात्रा, गुणवत्ता, या कार्य संबंधी अन्य जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता है।

55.0 **<u>ब्रांड नाम :</u>**

किसी सामग्री संबंधी विवरण एवं कागजात में कसी ब्रांड विषेश का ट्रेड नाम, मेक या कैटलॉग नंबर से उल्लेख करने का अर्थ यह है कि वह एक मानक या गुणवत्ता और प्रदर्षन का स्तर मान लिया गया है न कि इससे प्रतिस्पर्धा सीमित की गई है। हालांकि निविदाकर्ता ऐसे उपकरण पेष कर सकते हैं बषर्ते वे मानक स्तर, डिज़ायन और प्रदर्षन की षर्तों को पूरा करते हों।

56.0 **<u>ठेका समापन :</u>**

बषर्ते अन्य किसी संबद्ध क्लॉज़ के तहत ठेका समापन न हो जाए निर्धारित समय अवधि पूरा होने के बाद ठेका करार के तहत ठेके को समाप्त मान लिया जाएगा।

57.0 **<u>कल–पुर्जे</u>** :

57.1 ठेकेदार द्वारा स्वामी को संयंत्र चालू करने के लिए सभी कल–पुर्जे, अनुषंसित और/ या अनिवार्य, दिए जाएंगे जो उत्पादक/आपूर्तिकर्ता के अनुसार आवष्यक/अनिवार्य हैं। साइट पर इनकी आपूर्ति संयंत्र चालू करने से 3 माह पहले कर दी जाएगी।

ठेकेदार को जल्द खराब होने वाले कल–पुर्जों के उत्पादन ड्राइंग भी देने होंगे।

57.2 ठेकेदार स्वामी को इस बात की गारंटी भी देगा कि यदि उपकरण, संयंत्र एवं मषीनों के उत्पादक को दिए गए उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन बंद करना पड़ता है तो ठेकेदार इस संबंध में स्वामी को बारह (12) माह की अग्रिम सूचना देगा ताकि यदि स्वामी चाहे तो एकमुष्त कल–पुर्जे (स्पेयर) खरीद कर रख ले।

खंड-5

कार्य का सम्पादन

58.0 <u>कार्य का सम्पादन:</u>

सभी कार्यों का सम्पादन, ठेका दस्तावेज के प्रावधान, विस्त्रित नक्शा तथा विशिष्टीकरण के अनुरूप एवं प्रभारी-अभियंता के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश के आलोक में होगा यदि कोई प्रावधान आवश्यक हो पर ठेका में उल्लेख न भी हो तो कार्य-निष्पादन पूरी विशिष्टता, उचित कार्यकुशलता तथा गुणवत्तायुक्त निर्माण सामग्री के साथ प्रभारी-अभियंता के पूर्ण संतुष्टि के अनुसार होगा.

ठेकेदार को सभी आवश्यक सामग्री, उपकरण तथा मजदूर कार्य सम्पादन तथा रख-रखाव हेतु कार्य-समाप्ति तक ठेके की शर्त के अनुसार उपलब्ध कराना होगा.

59.0 <u>कार्यों का समन्वय एवं निरीक्षण:</u>

ठेका के अंतर्गत दैनिक कार्यों का निरीक्षण एवं समन्वय प्रभारी-अभियंता की जिम्मेदारी होगी. किसी विशिष्ट कार्य से संबन्धित लिखित निर्देश प्रभारी-अभियंता या अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा निर्गत किया जाएगा. हर एक खंड के लिए एक कार्य आदेश पुस्तिका ठेकेदार के द्वारा रखा जाएगा जिसमें पूर्वकथित तथा कथित निर्देश को प्रविष्ट किया जाएगा. इन्हें ठेकेदार या अधिकार-प्राप्त प्रतिनिधि द्वार 12 घंटा के अन्दर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा.

60.0 <u>विशिष्टिकरण, रूपांकण एवं अतिरिक्त कार्यों में रूपांतरण (अल्टरेशंस):</u>

60.1 इस ठेका के अंतर्गत का कार्य जो कि ठेकेदार के द्वारा लगभग फॉर्म कीमत/मद-दर को उल्लेख के आधार पर निष्पादन करना है, स्वामी कोई भी ठेका मूल्य या समय वृद्धि के रूप में कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा जो ठेकेदार के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाए. उपकरणों के प्रधान भागों की या अन्य मशीनों की विशिष्टता या आकार में बढोतरी, का लिखित अनुरोध स्वामी द्वारा ठेकेदार को किये जाने पर कार्य का क्षेत्र बढ सकता है. ऐसी स्थिति में ठेकेदार द्वारा उचित समय पर (तीस दिनों के अन्दर पूर्ण डाटा तथा मूल्य गणना द्वारा स्वामी को परिवर्तन आदेश की पूर्व स्वीकृति हेतु अनुरोध कर सकेगा .

60.2 प्रभारी- अभियंता को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह अनुसूचित दरों, मूल्य, विशिष्टीकरण, नक्शा, रूपांतरण तथा निर्देश में किसी प्रकार का रूपांतरण, त्याग या योग या प्रतिस्थापन कर सकते हैं जो उन्हें कार्य संपादन के समय में आवश्यक या सलाह योग्य लगे. ठेकेदार इन परिवर्तनों को मानने के लिये बाध्य होगा. इससे ठेके की मान्यता खत्म नहीं होगी. मुख्य कार्य की ठेका की शर्त की तरह ही इस परिवर्तन को भी ठेकेदार मानेंगे. प्रभारी अभियंता का निर्देश का पालन आवश्यक होगा. किसी खास कार्य के लिये, जिसमें परिवर्तन प्रभारी अभियंता द्वारा किया गया हो, प्रभारी अभियंता के विवेक के अनुसार उसमें समय-वृद्धि की जा सकती है.
निम्न प्रावधानों के अनुसार इन परिवर्तनों के फलस्वरूप दर की गणना की जा सकेगी –

ए <u>मद दर ठेका के लिए:</u>
(अ) यदि ठेका में योग, रूपांतरण या प्रतिस्थापन कार्य का उल्लेख हो तो ठेकेदार इन अतिरिक्त रूपांतरण या प्रतिस्थापन की दर को ठेका दर के आधार पर निष्पादन करने के लिए बाध्य होंगे.

(ब) यदि ठेका के इन अतिरिक्त योग या रूपांतरण या प्रतिस्थापन का कोई विशेष उल्लेख नहीं हो तो समान कार्य से विशिष्टता के अनुरूप दर का निर्धारण किया जा सकेगा. प्रभारी- अभियंता की राय इस संबन्ध में अंतिम होगी तथा ठेकेदार के लिये बाध्यता होगी.

यदि इस अतिरिक्त योग या रूपांतरण या प्रतिस्थापन कार्य की उपधारा (अ) तथा (ब) जो ऊपर वर्णित है, के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सके तब ठेकेदार प्रभारी- अभियंता के द्वारा कार्य कराने के आदेश निर्गत की तिथि से सात दिनों के अन्दर दर गणना के द्वारा दर का दावा कर सकता है. प्रभारी- अभियंता दर का निर्धारण प्रचलित बाजार दर, अनुसूचित मजदूर दर पर मजदूर–खर्च तथा ठेकेदार के निरीक्षण, अतिरिक्त खर्च (ओवरहेड) तथा मुनाफा वगैरह को ध्यान में रखते हुए 15% सामग्री भाग का अतिरिक्त खर्च जोड़ते हुए, के आधार पर करेगा. निर्माण सामग्री के सामयिक तथा प्रति इकाई माप में मजदूरों की संख्या बाजार दर के संबन्ध में प्रभारी - अभियंता की राय अंतिम होगी तथा ठेकेदार को मानने की बाध्यता होगी.

(ड) यदि नामित विशेषज्ञ अभिकर्ता, प्रभारी- अभियंता द्वारा अनुमोदित, के द्वारा कार्य कराना हो तो वैसी स्थिति में, कार्य संपादन का वास्तविक खर्च में 10%, ठेकेदार के आकस्मिक, अतिरिक्त तथा मुनाफा वास्ते, जोड़कर दर का निर्धारण प्रभारी- अभियंता द्वारा किया जाएगा.
(इ) उपधारा (अ) से (ड) तक में वर्णित प्रावधान निम्न परिस्थिति में लागू नहीं होगा :
जहाँ नया मद जोड़ने का मूल्य के साथ रूपांतरण, योग, लोप या प्रतिस्थापन का मूल्य ठेका मूल्य के +- 25% के अंतर्गत आता हो. अनुसूचित दर के मद दर इस प्रकार के सभी परिवर्तन पर उस सीमा के बीच लागू होगी. जहाँ नया मद जोड़ने तथा रूपांतरण, योग/लोप/ प्रतिस्थापन का मूल्य ठेका मूल्य के +- 25% से अधिक हो पर निम्न सीमा के अंतर्गत हो, तो इस बढोतरी/घटोतरी का भुगतान निम्न आधार पर किया जाएगा:

क्रमांक	अंतर का श्रेणी	परस्पर संबन्धित कार्य श्रेणी की मूल्य में घटोतरी का प्रतिशत
(अ)	(+)25% से अधिक और (+)50% तक	अनुसूचित दर में कोई बढोतरी या घटोतरी लागू नहीं होगी (बढोतरी दर लागू होगी)
(ब)	(-) 25% से ऊपर तथा (-) 50% तक	ठेका मूल्य के 5% बढोतरी (-)25% तथा (-) 50% के बीच के अंतर पर मान्य होगी. इसका मूल्यांकण इस प्रकार होगा : 5%(दिये गये ठेका मूल्य का 75% घटाव वास्तविक निष्पदित कार्य, अतिरिक्त मद के साथ)

ɯ लमसम ठेका के लिये:
कार्य आदेश के प्रति प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ठेकेदार जिस मद/ कार्य की दर को संशोधित कराना चाहेगा उसको दर विश्लेषण के साथ प्रभारी-अभियंता के पास दावा करना होगा तथा प्रभारी-अभियंता प्रचलित बाजार, अनुसूचित मजदूर दर के आधार पर मजदूर खर्च तथा 15% (ठेकेदार का निरीक्षण, अतिरिक्त खर्च और मुनाफा को ध्यान में रखते हुए) अतिरिक्त दर का निर्धारण करेगा. सामग्री की समसामयिक बाजार दर तथा प्रति इकाई माप में मजदूरों की संख्या की गणना के सम्बन्ध में प्रभारी-अभियंता की राय अंतिम होगी तथा ठेकेदार को मानने की बाध्यता होगी.

61.0 रविवार तथा छुट्टी दिन का कार्य:
रविवार तथा छुट्टी के रोज कार्य कराने हेतु ठेकेदार को कम से कम दो दिन पूर्व में ही प्रभारी-अभियंता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष पहुंचकर लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी.
ठेकेदार को सभी मजदूर कानून तथा अन्य सभी कानून एवं अधिनियम का ध्यान रखना होगा. यदि किसी प्रकार के कानून पालन में अवहेलना होती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी ठेकेदार की

होगी तथा स्वामी का कोई दायित्व नहीं होगा.

62.0 <u>निर्माण के लिये सामान्य शर्तें</u>:

62.1 कार्य करने का समय सप्ताह में 48 घंटा है. जरूरत पड़ने पर ओवरटाइम भी दिया जा सकता है परंतु स्वामी द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी. दिन में 2 या 3 शिफ्ट कार्य आवश्यक समझा जाएगा. ठेकेदार को इस बात को कोटेशन दर बनाने में ध्यान रखना चाहिए.

कार्य समय के उपरांत कार्य कराने हेतु ठेकेदार को प्रभारी-अभियंता या उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क स्थापित कर पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा.

62.2 ठेकेदार को काम करनेवाले की इस प्रकार व्यवस्था करनी होगी कि कार्य में या किसी मद में किसी कारणवश विलम्ब होने पर भी मजदूर कार्यरत रहे. स्वामी किसी प्रकार के मजदूर के बैठे रह जाने की क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार नहीं करेंगे.

62.3 ठेकेदार नियमित अवधि पर कार्य प्रगति का प्रतिवेदन समर्पित करेंगे. कार्य प्रगति प्रतिवेदन फार्मेट ठेका प्राप्ति के बाद आपस में सहमति से बनाया जाएगा. प्रभारी-अभियंता के निर्देश के अनुसार ठेकेदार कार्यस्थल पर कार्यप्रगति तथा मजदूर क्षमता दिखाते हुए प्रदर्शन पटल (डिस्प्ले बोर्ड) लगाएंगे.

63.0 <u>स्वामी के द्वारा नक्शा उपलब्ध कराना</u>:

63.1 ठेका दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शा केवल निविदा के लिए निर्गत होगा. इस नक्शा का उद्देश्य है कि निविदादाता को स्वामी की आवश्यकता की जानकारी मिल सके. इसमें किसी प्रकार के निर्माण के अनुमोदन तथा निविदा नक्शा के परिवर्तन की स्थिति में ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा. निर्माण का कार्य नक्शा/विशिष्टीकरण कार्य निष्पादन की अवधि में प्रभारी-अभियंता द्वारा किया जाएगा. विस्तृत निर्माण नक्शा, जिसके आधार पर वास्तविक निर्माण कार्य होगा, ठेकेदार को उपलब्ध कराया जाएगा, जो कार्य अवार्ड के पश्चात निर्माण प्रगति के आधार पर होगा.

63.2 विस्तृत कार्यकारी नक्शा कार्यप्रगति के दरम्यान समय-समय पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके आधार पर वास्तविक कार्य का निष्पादन होगा. ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पूरे नक्शे को कार्य आरम्भ होने से पहले समझ लेंगे तथा कोई भिन्नता या असंगति पाए जाने पर इसे प्रभारी-अभियंता को ध्यान में दिया जाएगा .

63.3 सभी विस्तृत कार्यकारी नक्शा ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल कार्यालय में रखा जाएगा तथा प्रभारी-अभियंता को कार्य निष्पादन अवधि में किसी भी समय जरूरत पड़ने पर उपलब्ध कराया जाएगा. कार्य समाप्ति के बाद प्रभारी-अभियंता द्वारा निर्गत नक्शा तथा अन्य कागजात स्वामी को ठेकेदार द्वारा लौटा दिया जाएगा.

64.0 <u>ठेकेदार द्वारा नक्शा आपूर्तिः</u>

64.1 नक्शा/आँकड़ा जो ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराना है, ठेका की विशेष शर्त में उल्लेखित, समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराना होगा.

64.2 जहाँ नक्शे का अनुमोदन / समीक्षा, कार्य निष्पादन / उत्पादन / निर्माण/ फैब्रिकेशन के पूर्व निर्दिष्ट हो तो वैसी स्थिति में ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह प्रभारी-अभियंता के दिशा-निर्देश के आलोक में वह नक्शा प्राप्त कर ले तथा उसका अनुमोदन कार्य निष्पादन/ उत्पादन / निर्माण/ फैब्रिकेशन जो भी स्थिति हो, के पूर्व करा लेंगे. इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन यदि कार्य निष्पादन के दरम्यान आवश्यक हो जाए तो प्रभारी-अभियंता के संतुष्टि के अनुरूप इसे तैयार कर लेना होगा तथा इसमें कोई अतिरिक्त खर्च मान्य नहीं होगा. सभी पूर्ण तथा कार्यकारी नक्शा पर ठेकेदार तथा प्रभारी-अभियंता का हस्ताक्षर एवं मोहर हो.

योजना की सत्यता का प्रमाण पत्र

करार संख्या -------------------------------------

हस्ताक्षर ------------------ ----------------------

(ठेकेदार) (प्रभारी-अभियंता)

64.3 ठेकेदार से प्राप्त नक्शा की समीक्षा प्रभारी अभियंता द्वारा की जायेगी तथा किसी प्रकार के रूपांतरण या संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर तीन सप्ताह के अन्दर ठेकेदार द्वारा इसका रूपांतरण या संशोधन किया जायेगा. ठेकेदार इस रूपांतरण या संशोधन के पश्चात उस नक्शे को पुनः अनुमोदन के लिये प्रभारी अभियंता को समर्पित करेंगे. इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने से ठेका निष्पादन अवधि में परिवर्तन नहीं होगा.

64.4 ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उत्पादक / निर्माता का नक्शा, किसी उपकरण की आपूर्ति लेने पर, प्रभारी अभियंता को उप्लब्ध करायें.

64.5 एक निर्मित नक्शा जो सभी संशोधन तथा समायोजन को दर्शाता हो, ठेकेदार द्वारा, छः प्रति में स्वामी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा एक पारदर्शक प्रति भी अभिलेख हेतु उपलब्ध कराया जायेगा.

64.6 ठेकेदार द्वारा नक्शा /उत्पादनकर्ता की सूची (कैट्लोग), ओपरेटिंग मैनुअल, प्रभारी अभियंता को उपलब्ध कराया जायेगा. यदि इन कागजात/दस्तावेज को समर्पित करने में ठेकेदार असफल हो जाते हैं तो इसकी एक निश्चित राशि को (जो स्वामी के विवेक पर होगा) ठेकेदार विपत्र से रोक कर रख लिया जायेगा या प्राप्त कर लिया जायेगा.

65.0 <u>कार्य का व्यवस्थापनः</u>

65.1 प्रभारी अभियंता ठेकेदार को सिर्फ कार्य-स्थल का चार कोना तथा लेबल, बेंच मार्क उपलब्ध करायेगा. ठेकेदार कार्य का सेटिंग करेगा तथा दक्ष कर्मचारी इस कार्य के लिये रखेगा जो कि उस

सेटिंग के लिये जवाबदेह होगा.

65.2 ठेकेदार सभी तरह के सांचा, खुंटी, लेबल मार्क, प्रोफाइल तथा अन्य सदृश्य वस्तु का निर्धारण करेगा तथा सभी आवश्यक सावधानी बरतेगा जो उसके अलगाव या रूकावट या अन्य परिणाम के लिये जवाबदेह होगा. ठेकेदार सभी सर्वे कार्य हेतु निर्मित सर्वे मार्क, बाउंड्री मार्क; दूरी मार्क तथा सेंटरलाईन मार्क के लिये जवाबदेह होगा. कार्य का सेटिंग प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुसार होगा.

65.3 कार्य आरम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को अपने खर्च पर सभी सामग्री जैसे पोस्ट, लेबल पोस्ट, खुंटी, झंडा, रेजिंग रोड्स इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी तथा इसे प्रभारी अभियंता के मान्य स्तर का रखना होगा. सेंटर, फेस लाइन, क्रॉस लाइन तथा अन्य सभी लाइन को मेसोनरी पीलर के सहायता से निर्धारित किया जायेगा. सभी पीलर के ऊपर बीच केन्द्र में एक मार्क बनाया जायेगा जिसपर थियोडोलाइट को सेट किया जा सकेगा. जब तक सभी बिन्दु का निर्धारण तथा प्रभारी अभियंता का अनुमोदन प्राप्त नहीं होगा तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं होगा. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल पर लेआउट की पूरी जाँच के लिये पूरी व्यवस्था जैसे मजदूर, सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुविधा हो.

65.4 जिस पीलर पर जिओडेटिक मार्क अंकित हो उसकी सुरक्षा घेरा द्वारा ठेकेदार द्वारा किया जाएगा.

65.5 कार्य समाप्ति के बाद ठेकेदार को जिओडेटिक कागजात, जिसके अनुसार कार्य हुआ हो, समर्पित कर देना होगा.

66.0 <u>लेवल तथा एलायनमेंट की जवाबदेही:</u>

66.1 ठेकेदार सभी हॉरीजेंटल तथा वर्टिकल एलायनमेंट निर्धारण लिए जवाबदेह होगा. ठेकेदार लेवल तथा कार्य के सभी भाग की शुद्धता के लिए जवाबदेह होगा. यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी शुद्ध्ता या त्रुटि निवारण के लिए भी वह जिम्मेवार होगा. यह त्रुटि निवारण ठेकेदार अपने खर्च पर करेगा. इस संबंध में प्रभारी अभियंता निर्देश भी निर्गत करेगा.

67.0 <u>ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री की आपूर्ति:</u>

67.1 ठेकेदार निर्माण सामग्री जैसे एम.एस् रोड्स, सीमेंट तथा अन्य निर्माण सामग्री, औजार, प्लांट तथा अन्य उपकरण को कार्य पूरा करने तथा रखरखाव करने हेतु प्राप्त करेगा. कुछ निर्माण सामग्री स्वामी द्वारा भी निर्गत किया जायगा या व्यवस्था की जायगी. स्वामी ऐसे पदार्थों की आपूर्ति चाहेगा जिस पर आई.एस.आई. मार्क अंकित हो तथा जो प्रसिद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई हो.

67.2 ठेकेदार सभी निर्माण सामग्री जो खरीदा गया हो या निर्गत किया गया हो, का स्थल भंडारण इस प्रकार करेगा कि इसका बचाव वर्षा, हवा, सूर्य किरण, चोरी इत्यादि से हो सके. इस भंडारण का उद्देश्य है- उचित और तेज कार्य निष्पादन. ठेकेदार इन सभी सामग्रियों का प्रचुर भंडारण करेगा जिसकी आवश्यकता हो.

67.3 ठेकेदार के भंडार से किसी सामग्री को प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के बिना नहीं निकाला

जायगा.

68.0 स्वामी द्वारा भंडार सामग्री की आपूर्ति /निर्माण सामग्री/उपकरण की सुरक्षाः

68.1 यदि किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशेष भंडार सामग्री की आवश्यकता हो तो उसे या तो प्रभारी अभियंता उपलब्ध करायेंगे या जरुरी हो तो ठेकेदार को ये सामग्री खरीदने की बाध्यता होगी तथा ये सामग्री वे सिर्फ ठेका कार्य में उपयोग करेंगे. स्वामी द्वारा आपूर्ति की गई भंडार सामग्री की मूल्य की राशि ठेकेदार की चालू विपत्र की राशि से वसूल की जायगी.. यह वसूली सामग्री की वास्तविक खर्च पर आधारित होगी. कार्य की समाप्ति के बाद ठेकेदार को स्वामी द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री की पूर्ण राशि वास्तविक खर्च के आधार पर ठेका से संबंधित धारा के अंतर्गत समायोजन करना होगा.

68.2 स्वामी द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की गई भंडार सामग्री मूल्य ठेकेदार के लेखा से अनुसूचित दर पर वसूल कर ली जायगी. यदि सामग्री अनुसूचित दर से बाहर मद का हो तो वैसी स्थिति में बाजार दर पर ढुलाई भाड़ा मूल्य एवं अन्य खर्च सहित वसूल की जायगी. स्वामी द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की गई भंडार सामग्री स्वामी की संपति रहेगी और स्थल के लेखा से हटाया नहीं जायगा तथा प्रभारी अभियंता के निरीक्षण के लिये सभी समय खुला रहेगा. कार्य समाप्ति या ठेका समाप्ति के बाद भंडार सामग्री सुरक्षित रूप से ठेकेदार अपने खर्च पर स्वामी के भंडार में पहुंचायेंगे या प्रभारी अभियंता के निर्देशित जगह पर पहुंचायेंगे.

69.0 सामग्री निर्गत करने की शर्तें:

1. स्वामी द्वारा निर्दिष्ट सामग्री का निर्गत स्वामी के भंडार से स्वामी को की जायेगी. यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह भंडार सामग्री को अपने खर्च पर भंडार से प्राप्त कर लोडकर कार्य स्थल तक ले जायें तथा वहां अनलोड कर अपने भंडार में सुरक्षित रखें. सामग्री का निर्गत कार्यकाल की अवधि या फिर स्वामी के नियमानुसार समय समय पर होगी.

2. जब एक बार स्वामी द्वार भंडार सामग्री का निर्गत ठेकेदार को हो जायेगी तो इसके बाद इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी.

3. स्वामी द्वारा निर्दिष्ट सामग्री आपूर्ति की व्यवस्था स्वामी द्वारा मानक(स्टैंडर्ड्) आकार में उत्पादनकर्ता से प्राप्त कर की जायेगी.

4. ठेकेदार कार्यस्थल पर एक उपयुक्त गोदाम का निर्माण करेगा तथा उसमें सामग्री को वर्षा, नमी, आद्रता, आग, चोरी इत्यादि से सुरक्षित रखेगा. इसकी सुरक्षा के लिये वह चौकीदार की बहाली करेगा.

5. यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि स्वामी के भंडार से सामग्री निर्गत के समय वह सामानों का निरीक्षण कर सामग्री अच्छी स्थिति में होने को आश्वस्त हो ले. एक बार स्वामी के भंडार से सामग्रियों के निर्गत हो जाने के बाद ठेकेदार का पूर्ण दायित्व होगा कि वह इन सामग्रियों को सुरक्षित रखे. यदि किसी प्रकार की क्षति या नुकसान होता है तो ठेकेदार इसकी क्षतिपूर्ति अपने खर्च पर प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार करेंगे.

6. जिन सामग्रियों की आपूर्ति स्वामी द्वारा की जानी है उनकी आपूर्ति में प्राकृतिक आपदा या दुश्मनी या यातायात बाधा या प्राप्ति में दिक्कतें या ऐसी परिस्थिति जो स्वामी के नियंत्रण से बाहर हो, के कारण यदि कोई विलम्ब या असफलता होती है तो इसके लिये ठेकेदार को स्वामी से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या हानि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा.

7. यह ठेकेदार का उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वामी द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों के अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति समय पर कर ले. यदि ठेकेदार कार्य निष्पादन काल में सामग्री की व्यवस्था करने में असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता स्वामी के भंडार में यदि उपलब्ध हो तो उसकी आपूर्ति कर देगा और यदि उपलब्ध नहीं हो तो बाजार या अन्य साधन से व्यवस्था कर उपलब्ध करायेंगे. ऐसी स्थिति में ठेकेदार को प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित दर को मानने की बाध्यता होगी. इसका मतलब ये नहीं कि ठेकेदार को सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी समाप्त हो जायगी.

8. यदि ठेकेदार को कोई सामग्री की आपूर्ति उत्पादनकर्ता से लेनी हो तो तैयार रूप में मानक उत्पादनकर्ता से ही प्राप्त करेंगे.

9. यदि प्रभारी अभियंता की ईच्छा हो तो ठेकेदार को सामग्री की सुरक्षा के लिये एक इनडेमनिटि बौंड भी भरा सकता है. यह सिर्फ स्वामी द्वारा निर्गत सामग्री के लिये होगा.

10. स्वामी द्वारा निर्गत सामग्रियों के लिये ठेकेदार को लेखा रख़ना होगा जिसमें दैनिक प्राप्ति, खर्च तथा शेष (बैलेंस) की व्यवस्था होगी. यह लेखा अनुपालन प्रभारी अभियंता के द्वारा विहित प्रपत्र के अनुरूप होगा. मांग-पत्र(रिक्वीजिशन), निर्गत कागजात इत्यादि भी ठेकेदार रखेंगे तथा निरीक्षण के दरम्यान कार्य स्थल में उपलब्ध रखेंगे.

11. ठेकेदार आवश्यकता से काफी पहले प्रभारी अभियंता को एक विवरणी सौंपेंगे जिसमें स्वामी द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों की मात्रा का वर्णन हो ताकि प्रभारी अभियंता समय पर सामग्रियों को प्राप्त कर ठेकेदार को आपूर्ति कर सके.

12.ठेकेदार को यह ध्यान रखना चाहिये कि वह आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री स्वामी के भंडार से प्राप्त करे. यदि अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति प्राप्त कर लेंगे तो उसे अपने खर्च पर स्वामी के गोदाम तक लौटाना होगा. इस हेतु खर्च ठेकेदार को ही वहन करना पड़ेगा. उसे कोई भी खर्च स्वामी से प्राप्त नहीं होगा.

13. स्वामी द्वारा निर्गत सामग्री, उपकरण को ठेकेदार को सिर्फ ठेका में निहित कार्य में ही उपयोग में लाना होगा अन्य किसी कार्य में नही.

70.0 स्वामी की सहायता से प्राप्त सामग्री

अतिरिक्त (सरप्लस) की वापसी

कोई भी चीज कांट्रेक्ट के सभी क्लॉज के विपरीत होने के बावजूद, जहाँ इस कांट्रेक्ट के निश्पादन के लिए, कोई भी सामग्री अगर स्वामी के भंडार से निर्गत हुआ हो या सरकार के द्वारा निर्गत लाइसेंस या परमिट या ऑर्डर के अंतर्गत खरीदा गया हो या अन्य किसी तरह से स्वामी की सहायता से प्राप्त किया गया हो तो वैसी स्थिति में कांट्रेक्टर को इन सामग्रियों को स्वामी के ट्रस्टी के रूप में संभालना होगा तथा वह इन सामग्रियों का उपयोग मितव्ययता से केवल ठेका कार्य के लिए ही करेगा और स्वामी की अनुमति के बिना इन सामग्रियों को फेंकेगा/बेचेगा भी

नहीं, और अगर वापसी की जरूरत प्रभारी अभियंता को हो तो अतिरिक्त बची हुए संपूर्ण सामग्री या ठेके की समाप्ति के बाद जो सामग्री बच गई हों तथा जिनका उपयोग ठेके में नहीं हुआ हो या किसी कारण से कांट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया हो तो इन सामग्रियों को स्वामी को लौटाना होगा तथा इन सामग्रियों का हिसाब–किताब रखना कांट्रैक्टर की जिम्मेवारी होगी। कांट्रैक्टर को स्वीकृत दर या मूल्य, उससे लिए गए मूल्य या राषि से अधिक नहीं होगी (भंडार षुल्क छोड. कर)। इन सभी स्थितियों में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। पूर्व कथनों या नियमों की अवहेलना होने पर कांट्रैक्टर लाइसेंस/परमिट/विष्वास तोड़ने के लिए आपराधिक उल्लंघन स्वरूप जिम्मेवार होगा। ऐसी स्थिति में कांट्रैक्टर को स्वामी को दुगुनी या उससे भी अधिक दर पर मुआवजा देने होंगे। यदि उस समय इन सामग्रियों का मूल्य ज्यादा हो गया हो या वे सामग्रियां बाजार में उपलब्ध नहीं हों तो प्रभारी अभियंता द्वारा दूसरी दर निर्धारित की जाएगी तथा उनका निर्णय अंतिम तथा निर्णायक होगा।

71.0 डिसमेंटलिंग से प्राप्त सामग्री

यदि क्लॉज़ 76 या 80 में उल्लिखित कारण के अतिरिक्त दूसरे किसी कारण से कांट्रैक्टर को कार्य के निश्पादन के दरम्यान डिसमेंटलिंग के लिए बुलाया जाता है तो डिसमेंटलिंग के दौरान प्राप्त सामग्री स्वामी की संपत्ति होगी तथा उसकी बिक्री भी स्वामी के अधिकाधिक लाभ के लिए होगी।

72.0 कीमती वस्तु की प्राप्ति

यदि सोने, चांदी या अन्य खनिज तथा तमाम कीमती पत्थर, सिक्के, खजाना के स्मारक चिह्न, प्राचीन वास्तु कलाएं तथा इसी तरह की अन्य वस्तुएं साइट पर प्राप्त होती हैं तो ये सारी कीमती वस्तुएँ स्वामी की संपत्ति होगी।

कांट्रैक्टर को प्रभारी अभियंता की संतुश्टि के अनुसार इन वस्तुओं को संरक्षित रखना होगा तथा समय–समय पर उसे स्वामी या स्वामी के द्वारा इंगित व्यक्ति को सौंपना होगा।

73.0 निर्देषों में असंगति/भिन्नता

कांट्रैक्टर को दिये गये निर्देषों में यदि कोई असंगति या भिन्नता पायी जाती है अथवा उसे या उसके एजेंट को निर्देष के अर्थ को समझने में कोई षंका होती है अथवा ठेकेदार के कर्मचारी और प्रभारी अभियंता के कर्मचारी के बीच कोई गलतफहमी होती है तो कांट्रैक्टर को तुरंत लिखित रूप में प्रभारी अभियंता से संपर्क करना चाहिए। इस स्थिति में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। इन असंगतियों के कारण हुई हानि का दावा करने का अधिकार कांट्रैक्टर को नहीं होगा।

74.0 मानसून और डिवाटरिंग के समय कार्य

74.1 कार्य का निश्पादन मानसून के मौसम में भी करना पड़ सकता है। ऐसे मौसम में ठेकेदार को कम से कम मजदूर से काम चलाना चाहिए तथा उसे दिये हुए षेड्यूल के अनुसार निर्माण और स्थापना कार्य की योजना बनानी चाहिए तथा कार्य का निश्पादन भी षेड्यूल के अनुसार ही करना चाहिए। मानसून के मौसम में संपन्न हुए ऐसे कार्यों के लिए ठेकेदार को अतिरिक्त राषि देय नहीं है।

74.2 मानसून या अन्य अवधि में ठेकेदार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने खर्च पर कार्यस्थल को पानी से मुक्त रखे।

75.0 विवरण विषेश के अभाव में कार्य

जिस वर्ग के कार्य के लिए विवरण विषेश स्वामी द्वारा नहीं दिया गया है, तो जैसा कि निविदा दस्तावेज़ में उल्लेख है, ऐसे कार्य मानक विवरण के अनुसार प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के बाद संपन्न किए जाएंगे।

76.0 कार्य का निरीक्षण

76.1 प्रभारी अभियंता को पूर्ण षक्ति और अधिकार होगा कि वह कार्य के दौरान साइट या ठेकेदार के वर्कषॉप को किसी समय निरीक्षण कर सके। कार्य परिसर या वर्कषॉप जहाँ किसी व्यक्ति या प्रतिश्ठान का कार्यषाला (वर्कषॉप) है तथा जहाँ ठेका संबंधित कार्य जैसे, सामग्री की आपूर्ति की जानी है, वैसी जगह का निरीक्षण प्रभारी अभियंता स्वयं एवं उसके कर्मचारी या सहायक भी कर सकेंगे। कार्यकाल के समय या किसी अन्य समय (जिसकी सूचना ठेकेदार को प्रभारी अभियंता या प्रतिनिधि द्वारा दी जाएगी), कार्य निरीक्षण के समय आदेष या निर्देष प्राप्त करने हेतु स्वयं ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, विधिवत् लिखित पहचान युक्त, स्थल पर उपस्थित रहेंगे। ठेकेदार के अधिकृत एजेंट या प्रतिनिधि को दिए गए आदेष या निर्देष का उतना ही महत्व होगा जितना कि ठेकेदार को दिए गए आदेष या निर्देष का। किसी कार्य को या कार्य के भाग को ठेकेदार द्वारा सम्पन्न करने के बाद ढक देने से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व लिखित सूचना देनी होगी ताकि प्रभारी अभियंता द्वारा निरीक्षण तथा मापी का काम हो सके। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल होता है तो उक्त कार्य के ऊपरी सतह को ठेकेदार के खर्च पर हटाया जाएगा ताकि तथा मापी या निरीक्षण का काम किया जा सके।

76.2 प्रभारी अभियंता के अनुमोदन के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर के भण्डार से कोई भी सामग्री नहीं भेजा जाएगा। कार्य प्रगति के दरम्यान सभी समय कॉन्ट्रैक्टर कार्य निरीक्षण या मापी हेतु सभी आवष्यक सामग्री एवं सुविधा जैसे– सीढी, गैंगवेज, व्यक्ति इत्यादि उपलब्ध रखेंगे।

77.0 प्रभारी अभियंता को सहयोग

ठेकेदार प्रभारी अभियंता को सभी तरह के जरूरी उपकरण उपलब्ध कराएंगे और सहयोग प्रदान करेंगे जो कार्य जाँच, कार्य की सेटिंग तथा किए गए कार्य की जाँच एवं मापी के लिए आवष्यक होंगे।

78.0 कार्य की गुणवत्ता की जांच/गुणवत्ता का आष्वासन

78.1 सभी कार्य ठेका दस्तावेज तथा प्रभारी अभियंता के निर्देष के अनुसार संपन्न होंगे तथा प्रभारी अभियंता के निर्देषन में समय–समय पर सभी आवष्यक जाँच ठेकेदार के खर्च पर संपन्न होंगे। यह जाँच उत्पादन–स्थल या फेब्रिकेषन स्थल पर या कार्य स्थल पर या किसी अन्य स्थल पर होगी। ठेकेदार इस चुने हुए कार्य की जाँच, मापी तथा परीक्षण में प्रभारी अभियंता को सभी तरह की आवष्यक सहायता, उपकरण, मजदूर तथा सामग्री उपलब्ध करायेंगे।

78.2 कार्य निश्पादन के लिए जो भी कार्य–परीक्षण आवष्यक होगा वह सभी प्रभारी अभियंता के निर्णयानुसार होगा तथा वह स्वामी के क्षेत्र में अवस्थित प्रयोगषाला में होगा। ठेकेदार को इस परीक्षण का भुगतान करना होगा। परीक्षण खर्च समय–समय पर स्वामी द्वारा ठेकेदार को बताया जायेगा। यदि स्वामी के पास परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो ठेकेदार अपने खर्च पर किसी सरकारी या अन्य प्रयोगषाला में प्रभारी अभियंता के निर्देषानुसार परीक्षण संपन्न करायेंगे।

78.3 यदि कोई आवष्यक परीक्षण उस पदार्थ या कार्य का कराना हो जिसकी आपूर्ति ठेकेदार ने नहीं, बल्कि स्वामी ने की हो तो ठेकेदार द्वारा वह परीक्षण करवाया जायेगा तथा उसका खर्च प्रभारी अभियंता के द्वारा निर्धारित दर पर स्वामी द्वारा चुकाया जायेगा।

78.4 निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव में क्वालीटी एष्योरेंस प्रोग्राम को संलग्न करना चाहिए जिसमें सभी क्वालिटी मैनेजमेंट और उसकी सभी विधि का उल्लेख होना चाहिए जो ठेके के निश्पादन में या ठेके के अवार्ड होने के बाद आवष्यक होंगे। क्वालीटी एष्योरेंस का व्यापक प्रोग्राम, जो भिन्न–भिन्न वर्ग के कार्य निश्पादन के लिए आवष्यक होगा, बनाने के लिए आपसी सहमति का रास्ता अपनाया जाएगा। ठेकेदार द्वारा तैयार दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें क्वालीटी एष्योरेंस का प्लान प्रचलित कोड के अनुसार होगा।

ठेकेदार का क्वालिटी एष्योरेंस प्लान/विधि मैनुअल क्यू.ए. फॉर्म में होगा। इस डॉक्यूमेंट में इस क्वालिटी एष्योरेंस प्लान को पूरा करने के लिए उत्तरदायी कर्मचारी का उल्लेख होगा। यह क्वालिटी एष्योरेंस प्लान डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, इंस्टॉलेषन तथा कमिषनिंग के क्वालिटी कंट्रोल के लिए आवष्यक होगा। क्वालिटी एष्योरेंस सिस्टम में क्वालिटी कंट्रोल हेतु संगठनात्मक

पद्धति का संकेत होना चाहिए जो कि निर्माण कार्य के सभी स्तर, उत्पादन कार्य तथा सामग्री निर्गत के लिए होना चाहिए। स्वामी/ई.आई.एल. या उसके प्रतिनिधि के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे कार्य को षॉप/स्थल में जहाँ भी आवष्यक समझे किसी भी कार्य–स्तर पर क्वालिटी एष्योरेंस हेतु निरीक्षण कर सके।

79.0 अनुमोदन के लिए सैम्पल (नमूना)

ठेकेदार प्रभारी अभियंता के आग्रह या विवरण के अनुसार सभी सामग्रियों या संपादित होनेवाले कार्य का प्रचुर सैम्पल कार्य षुरू होने के पहले अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराएगा। वास्तविक कार्य में व्यवहार होनेवाली सामग्री अनुमोदित सैम्पल्स के समान ही होनी चाहिए।

80.0 अस्तरीय कार्य की स्थिति में कार्यवाही और क्षतिपूर्ति

यदि प्रभारी अभियंता को लगे कि किसी कार्य का निश्पादन दोशपूर्ण, अपूर्ण या कार्य कौषल में अनिपुणता से हुआ है या न्यून दर्जे की सामग्री या ठेके के अनुसार अस्तरीय सामग्री का व्यवहार हुआ है तो ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लिखित रूप से प्रभारी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को बताएगा कि असावधानीवष ऐसा हो गया है और वह दोश रहित सामग्री के उपयोग और कार्य कुषल तरीके से ठेके के अनुरूप अपने खर्च पर इस कार्य को पूरा करेगा। इस कार्य में असफल होने पर ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह क्षतिपूर्ति का भुगतान पूरे कार्य के प्राक्कलित राषि का 1ः प्रति सप्ताह करेगा जिसकी अंतिम सीमा पूरे कार्य के प्राक्कलन का 10ः होगा। यदि ठेकेदार फिर भी समय सीमा में विफल रहता है तो प्रभारी अभियंता अन्य एजेंसी की सहायता से ठेके के अनुसार कार्य को ठेकेदार के खर्च पर पूरा कराएगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

81.0 कार्य लंबित होना

i) इस धारा के पारा (पपद्ध के प्रावधान के आधार पर प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधि लिखित आदेष के आधार पर कार्य या कार्य के किसी भाग को अगले आदेष तक अस्थायी रूप से लंबित कर सकता है। पुनः लिखित आदेष मिलने पर ही ठेकेदार कार्य प्रारंभ कर सकता है। ठेकेदार इस नुकसान या क्षति के लिए कोई क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार का इसमें कोई दोश नहीं हो तो वह समय वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है।

ii) यदि प्रभारी अभियंता द्वारा पूरे कार्य को तीन माह से अधिक के लिए लंबित रखा जाता है तो वैसी स्थिति में ठेकेदार ठेके को टर्मिनेट (खत्म) कर सकता है।

82.0 स्वामी भी कार्य का कुछ भाग पूरा कर सकता हैः

ठेके में दिए गए निर्देष का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं कर पाने की स्थिति में कोई कार्य समय पर पूरा न हो पाये तो स्वामी के पास वैकल्पिक अधिकार होगा कि वह उस भाग के कार्य को पूरा कराने हेतु अतिरिक्त मजदूर, औजार, उपकरण इत्यादि लगा सकता है या दूसरे ठेकेदार को भी कार्य पर लगा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वामी उस कार्य का मूल्य, उसमें 15 प्रतिषत बढ़ोतरी (विभागीय खर्च वास्ते) सहित, ठेकेदार की राषि से वसूल कर लेगा। राषि के इस अंतर को ठेकेदार स्वामी को देगा।

83.0 समापन से पूर्व कार्य पर अधिकार

प्रभारी अभियंता को अधिकार होगा कि वह पूर्ण किए गए कार्य या अपूर्ण कार्य को अपने अधिकार में रखें। ऐसा करने का मतलब यह नहीं होगा (ठेका करार के अनुसार) कि कार्य को स्वीकृत कर लिया गया है या पूर्ण मान लिया गया है। यदि यह अधिकार प्रभारी अभियंता द्वारा किया जाता है तथा इसके कारण कार्य संपादन में विलम्ब होता है तो वैसी स्थिति में समय का सही सामंजस्य किया जाएगा तथा करार (एग्रीमेंट) को संषोधित किया जाएगा।

84.0 कार्य समापन प्रमाण पत्र निर्गत होने के बारह माह तक दायित्व

ठेकेदार कार्य समापन प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से बारह माह तक इंस्टॉलेषन/कार्य की गारंटी देगा। समापन प्रमाण पत्र देने के वक्त अगर कार्य में या उपकरण में या ठेकेदार द्वारा आपूर्त सामग्री में कोई त्रुटि या कार्यकुषलता में कोई कमी पाई जाएगी तो ठेकेदार उसे अपने खर्च पर दूर करेगा या पुनः स्थापन का कार्य करेगा। ऐसा वह प्रभारी अभियंता के आवष्यक समझे जाने पर करेगा। प्रभारी अभियंता इस त्रुटि को हटाने के लिए किसी अन्य एजेंसी को भी लगा सकता है तथा उस खर्च की उचित राषि ठेकेदार को देय राषि, यदि बकाया हो या सुरक्षा जमा राषि या अन्य तरीका, से वसूल लिया जाएगा।

84.1 दायित्व अवधि में त्रुटि दूर करने में विफलता तथा आवष्यक परिवर्तन

यदि ठेकेदार दायित्व की अवधि में नजर आई त्रुटि का निवारण करने में विफल हो जाता है तो वैसी स्थिति में स्वामी इस त्रुटि का निवारण कराएगा तथा इसमें आए वास्तविक खर्च जैसे मजदूर, निरीक्षण, सामग्री एवं अन्य में 100ः ओवरहेड खर्च को जोड. कर, ठेकेदार के लंबित बिल या सुरक्षा जमा राषि से काटकर प्राप्त कर लिया जाएगा।

यदि ठेकेदार को महसूस हो कि कार्य में या सामग्री की गुणवत्ता में या किसी भाग में परिवर्तन करना गारंटी के दृश्टिकोण से आवष्यक है तो वह प्रभारी अभियंता को लिखित रूप से इसकी सूचना देगा।

84.2 ठेका प्रदर्षन की गारंटी संबंधी अतिरिक्त दायित्व

यदि ठेकेदार की दायित्व अवधि में किसी कार्य या कार्य के किसी भाग या उपकरण में त्रुटि पाई जाती है तथा उसका निवारण या पुनःस्थापन किया जाता है तो दायित्व की अवधि या वैसे उपकरण या कार्य के भाग को बदलने की तिथि से चालू माना जाएगा तथा उस विषेश कार्य की ठेका प्रदर्षन गारंटी दायित्व की विस्तृत अवधि के लिए दी जाएगी। उक्त प्रावधान के बावजूद, आपूर्तिकर्ता की गारंटी /वारंटी, जो पुनः स्थापित उपकरण के लिए होगी, के बारे में स्वामी को भी सूचना दी जाएगी।

84.3 कार्य की देखभाल

कार्य षुरू करने से लेकर पूर्ण होने तक ठेकेदार को सारे कार्यों (अस्थायी कार्य सहित) की देखभाल का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा तथा यदि कार्य की हानि/क्षति होती है तो वह अपने खर्च पर इसकी मरम्मती और क्षतिपूर्ति करेगा ताकि कार्य का संपादन सुव्यवस्थित रूप से ठेके के हिसाब से प्रभारी अभियंता के निर्देषानुसार हो सके।

84.4 कार्य के अधिग्रहण से पूर्व की त्रुटियां

अ. कार्य के अधिग्रहण से पहले प्रभारी अभियंता निर्णय लेगा कि कोई कार्य या कार्य का भाग या सामग्री जो ठेकेदार या उपठेकेदार द्वारा व्यवहार की गई है, वह ठेके के अनुसार सही है या त्रुटिपूर्ण।

ब. इस निर्णय की लिखित सूचना, त्रुटि का विषेश रूप उल्लेख करते हुए, ठेकेदार को दी जाएगी तथा ठेकेदार को अपने खर्च पर इस त्रुटि विषेश का निवारण करना होगा।
यदि इस कार्य में ठेकेदार असफल रहता है तो वैसी स्थिति में स्वामी ठेकेदार के खर्च पर उस त्रुटि का निवारण करा सकता है। इसमें जो खर्च आएगा उसकी भारपाई ठेकेदार के राषि से की जाएगी। वसूली की राषि का निर्णय प्रभारी अभियंता द्वारा लिया जाएगा तथा यह निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार को इसे मानने की बाध्यता होगी। ज्योंही ठेके के अनुसार कार्य संपन्न हो जाता है और कार्य संपन्नता की जांच हो जाती है प्रभारी अभियंता एक समापन प्रमाण पत्र, तिथि के साथ, निर्गत करेगा तथा स्वामी उस तिथि से उस कार्य का स्वामित्व ग्रहण करेगा। यदि कार्य भिन्न–भिन्न भाग में बांटा गया हो तो ऐसी स्थिति में स्वामी एक भाग या पूरे भाग या जो स्थिति हो, का स्वामित्व ग्रहण करेगा। इस स्थिति में कार्य के उस भाग या पूरे भाग जो स्थिति हो, का 12 माह की दायित्व अवधि उस तिथि से षुरू होगी।

84.5 अधिग्रहण के बाद की त्रुटियां

समापन प्रमाण पत्र मिलने वक्त यदि ठेकेदार को कार्य के जो भी त्रुटि या सामग्री की त्रुटि या भूल या कार्यकुषलता की कमी की ओर ध्यान जाए तो उसे वह पूरी तेजी से एक माह के अंदर दूर कर देगा। यदि उचित समय के अंदर ठेकेदार यह कार्य नहीं करता है तो स्वामी इस कार्य को संपन्न कराएगा तथा ठेकेदार के अंतिम बिल से इस राषि की वसूली की जाएगी।
यदि ठेके में तय तिथि तक कार्य या कार्य के किसी भाग का समापन तय तिथि से एक माह के अंदर ठेकेदार सुधार नहीं कर पाता है तो स्वामी उसे एक माह का अवसर पूरा करने हेतु तथा समापन प्रमाण पत्र निर्गत करवाने हेतु दे सकता है और इस बीच उस कार्य या कार्यांष का लाभ लेने योग्य होना जरूरी है।

85.0 गारंटी / गारंटी का हस्तांतरण

यदि कोई कार्य जैसे वाटर–प्रूफिंग, अम्ल तथा क्षार अवरोधी पदार्थ, दीमक के विरुद्ध उपाय, निर्माण–पूर्व मिट्टी की तैयारी और अन्य विषेशज्ञता वाले कार्य में ठेकेदार प्रसिद्ध ठेकेदार को काम पर लगाता है तो उपठेकेदार को ठेकेदार के माध्यम से स्वामी को अपनी कार्यकुषलता की गारंटी देनी होगी। ऐसा नहीं होने पर ठेकेदार को ही कार्यकुषलता की गारंटी सीधे स्वामी को देनी होगा।

86.0 स्वामी के कर्मचारी का प्रषिक्षण

86.1 ठेकेदार स्वामी को वचन देगा कि स्वामी के चुने हुए अभियांत्रिकी कर्मचारी को वह प्रषिक्षण देगा तथा उसमें स्वामी का कोई खर्च नहीं आएगा। व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारी के प्रषिक्षण तथा उसकी प्रकृति का निर्णय आपस में स्वामी तथा ठेकेदार लेंगे। ये अभियांत्रिकी कर्मचारी विषेश प्रषिक्षण उत्पादन षॉप में प्राप्त करेंगे और ऐसा प्रषिक्षण देंगे कि वह उपकरण की कार्यप्रणाली तथा संचालन को अच्छी तरह समझ सकेंगे। स्वामी सिर्फ जाने–आने का किराया अपने कर्मचारी को देगा।

87.0 त्रुटिपूर्ण सामग्रियों या सामग्री के किसी भाग को बदलना

87.1 कार्य के दौरान यदि स्वामी / ई. आइ. एल. निर्णय लेता है तथा लिखित रूप में ठेकेदार को सूचित करता है कि ठेकेदार द्वारा दोशपूर्ण या अपूर्ण क्वालिटी का या ठेके में उल्लिखित क्वालिटी से निम्न क्वालिटी का प्लांट दिया गया है तो वैसी स्थिति में ठेकेदार त्रुटियों तथा कमियों को विस्तारपूर्वक समझने के बाद अपने खर्च पर सात दिनों के अंदर या त्रुटि दूर करने के लिए उचित समय के अंदर त्रुटिपूर्ण कार्यों तथा सामग्रियों को परिवर्तित करेगा या

पुनर्निमाण या पुनःस्थापन करेगा या त्रुटियों तथा अषुद्धियों को दूर करेगा और ठेके में उल्लिखित मानक के अनुरूप नई सामग्री/उपकरण निर्गत करेगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल हो जाता है तो स्वामी 7 दिनों का नोटिस (जिसमें कि स्वामी यह उल्लेख करता है कि 7 दिनों के अंदर ठेकेदार द्वारा त्रुटिपूर्ण सामग्रियों को नहीं बदले जाने पर ठेकेदार को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा) लिखित रूप में ठेका देने के पष्चात वैसे त्रुटिपूर्ण सामग्री या कार्य या जिस कार्य की षिकायत स्वामी द्वारा की जा चुकी है, को हटा सकता या दूर कर सकता है, वैसी सारी सामग्री या उपकरण ठेकेदार के खर्च पर षुद्ध रूप में निर्गत करेगा बषर्ते क्लॉज का कोई प्रावधान स्वामी को ठेके के किसी वैसे अधिकार से वंचित नहीं करेगा जोकि स्वामी को उन त्रुटियों के संबंध में प्राप्त है।

87.2 बदले जाने योग्य सामान की खरीद और ठेके के तहत इरेक्षन/इंस्टॉलेषन के नाम स्वामी की अतिरिक्त लागत का पूरा भुगतान करने के लिए इस क्लॉज के तहत ठेकेदार ही पूरी तरह और अंतिम रूप से जिम्मेदार है। इस तरह बदलने की स्थिति में स्वामी के खर्च और ऐसे त्रुटिपूर्ण प्लांट के कथित हिस्से के ठेके मूल्य के अंतर से अतिरिक्त लागत तय होगी। इसमें त्रुटिपूर्ण प्लांट के नाम स्वामी द्वारा ठेकेदार को किया गया कोई अन्य भुगतान भी षामिल होगा। हालांकि स्वामी द्वारा ऐसे प्लांट नहीं बदले जाने की स्थिति में भी इस क्लॉज के तहत ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा कि स्वामी द्वारा त्रुटिपूर्ण प्लांट के नाम किए गए भुगतान को वापस कर दे।

88.0 <u>मुकदमे से मुक्ति</u>

यदि ठेकेदार या उपठेकेदार या उनके एजेंट या प्रतिनिधि के द्वारा किसी प्रकार का कार्य में कोई कमी, विफलता, उपेक्षा, जख़्म, क्षति, असुविधा या ठेकेदार के आदमी या आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी की कोई मांग के कारण यदि किसी न्यायालय में कोई मुकदमा होता है तो न्यायिक लड़ाई ठेकेदार की होगी तथा स्वामी और सलाहकार या उनके अधिकारी या स्वामी के एजेंट को पूरी तरह उससे मुक्त रखा जाएगा तथा सभी तरह की हानि, क्षति, खर्च तथा न्यायालयीय आदेष, जो भी हो, से उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा।

89 <u>निर्माण में सहायक सामान, उपकरण, औजार एवं टैकल (भारी वस्तुओं को चढ़ाने का यंत्र)</u>

89.1 कार्य निश्पादन के लिए सभी तरह के निर्माण उपकरण, विषेश सहायक सामान, बार्ज, क्रेन तथा ऐसे सभी औजार, टेकल्स, परीक्षण उपकरण, एप्लायंसेज, उपलब्ध करवाने और यदि आवष्यक हो तो आयात करवाने के लिए सिर्फ ठेकेदार जिम्मेवार होगा। इस तरह के सभी उपकरण, औजार, टेकल्स इत्यादि का यदि आयात करना होगा तो सभी संबंधित ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इत्यादि का भुगतान भारत सरकार के संबधित कार्यालय को ठेकेदार को करना होगा। यह स्पश्ट रूप से समझ लेना आवष्यक होगा कि इस प्रकार के उपकरण के आयात के लिए कस्टम क्लियेरेंस या कोई ड्यूटी और या कोई ड्रॉबैक या कोई टैक्स इत्यादि के क्लियरेंस की व्यवस्था स्वामी की जिम्मेवारी नहीं होगी, ठेकेदार इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा। इस संबंध में स्पश्ट जानकारी के लिए ठेकेदार चीफ कंट्रोलर (आयात–निर्यात), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली–110001 से संपर्क कर सकता है। स्पश्ट जानकारी प्राप्त करने तथा उसकी स्पश्ट व्याख्या के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

खंड – 6
प्रमाण पत्र एवं भुगतान

90.0 <u>दर सूची और भुगतान :</u>

प) <u>ठेकेदार का पारिश्रमिक :</u>

संपूर्ण कार्य के निश्पादन तथा ठेकेदार द्वारा ली गई सारी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए स्वामी द्वारा ठेकेदार को दी जाने वाली राषि या मूल्य, संबंधित दर सूची को लागू कर

सुनिष्चित किया जाएगा (इस क्लॉज के अग्रगामी सब क्लॉज के उपयोग से इसके समावेषी स्वरूप, न कि सीमित स्वरूप की व्याख्या की जाएगी) और ठेकेदार का भुगतान उन कार्यों के लिए होगा जो वास्तविक रूप में संपादित हुआ और जिनकी स्वीकृति प्रभारी अभियंता द्वारा दी जा चुकी है। दर सूची के आधार पर गणना की गई राषि या मूल्य ही (अपवादस्वरूप जिसका विषेश उल्लेख किया गया हो) ठेकेदार का (ठेका से संबंधित) पारिश्रमिक अथवा वेतन होगा तथा उसे कोई भी अतिरिक्त राषि या भुगतान (ठेके से संबंधित) देय नहीं होगा।

पप) <u>दर सूची समावेषी है :</u>

ठेकेदार द्वारा कथित मूल्य या दर या ठेका मूल्य, कार्य संपादन प्रमाण पत्र के अंतिम रूप से निर्गत होने तक, अपरिवर्तनषील रहेगा तथा वह उसमें कोई वृद्धि नहीं करेगा। यह माना जाएगा कि दर सूची में (कार्य के संपादन या उसे पूर्ण करने में या पूर्ण कार्य को ठेकेदार द्वारा स्वामी को सौंपने में सन्निहित) सारी कीमत/मूल्य, खर्च, हर तरह की जिम्मेदारी, हर तरह के खतरे सम्मिलित हैं। यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने कार्य की प्रकृति, सीमा, आकार या परिमाण तथा विस्तार को अच्छी तरह से समझ लिया है। ठेका दस्तावेज़ के आवष्यक तत्व इन बातों को अच्छी तरह प्रस्तुत करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। वह दर सूची में ऐसे प्रावधान रखेगा कि जो वह कार्य के विभिन्न मदों तथा विभिन्न सामग्रियों (जो कार्य को पूर्ण करने के लिए आवष्यक है,) की कीमत को सम्मिलित करने के लिए आवष्यक समझता हो, कार्य के विभिन्न मद जो कार्य को पूर्ण करने के लिए आवष्यक हैं, के बारे में प्रभारी अभियंता की राय, विचार तथा निर्णय ही अंतिम तथा ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा, यदि ठेका दस्तावेज में ऐसी बात निर्दिश्ट न की गई हो।

वर्तमान प्रावधन के सामान्यीकरण को किसी भी रूप में कम किया हुआ या सीमित किया हुआ नहीं माना जाएगा क्योंकि कई स्थितियों में यह उल्लिखित हो सकता है या कई स्थितियों में यह नहीं भी निर्दिश्ट हो सकता है कि ठेकेदार अपने खर्च पर अतिरिक्त भुगातन या अतिरिक्त षुल्क के बिना कार्य संपादित करेगा तथा यह उल्लिखित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि दर सूची में ये सब सम्मिलित हैं।

पपप) <u>दर सूची में निर्माण उपकरण, सामग्री, मजदूरी का समावेष :</u>

पूर्व के सब–क्लॉज के प्रावधानों को सीमित किए बिना दर सूची के बारे में यह माना जाएगा कि इसमें निर्माण संबंधी अस्थायी प्लांट (यहां किए गए प्रावधान को छोड़ कर) की कीमत, पंप, सामग्री, मजदूरी, बीमा, ईंधन, खपत होने वाले सामान और उपरकण इत्यादि (ठेकेदार द्वारा आपूर्त) के मूल्य /कीमत की तथा दर सूची में हरेक मद से संबंधित तथा कार्य के संपादन या कार्य के किसी भाग से संबंधित अन्य सारे वस्तुओं को सम्मिलित करेगा। दर सूची सभी तरह से पूर्ण होता है तथा उसका रिकार्ड रखा जाता है जैसा कि ठेका दसतावेज़ में दर्षाया गया है या ठेके के दौरान लिखित आदेष से स्पश्ट होता है।

पअ) <u>दर सूची में रॉयल्टी, किराया तथा दावे भी षामिल :</u>

दर सूची में सभी रॉयल्टी तथा पत्र या पेटेन्ट द्वारा सुरक्षित या अन्य तरह से कॉरपोरेट से संबंधित या कार्य से संबंधित विशय में उपयोग होने वाले सामानों तथा विधियों/प्रक्रियाओं के षुल्कों को सम्मिलित करेगा तथा यह किसी प्रकार के कार्य के लिए प्रयुक्त सामग्री को प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित सभी रॉयल्टी, रेन्ट तथा अन्य भुगतान को भी सम्मिलित करेगा एवं ठेकेदार द्वारा सामानों तथा विधियों/प्रक्रियाओं के उपयोग के परिणामस्वरूप हुई कार्यवाही, न्यायिक प्रक्रिया, दावेदारी, हर्जाना, क्षति से स्वामी को मुक्त रखेगा।

यदि सामग्रियों, उपकरणों या मषीनों को साइट पर लाने में चुंगी या अन्य म्यूनिसिपल या स्थानीय संस्था को देय षुल्क लगता है तो यह ठेकेदार को देना होगा।

अ) दर सूची में कर एवं षुल्क भी षामिल हैं :

सीमा षुल्क, उत्पाद षुल्क, ठेका कार्य पर बिक्री कर या तटकर, परिवहन षुल्क, स्टांप षुल्क या केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय या म्यूनिसिपल कर/षुल्क या ऐसा अन्य षुल्क, जो इस तिथि में लागू हो या भविश्य में लागू हो, पर कोई छूट या कटौती नहीं की जाएगी। ये सभी दर सूची में सम्मिलित माने जाएंगे। ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए सारे परमिट या विषशाधिकार भी प्राप्त करना होगा तथा तदर्थ भुगतान करेगा।

अप) दर सूची में विलंब संबंधी जोखिम भी षामिल

दर सूची में विलंब संबंधी सभी संभावित जोखिम तथा ठेकेदार के कार्य में हस्तक्षेप भी षामिल हैं। स्वामी द्वारा अधिकार प्रयोग के तहत दिए गए आदेष के चलते या फिर कई कारणों से समय विस्तार के आदेष के कारण हो सकता है। वस्तुतः विलंब के सभी संभावित कारणों के चलते कार्य में विलंब को षामिल किया गया है।

अप)दर सूची में परिवर्तन नहीं

यूनिट आधार पर किये गये कार्य के लिए दर सूची में इस कारण परिवर्तन नहीं किया जा सकता है कि कार्य या कार्यांष में बदलाव या परिवर्तन किया गया, विस्तार किया गया, घटाया या पूरा किया गया। ठेकेदार द्वारा तय दर सूची को स्वामी द्वारा स्वीकृत करवाने के बाद अपरिवर्तनषील है।

एकमुष्त भुगतान वाले ठेके के लिए वास्तविक रूप में सम्पन्न कार्य के आधर पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए मदवार या कार्यवार दर सूची दी जाएगी जो वास्तविक रूप में संपादित कार्य की गणना करने तथा चालू बिल के अनुसार भुगातन करने के लिए उपयुक्त होगी।

91.0 जारी कार्य की बिलिंग और माप की प्रक्रिया

91.1 बिलिंग की प्रक्रिया :

ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों की बिलिंग के लिए निम्न प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी :

91.1.1 सभी मापों को स्वामी द्वारा आपूर्त स्टैंडर्ड मेजरमेंट षीट/बुक पर चार प्रतियों में दर्ज किया जाएगा तथा जांच एवं अनुमोदन प्राप्त करने हेतु ई. आई. एल. को भेजा जाएगा।

91.1.2 सलाहकार मेजरमेंट षीट पर रिकार्ड माप की पड़ताल करेगा तथा षीट पर उसे सही सत्यापित करेगा।

निम्न तरीके से ठेकेदार को एक महीने के अंदर बिल तैयार करने तथा उसे सौंपने के लिए अनुमति दी जाएगी।

महीने में केवल एक भुगतान किया जाएगा भले ही मापी के बाद हो उसके बिना। असाधारण स्थिति में एक से ज्यादा भुगतान संभव है बषर्ते ठेके की षर्तों में प्रावधान हो।

अल्टरनेट बिल निष्चित रूप से मापी के बाद का हो।

मापी के बाद बिल, प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित, के भुगातन से पहले मापी–पूर्व बिल/एस.डी. /एमए/एस.ए. के नाम भुगातन और अन्य रिकवरी, ठेका करार की राषि वसूल कर ली जाएगी।

91.1.3 सलाहकार ठेके की षर्तों और नियमों के अनुसार व्यापक जाँच के बाद स्वामी को बिल को पास करेगा।

91.1.4 ठेका दस्तावेज़ या विवरण में उल्लिखित माप की प्रक्रिया के अनुसार मापी दर्ज की जाएगी। मेजरमेंट बुक में दर्ज माप की अच्छी तरह जाँच के लिए पूर्ण रूप से सलाहकार उत्तरदायी होगा।

91.1.5 अंतिम बिल तैयार करते समय फिर से सभी मदों की दुबारा मापी नहीं होगी। अंतिम माप के बिल से लेकर अब तक किये गये कार्यों का लेखा–जोखा या परिमाण तथा अंतिम माप ही अंतिम बिल के लिए विचाराधीन होगा। हालांकि यह देखने के लिए कि कोई मद छूट तो नहीं गया एक विस्तृत जाँच होगी और तदनुसार माप को दर्ज कर दिया जाएगा।

91.2 सामग्रियों के लिए सुरक्षित अग्रिम भुगतान :

पूर्ण किये गये निविदा कार्य के मद में ठेकेदार को कार्य के संपादन हेतु लाये गये सामग्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित अग्रिम राषि प्रदान किया जा सकता है बषर्ते सामग्रियों की प्रकृति न सड़ने योग्य या अविनाषी हो तथा ठेकेदार के साथ एक औपचारिक समझौता हो चुका हो जिसके तहत स्वामी के पास सामग्रियों का अधिग्रहण अधिकार (यानी लिअन या ऋण की वसूली तक सामग्री को अपने पास रखने का अधिकार) सुरक्षित रहता है एवं सामग्रियों को ठेकेदार द्वारा कार्य को लंबित कर देने या सामग्रियों के दुरूपयोग करने के कारण होनेवाले नुकसान, क्षति आदि से रक्षा किया जाएगा तथा सामग्रियों के सुरक्षित रख–रखाव तथा उचित देखभाल के लिए हुए खर्च को भी ध्यान रखा जाएगा। इस तरह दी गई अग्रिम राषि की रिकवरी को तब तक नहीं टाला जाएगा जब तक कि ठेकेदार को सौंपे गये कार्य पूर्ण नहीं हो जाते। जैसे–जैसे सामग्रियों का उपयोग हागा वैसे –वैसे अग्रिम राषि का समायोजन कार्य के बिल से किया जाएगा और जब सामग्री का उपयोग उस कार्य के मद के लिए होता है जिसका बिल बनाया जाता है तो आवष्यक कटौती कर ली जाती है।

91.3 <u>माप पद्धति को लेकर विवाद</u>

कार्य के किसी मद के लिए अपनाई गई माप पद्धति(जो ठेके में सन्निहित नहीं हो) को लेकर यदि विवाद होता है तो इस संबंध में नवीनतम भारतीय मानक विवरणों को माना जाएगा।

91.4 <u>राषि को राउंड ऑफ करना</u>

ठेके के प्रत्येक मद के भुगतान के लिए हरेक प्रमाण पत्र की हरेक राषि की गणना करने के समय 50 पैसे से कम राषि को छोड़ दिया जाएगा तथा हरेक प्रमाण पत्र की कुल राषि, सबसे निकटवर्ती रुपये में परिवर्तित या राउंड कर दिया जाएगा यानी 50 पैसे से कम मूल्य को छोड़ दिया जाएगा तथा 50 पैसे या उससे अधिक (एक रुपया तक) को एक रुपया मानकर गणना की जाएगी।

92.0 <u>निविदा में एकमुष्त राषि</u>

यदि निविदा के ऐसे किसी मद के लिए कार्य के हिस्सों के लिए एकमुष्त भुगतान करना है तो ठेकेदार को उसी दर से भुगतान किया जाएगा जो ऐसे मदों के लिए इस ठेके में निर्धारित है। यदि प्रभारी अभियंता की राय में विचाराधीन कार्य का हिस्सा विषेश को मापना या निर्धारित करना संभव न हो तो स्वामी अपने विवेकाधिकार से निविदा में दर्ज दर से एकमुष्त या उसका प्रतिषत भुगतान कर सकता है और इस संबंध में प्रभारी अभियंता का लिखित प्रमण पत्र ठेकेदार के लिए अंतिम रूप से मान्य होगा जो इस क्लॉज के तहत किसी एक या कई राषियों के भुगातान के प्रावधान के अनुसार होगा।

93.0 <u>चालू खाता भुगतान को अग्रिम भुगतान समझा जाए :</u>

सभी चालू खाता भुगतान को अंतिम भुगतान का एडवांस समझा जाएगा तथा वास्तविक रूप में संपादित हुए कार्य का भुगतान नहीं समझा जाएगा तथा खराब, अषुद्ध या त्रुटिपूर्ण या दोशपूर्ण/अपूर्ण कार्य को हटाने तथा छोड़ देने की जरूरत को एवं उस कार्य को पुनर्निमाण या पुनः स्थापित करने की जरूरत को या उस कार्य को ठेकेदार पर बचा हुआ जिम्मेवारी समझे जाने की जरूरत को नहीं अस्वीकार किया जा सकता है तथा किसी भी रूप में ऐसी स्थिति में स्वामी को प्राप्त अधिकार/षक्ति प्रभावित नहीं होगी या किसी भी रूप में ठेका प्रभावित नहीं होगा। अंतिम बिल ठेकेदार द्वारा कार्य की समाप्ति की तिथि से एक महीने के अंदर सौंपा जाएगा नहीं तो प्रभारी अभियंता द्वारा मापी तथा कार्य के लिए भुगतान करने योग्य कुल राषि का प्रमाण पत्र ही अंतिम और बाध्यकारी होगा।

94.0 <u>अतिरिक्त भुगतान के दावे की नोटिस</u>

94.1(अ) यदि ठेकेदार यह महसूस करता है या विचार करता है कि उसे अतिरिक्त भुगतान यानी अतिरिक्त राषि या मुआवजा मिलना चाहिए या वह किसी कार्य से संबंधित कोई दावा करता है तो उसे तुरंत प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में नोटिस देना चाहिए कि वह अतिरिक्त भुगतान या मुआवजे का दावा करता है। इस तरह का नोटिस कथित कार्य के आदेष, या उस

तरह की घटना जिसके आधार पर ठेकेदार अतिरिक्त भुगतान का दावा करता है, घटने के 10 दिनों के अंदर प्रभारी अभियंता को ठेकेदार द्वारा सौंपा जाना चाहिए । ऐसी नोटिस में उस तरह के दावों की प्रकृति तथा परिमाण या राषि का विस्तृत विवरण रहेगा। यदि ठेकेदार, अपने दावे को निर्धारित समय के अंदर आवष्यक विवरण के साथ रखने में असफल हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से अधित्याग माना जाएगा। इस तरह के दावे को अस्वीकार करने तथा इस दावे के निपटान में विलंब करने से स्वामी का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

94.1(ब) ठेकेदार इस बात से सहमत होता है तथा इसका दायित्व लेता है कि यदि उपरोक्त 10 दिनों के अंदर दावे नहीं किए गए तो उसे आर्बिट्रेषन या किसी न्यायालय में ऐसे दावे करने के अधिकार से वंचित किया जाता है। यदि दावा किसी मध्यस्थ के सामने किया जाएगा तो मध्यस्थ द्वारा ऐसे दावों को अस्वीकार किया जाएगा तथा तुरंत खारिज कर दिया जाएगा।

94.2 स्वामी उचित समय के अंदर ऐसे दावों की समालोचना करेगा या पुनर्विचार करेगा तथा आवष्यक विचार विमर्ष के बाद उचित तरीके से उसका निपटान कर देगा। ऐसे दावों, परिणाम जो भी हों, के बावजूद ठेकेदार को स्वामी द्वारा सौंपे गए कार्य को उस अवधि के दरम्यान जारी रखना होगा जिस अवधि में ऐसे दावों पर स्वामी द्वारा विचार किया जाता है। यदि ठेके के प्रावधान के अनुसार, कार्य के लिए अतिरिक्त भुगतान की मांग न्यायोचित साबित होती है तो स्वामी को ऐसे अतिरिक्त भुगतान के लिए सामान्य कार्य के भुगतान की तरह व्यवस्था करनी होगी। ऐसे अतिरिक्त कार्य, स्वामी द्वारा स्वीकृत, ठेके में लागू होने वाली सभी षर्तों, नियमों तथा विवरण के द्वारा नियंत्रित होंगे, ऐसे अतिरिक्त कार्यों का दर ठेका में दिए गए यूनिट दर के अनुसार (बराबर) होगा यदि निश्पादित हुए अतिरिक्त कार्य का यूनिट दर ठेके में निर्दिश्ट नहीं है तो वैसी स्थिति में कार्य का भुगातन दैनिक कार्य के आधार पर होगा जिसके लिए कारीगर /कर्मचारी/ मजदूर का दैनिक या प्रति घंटे की दर तथा उपकरण के भाड़ा की प्रति घंटा दर लागू होगी या ठेके में पहले से निर्दिश्ट/उल्लेखित कार्य की दर के इंटरपोलेषन से संपादित हुए अतिरिक्त कार्य के दर की गणना की जाएगी। ऐसे सभी विशयों में जो लागू होने वाली दर एवं स्वीकृति से संबंधित है या ठेकेदार के अतिरिक्त कार्य के दावे से संबंधित है, प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

95.0 <u>ठेकेदार के बिल का भुगतान</u>

20,000 रु. से कम मूल्य के कार्य का भुगतान तब तक नहीं होगा जब तक कि संपूर्ण कार्य समाप्त नहीं हुआ है तथा कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हुआ है। लेकिन यदि कुल कार्यों का आकलित मूल्य 20,000 रु. से अधिक हो तो ठेकेदार बिल नहीं जमा करने के बावजूद आनुपातिक रूप से मासिक भुगतान प्राप्त करेगा जो प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्वीकृति एवं अनुमोदन का पूर्ण प्रमाण पत्र ठेकेदार के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। हालांकि सामग्री, सुरक्षा आदि के नाम ठेके में अन्यत्र उल्लिखित कटौतियों के बाद ही यह भुगातन किया जाएगा।

ठेकेदार को देय राषि का भुगातन स्वामी के आदेषानुसार खाते में भुगतेय चेक द्वारा होगा। चेक ठेकेदार के पंजीकृत या अधिसूचित कार्यालय को भेजा जाएगा। चेक के दुरुपयोग या अनाधिकृत प्रयोग की स्थिति में स्वामी जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकेदार को किसी भी मामले में उचित राजस्व टिकट के साथ पूर्व प्राप्त बिल के नाम भुगतान किया जाएगा।

सभी भुगतान भारतीय मुद्रा में होगा।

96.0 <u>भुगतान की रसीद</u>

किसी प्रतिश्ठान द्वारा संपादित कार्य के भुगतान संबंधी बिल निष्चित रूप से ठेकेदार की तरफ से पावर ऑफ एटॉर्नी प्राप्त व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित हो। अन्यथा यदि निविदा में ठेकेदार की व्याख्या एक लिमिटेड कंपनी की तरह की गई है तो रसीद निष्चित रूप से कंपनी के नाम किसी प्रधान अधिकारी द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो जो ठेकेदार को उचित रसीद दे सके।

97.0 समापन प्रमाण पत्र

97.1 समापन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

जब ठेकेदार 84.4 के तहत जिम्मेवारी को पूरा करता है तो वह समापन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। ठेकेदार अलग से कार्य के हर मद या भाग के लिए समापन प्रमाणन पत्र हेतु आवेदन दे सकता है। इसके लिए उसे कार्य के हर मद या भाग का कार्य समापन दस्तावेज हरेक मद के समापन प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवेदन करना होगा। ठेकेदार द्वारा समापन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जमा करने के एक महीने के अंदर इस दस्तावेज़ की जांच करके तथा यह पता करने के बाद कि सही में कार्य का संपादन ठेका दस्तावेज में निर्दिश्ट नियमों, निर्देषों का पालन करके निर्माण तथा विस्तार की ड्राइंग के अनुरूप हुआ है या नहीं, प्रभारी अभियंता समापन प्रमाण पत्र निर्गत कर देगा।

ठेकेदार समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ठेके की षर्त के अनुसार संपादित हुए कार्य के लिए अंतिम बिल प्रस्तुत कर सकता है।

97.2 कार्य समापन प्रमाण–पत्र :

हरेक स्तर पर कार्य की समाप्ति होने के एक महीने के अंदर प्रभारी अभियंता कार्य समापन प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रदान करेगा। लेकिन जब तक सारे स्कैफोल्डिंग, अतिरिक्त सामग्री तथा मलवे को कार्य–स्थल से पूर्ण रूप से नहीं हटा दिया जाता है तथा प्रभारी अभियंता द्वारा कार्य की माप नहीं ले ली जाती है (ऐसी स्थिति में प्रभारी अभियंता की माप को ही अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाता है) तब तक कार्य को समाप्त नहीं माना जाता है तथा कार्य समापन प्रमाण पत्र भी नहीं निर्गत नहीं होगा। कार्य को तब तक समाप्त नहीं माना जाता है तथा प्रभारी अभियंता द्वारा माप नहीं लिया जाता है तब तक सारे अस्थायी कार्य, मजदूर तथा स्टाफ कॉलोनी (निमार्ण के दरम्यान बनाया गया) को हटा नहीं दिया जाएगा तथा साइट की सफाई, प्रभारी अभियंता की संतुश्टि के अनुरूप, नहीं हो जाए।

यदि ठेकेदार कार्य की समाप्ति के लिए निर्धारित तिथि तक या तिथि के पूर्व तक इस क्लॉज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो प्रभारी अभियंता ठेकेदार के खर्च पर ऐसे स्कैफोल्डिंग, अतिरिक्त सामग्री तथा मलवे को हटा सकता है या बेच सकता है ताकि सारे मलवे की सफाई हो जाए। ठेकेदार को ऐसी स्थिति में सफाई का पूरा खर्च देना होगा तथा वह हटाये गये मलवे, फालतू सामान तथा स्कैफोल्डिंग के लिए कोई दावा नहीं कर सकता है, जैसा कि पूर्वकथित है।

97.3 कार्य समापन प्रमाण पत्र का दस्तावेज

क्लॉज 97 के उद्येष्य से निम्नलिखित दस्तावेज को कार्य समापन प्रमाण पत्र का भाग माना जाएगा :–

1. तकनीकी दस्तावेज, जिसके अनुसार कार्य का संपादन हुआ।
2. निर्माण नक्षा की छः प्रति, जिसमें कि कार्य के संपादन के दरम्यान हुए बदलाव तथा सुधार षामिल हों तथा जिस पर प्रभारी अभियंता का हस्ताक्षर हो ।
3. अंतःस्थापित कार्य (इंबेडेड कार्य) तथा कवर्ड अप कार्य की समाप्ति का प्रमाण पत्र
4. सारे कार्यों के लिए अंतिम स्तर का प्रमाण पत्र (फाइनल लेवल सर्टिफिकेट)
5. सारे कार्यों के लिए किये गये जाँच का प्रमाण पत्र
6. कार्य हेतु स्वामी के द्वारा निर्गत सामग्री के लिए तथा स्वामी के भंडार में वापस की गई अतिरिक्त सामग्री की सूची (जो अन्य दस्तावेजों के साथ दिया जाता है) के लिए मैटेरियल एप्रोप्रिएषन स्टेटमेंट (सामग्री विनियोग विवरण)।

98.0 अंतिम निर्णय तथा अंतिम प्रमाण पत्र

जब प्रभारी अभियंता आष्वस्त हो जाता है कि मानसून के मौसम में ठेकेदार द्वारा कार्य को अच्छी तरह से पूरा/देखभाल किया गया है (जैसा कि क्लॉज 84.1 में उल्लिखित है) तथा ठेकेदार ने ठेके में निर्दिश्ट सारी जिम्मेवारियों को पूरा कर लिया है एवं उसने अपनी सभी 'सब्सिडेंस' को हर तरह से पूरा कर लिया है तब प्रभारी अभियंता अंतिम प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। संपादित हो रहे कार्य के लिए कोई पूर्व इंट्री मौजूद न होने के बावजूद जब तक प्रभारी अभियंता द्वारा अंतिम प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तब तक यह नहीं माना जाएगा कि ठेकेदार ने अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा कर लिया है।

99.0 प्रमाण पत्र और भुगातन कार्य समापन के साक्ष्य नहीं :

अंतिम प्रमाण पत्र के अपवादस्वरूप या प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान या सामान्य लेखा पर ठेके के संपादन के लिए या किसी भाग के लिए या एक्युपेंसी या ठेकेदार के दावा के वैधता के लिए स्वामी द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

100.0 ठेके की कीमत (दर) में कटौती

सारा खर्च, कीमत, या क्षति जोकि स्वामी द्वारा चुकाया जाता है या भुगतान किया जाता है (परंतु ठेके के प्रवधान के अनुसार यह ठेकेदार का दायित्व था) ,के लिए स्वामी द्वारा दावा किया जाएगा। ऐसे सारे दावों जो कि स्वामी द्वारा ठेकेदार को नियमित रूप से किया जाता है (जब वे अपना देय भरने में असफल हो जाते हैं) को सपोर्ट करने के लिए आवष्यक, उचित एवं प्रमाणित भाउचर या व्याख्या (एक्सप्लानेषन) जरूरी है ताकि ठेकेदार इन दावों को सिद्ध कर सके। इस तरह के दावों का बिल प्रप्त होने के 15 दिनों के अंदर ठेकेदार को ऐसे दावों का भुगतान करना होगा। यदि ठेकेदार नियत अवधि में भुगतान नहीं किया तो कानून के नियम के सहायता से वसूल लेगा या बकाया राषि के अमाउन्ट में कटौती कर लेगा।

<u>खंड 7</u>

101.0 <u>टैक्स ड्यूटी एवं ऑक्ट्रोलेटक</u>

सारे कार्यों एवं सामग्रियों तथा कंट्रिब्यूषन के लिए लगाए गए सारे टैक्स एवं ड्यूटि यथा एक्साइज ड्यूटि, ऑक्टोरिस इत्यादि (जो कि अभी लगाया गया हो या बाद में लगाया/परिवर्तित किया गया हो/वृद्धि किया हो) तथा सारे सेल्स टैक्स, ड्यूटि, ऑक्टोरिस (जो कि अभी लगाया गया हो या बाद में समय–समय पर वृद्धि किया हो/ परिवर्तित किया गया /लगाया गया हो), का भुगतन करने के लिए ठेकेदार सहमत होता है तथा वह भुगतान करने का दायित्व अपने कंधे पर लेता है। ठेकेदार सारे बेरोजगारी का कंपंसेषन, ओल्ड एज पेंषन (वृद्धावस्था का पेंषन तथा बीमा), के लिए लगाए गए टैक्स जो कि ठेकेदार तथा कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन भत्ता तथा मजदूरी अन्य कंपनषेसन के विरुद्ध केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अभी लगाया हो, के भुगतान के लिए जिम्मेवार होगा। ठेकेदार सारे मजदूर कानून (लेबर लॉ) तथा कर्मचारी –बॉस के बीच के रिष्ते से संबंधित अन्य कानून में सन्निहित सारे जिम्मेवारियों तथा प्रतिबंधों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार सारे केंद्र , राज्य, म्यूनिसिपल तथा लोकल बॉडी के नियम एवं कानून को पालन करने के लिए सहमत होगा। केंद्र ,राज्य तथा लोकल अथॉरिटी द्वारा लागू किये गये कानून के उल्लंघन होने पर केंद्र , राज्य सरकार द्वारा पेनाल्टी जारी की जायगी। ठेकेदार ऐसे सभी पेनाल्टी से स्वामी का बचाव करेगा तथा स्वामी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने देगा। ठेकेदार स्वामी को सारे दावों से डिफेंड करेगा। कॉन्ट्रेक्ट के कार्य के कारण उत्पन्न या थर्ड पार्टी के कारण उत्पन्न या केंद्र अथवा राज्य सरकार या किसी प्रषासनिक विभाग द्वारा स्वामी के विरुद्ध लाये गये मुकदमे की प्रोसिडिंग से ठेकेदार ,स्वामी का बचाव (डिफेंस) करेगा।

टैक्स की कटौती, उस समय पर चल रहे नियम/ कानून के आधार पर की जाएगी।

102.0 <u>सेल्स टैक्स/ टर्न ऑवर टैक्स</u>

टेंडर में सारे इन्क्लूसिव प्राइस (सम्मिलित कीमत) (सेल्स टैक्स या टर्न ऑवर टैक्स का दायित्व सहित) का उल्लेख रहता है।

103. उत्पाद षुल्क (केवल कार्य कॉन्ट्रेक्ट पर)

स्थल पर फेब्रिक्स आईटम पर, एक्साइज ड्यूटी (जो लागु होने लायक होगा) का स्वामी द्वारा भुगतान किया जाएगा बषर्ते कि कॉन्टेक्टर इसके लिए उचित कागजात सबूत के तौर पर प्रस्तुत करे।

निविदादाता को अपने दर में एक्साइज ड्यूटि भी षामिल करना चाहिए। यह केवल अंतिम रूप से तैयार सामग्री पर लागु हागा। इसके लिए उसे स्वामी को पूरा सबूत प्रस्तुत करना होगा।

104. बीमा

104.1 सामान्य

ठेकेदार अपने खर्च पर बीमा प्राप्त करेगा तथा मेनटेन करेगा। यह बीमा किसी प्रसिद्ध कंपनी से होना चाहिए। यह स्वामी के संतुश्टीकरण हेतु निम्न प्रकार से होगा–

संवेदक अपने खर्च पर आवष्यकतानुसार कार्य के प्रगति के आलोक में एक उपयुक्त राषि का बीमा कराएगा जिससे कि स्वामी का हित भी सुरक्षित हो। बीमा का प्रकृति तथा राषि स्वामी के स्वीकारने योग्य हाना चाहिए। इसमें संवेदक की विफलता पर काई छूट नहीं दिया जाएगा ।
बीमा का कायम रखना संविदा के अनुसार संवेदक का जवाबदेही होगा। उपकरण में या उसके समुद्री यातायात में या बंदरगाह पर कस्टम क्लियरेंस या भूतल परिवहन, भंडार या इरेक्षन तथा कमिषनिंग इत्यादि का हानि या क्षति का स्वामी को सुपुर्द करने तक का जिम्मेवारी कॉन्ट्रक्टर का होगा।
उपकरण का इरेक्षन के समय में हुए क्षति या अन्य उद्येष्य से विदेष से सामग्री आपूर्ति लेने पर कानूनी क्लियरेंस स्वामी द्वारा किया जाएगा। जहॉ तक संभव हो सके ठेकेदार भारतीय कंपनी से ही बीमा कराएगा।
इस बीमा में समुद्री बीमा भी समुद्री यातायात के लिए षामिल रहेगा।

(पण) इम्पलायी के लिए राज्य बीमा कानून

इम्पलायी स्टेट इंस्योरेंस नियम 1948 को पूरी तरह पालन करने हेतु ठेकेदार सहमत होगा। स्वामी को सभी तरह से सुरक्षा करेगा। यदि केंद्र या राज्य सरकार या कोई स्थानीय बॉडी द्वारा कोई दायित्व या दंड दिया जाता है तो संवेदक उसका जिम्मा अपने उपर लेगा तथा स्वामी को सुरक्षित रखेगा।

संवेदक या उपसंवेदक को इम्प्लायी स्टेट इंस्युरेंस कॉर्पोरेषन घोशणा के तहत सहमत होना होगा।

संवेदक, उपसंवेदक के साथ यह सहमति प्राप्त करेगा कि वे बीमा के साथ कागजात/रिकॉर्ड /अभिलेख का रख–रखाव करेगा।

स्वामी इम्प्लायी के बीमा अंषदान की राषि को संवेदक द्वारा अंषदान होने तक रोक कर रख सकता है।

(पपण) <u>कार्य करनेवाले का क्षतिपूर्ति तथा इम्पलायी का दायित्व बीमा</u>
कॉन्ट्रेक्ट के तहत कार्य संपादन में लगे ठेकेदार के सभी कर्मचारी के लिए बीमा लागू होगा। यदि कोई कार्य सबठेकेदार को दिया गया हो तो उससे बीमा की उपयुक्त राषि का क्षतिपूर्ति कर लेंगे।

(पपपण) नियम या अधिनियम के तहत समय –समय पर आवष्यक सभी बीमा ठेकेदार को कराना होगा तथा इसके लिए स्वामी को कोई खर्च नहीं आना चाहिए। स्वामी के विचार से आवष्यक बीमा भी उन्हें कराना होगा।

(पअण) <u>काम करनेवाले का दुर्घटना या घायल होना</u>
कॉन्ट्रेक्टर या सबठेकेदार के किसी इम्पलायी के दुर्घटना या घायल होने पर क्षतिपूर्ति की राषि का भुगतान नियमत : करने के लिए स्वामी का दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार इस तरह के सभी खर्च से स्वामी को सुरक्षित रखेगा।

(अ.) <u>ट्रांजिट इंस्योरेंस</u>
निर्माण सामग्रियों को कार्यस्थल तक ढोने के लिए आवष्यक बीमा ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा तथा प्राइस कोटिंग में यह षामिल होना चाहिए।

105. <u>किसी सम्पति का क्षति या किसी व्यक्ति को क्षति या किसी पार्टी को क्षति</u>

(पण) स्वामी के संपत्ति या स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की क्षति होने पर इसकी क्षतिपुर्ति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा यदि यह क्षति या हानि ठेकेदार के या उसके कर्मचारी या प्रतिनिधि के गलती से या जानबूझकर या कोई कारण से हो।

(पप.) ठेकेदार को प्लांट्स, उपकरण या सामग्री को काफी सावधानीपूर्वक एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहिए ताकि स्वामी के कोई संपति या किसी तीसरे पार्टी या ओवरहेड तथा अंडरग्राउंड केबल का कोई क्षति या हानि न हो। अन्यथा इस क्षति या हानि का क्षतिपूर्ति ठेकेदार को वहन करना होगा। थर्ड पार्टी दायित्व रिस्क दो लाख रुपये का एक घटना के लिए होगा तथा उपरी सीमा 10 लाख रुपया होगा।

(पपप.) ठेकेदार स्वामी को सभी क्षतिपूर्ति या हानि दावा से सुरक्षित रखेगा।

(पअ.) एजेंसी को अपने रेट कोट करने वक्त थर्ड पार्टी दायित्व को ध्यान में रखना चाहिए।

<u>संपत्ति की क्षति</u>
; पण्द्ध स्वामी के किसी संरचना और संपति के क्षति , हानि या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा यदि यह हानि या क्षति उसके या उसके प्रतिनिधि या सबठेकेदार के लापरवाही के कारण हुआ है।
;पपण्द्ध ठेकेदार या उसके कर्मचारी या एजेंट या सब ठेकेदार के प्रतिनिधि के लापरवाही के फलस्वरूप हुए क्षति या हानि के कारण किसी प्रकार की दावा से ठेकेदार स्वामी को सुरक्षित रखेगा।

खंड–8

<u>मजदूर कानून तथा आरबिट्रेषन</u>

106.0 <u>मजदूर कानूने</u>

पण 18 वर्श से कम उम्र के मजदूर काम पर नहीं रखे जाएंगे।

पप. कॉन्टेक्टर नियम से कम मजदूरी का भुगतान मजदूर को नहीं करेंगे।

पपपण सभी मजदूर कानून का कम्पलाइ(पालन) कॉन्टेक्टर अपने खर्च पर करेगा तथा स्वामी को बस संबंध में सुरक्षित रखेगा ।

पअ. मजदूर कानून के अनूसार कॉन्टेक्टर सभी औरत तथा पुरूश को समान मजदूरी देंगे।

अ. यदि कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्ट लेबर (अधिनियम एवं उन्मूलन) कानून के तहत होंगे ,तो वह लाइसेंसिंग अथॉरिटी(लेबर कमिष्नर के कार्यालय) से लाइसेंस प्राप्त करेंगे तथा उसका आवष्यक फी जमा करेंगे । ऐसा वह कंट्रेक्ट के तहत कार्य षुरू करने के पहले करेंगे

अपण ठेकेदार कार्य की प्रगति तथा गुणवत्ता बनाये रखने हेतु खुद या सब कॉन्टेक्टर के माध्यम से प्रचुर संख्या में मजदूर काम पर लगायेंगे ताकि प्रभारी अभियंता कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति से संतुश्ट रहें।

अपप. कॉन्ट्रेक्टर प्रभारी अभियंता को मजदूर का विवरणी प्रस्तुत करेंगे । प्रत्येक महीने के चार तथा उन्नीस तारीख को ठेकेदार एक सच्चा प्रतिवेदन पिछले महीने के 15 तारीख तक का तथा वर्तमान महीने के प्रथम पक्ष तक का समर्पित इस प्रकार करेंगेः–

1. उस पक्ष में कोई दुर्धटना तथा इनजूरी तथा उसका कारण एवं क्षति का विवरणी तथा

2. औरत मजदूर को किया जाने वाला मातृत्व लाभ (जो मैटरनिटी एक्ट 1961 नियम के तहत है) का विवरणी।

अपपप. ठेकेदार निम्न प्रवधानों का भुगतान करेगाः

वेजेज (मजदूरी) एक्ट 1936 , मिनिमिम वेज एक्ट 1948, इंपलायर्स लायबलिटी एक्ट 1938, वर्कमेन्स कंपनषेसन एक्ट 1923, इंडस्ट्रियल डिसप्युट एक्ट 1947, मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, कॉन्ट्रेक्ट लेबर रेगगुलेषन और एबोलिषन एक्ट 1970 , इंपलायमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938 या कोई समय समय पर का संषोधन ।

पगण प्रभारी अभियंता निरीक्षण पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर कॉन्ट्रेक्ट मजदूर (रेगुलेषन एंड एबोलिषन एक्ट) 1970 के तहत ठेकेदार से उसके मजदूर को लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिलने के फलस्वरूप उपयुक्त राषि काटकर रख लेगा। ऐसा, उपयुक्त एक्ट का पालन नहीं करने के कारण ही किया जाएगा।

ग. पूर्वकथित एक्ट के तहत किसी भी प्रावधान के तहत ठेकेदार या सबठेकेदार के लापरवाही के कारण किए जाने वाले भुगतान से कॉन्ट्रेक्टर स्वामी को सुरक्षित रखेगा। प्रत्येक फाल्ट या गलती या अन्य कमी के घटित होने पर ठेकेदार स्वामी के पास 50 रु0 भुगतान करेगा। प्रभारी अभियंता द्वारा तय करने पर यह राषि किसी फॉल्ट या अवहेलना के लिए 50 रु0 से अधिक का भी भुगतान करना पड. सकता है।

प्रभारी अभिंयंता, कॉन्ट्रेक्टर के विपत्र या सेक्यूरिटी डिपोजिट से उपयुक्त राषि काट लेगा तथा उस राषि को, इस नियम के तहत निर्मित वेलफेयर फंड में जमा कर दिया जाएगा। इस संबंध में प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम होगा तथा बाध्यकारी होगा।

107.0 <u>एपरेंटिसेज एक्ट, 1961 / प्राविडेंट फंड एक्ट का इंपलीमेंटेषन</u>

107.1 कॉन्ट्रेक्टर एप्रेंटिसेज एक्ट, 1961 के प्रावधान को लागु करेगा तथा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम और आदेष को भी लागु करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो इसे कॉन्ट्रेक्ट का ब्रीच(उल्लंघन) माना जाएगा तथा प्रभारी अभियंता अपने विवेक के अनुसार कॉन्ट्रेक्ट को रद्द भी कर सकता है। कॉन्ट्रेक्टर के द्वारा एक्ट के प्रावधान के उल्लंघन होने के कारण वह आर्थिक दायित्व के लिए जिम्मेवार हो सकता है।

107.2 कॉन्ट्रेक्टर को इम्प्लॉयीज(कर्मचारी) प्रोविडेंट एक्ट को दृढतापूर्वक लागू करना चाहिए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कॉन्ट्रेक्ट उसी एजेंसी को मिलेगा जो निम्न आवष्यकता का पूर्ति किया हो–

क) जो लेबर (एबोलिषमेंट तथा रेगुलेषन) एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो तथा ई०आई०एल० को समर्पित कर दिया हो।

ख) जिसे आर०पी०एफ०सी० से पी०एफ० रजिस्ट्रेषन संख्या आवंटित हुआ हो तथा ई०आई०एल० को समर्पित हो।

ग) एजेंसी को कर्मचारी के पी०एफ० कटौती तथा आर०पी०एफ०सी० को कॉन्ट्रेक्टर का अंषदान षीघ्र जमा कर देना चाहिए।

इस उद्येष्य के लिए एजेंसी को बिल (विपत्र) के साथ एक प्रमाण पत्र अवष्य संलग्न करना चाहिए जिसमें उल्लेख किया गया हो कि कर्मचारी के पी.एफ. कटौती तथा आर. पी. एफ.सी. को कॉन्ट्रेक्टर का अंषदान जमा कर दिया गया है। इसके प्रमाण के रूप में अगले माह आर.पी.एफ. सी. को भुगतान किये गये चलान / रिसीट अवष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

(घ) यदि प्रमाण पत्र तथा चलान / रिसीट धारा 107.2(सी) के तहत जमा नहीं करता है तो एन. आर.एल. का वित्त और लेखा विभाग ,कांट्रेक्टर के विपत्र राषि का 16 प्रतिषत काट लेगा तथा इसे चलान/रिसीट प्रस्तुत करने तक रखे रहेगा।

108.0 कॉन्ट्रेक्टर स्वामी को इंडेमनिफाइ (क्षतिपूर्ति) करेगा

कांट्रेक्टर स्वामी तथा उनके कार्यालय सदस्य, कर्मचारी , प्रभारी अभियंता तथा उनके कर्मचारी के हित को , सभी तरह के प्रोसिडिंग, दावा , डिमांड, खर्च , लागत से तथा जो भी धारा 105.00 के तहत एराइज कर जाय, के विरुद्ध सुरक्षा करेगा। ये सभी षर्तें कॉन्ट्रेक्टर के विफलता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिस्थिति में भी कॉन्ट्रेक्टर स्वामी को उपरवर्णित परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। वर्कमेन तथा अन्य व्यक्ति के दुर्घटना या घायल होने पर स्वामी किसी प्रकार का मांग या क्षतिपूर्ति का भुगतान कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

कांट्रेक्टर तथा सब कांट्रेक्टर के नियुक्ति के कम में कांट्रेक्टर, स्वामी को सभी तरह के क्षति पूर्ति तथा सभी दावा , क्षति , प्रोसिडिंग , लागत , चार्ज तथा खर्च से तथा इस तरह के संबंध से आलोक में, से

पपद्ध **दावा तथा क्षति का भुगतान**

सभी तरह के दावा या माँग तथा उपयुक्त अन्य माँग कॉन्ट्रेक्टर के जिम्मे लगाया जाएगा तथा इस खर्च के लिए कॉन्ट्रेक्टर को यह स्वतंत्रता नहीं होगी कि वो स्वामी को भुगतान करने के लिए कहे।

पपप) खण्ड 12 के प्रावधान के तहत सभी स्थितियों में, वर्कमेन कंपंसेषन एक्ट, 1923 के उपखण्ड क) के अंतर्गत या वर्कमेन के लिए लागु होने वाले प्रावधान या किसी अन्य एक्ट के लिए, स्वामी को कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कार्य पर नियुक्ति किए गए वर्कमेन– के आपुर्ति राषि को भुगतान करेगा तथा कॉन्ट्रेक्टर से वसूल करेगा तथा उपयुक्त एक्ट के खण्ड 12 के उपखण्ड 2 के तहत स्वामी को कॉन्ट्रेक्टर से उक्त राषि वसूलने की स्वतंत्रता होगी। यह राषि कॉन्ट्रेक्टर के सेक्युरिटी डिपोजिट या अन्य बकाया विपग से किया जाएगा।

109.0 काम करने वालों के लिए स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था

वर्कर (कार्यकर्ता) के स्वास्थ्य तथा सफाई की व्यवस्था (जो स्थानीय सेनिटरी अधिकारी के द्वारा तथा समय–समय पर बनाए गए नियम, एग्रीमेंट तहत कार्य संपादन के कम में), कॉन्ट्रेक्टर को करना होगा।

लेबर कॉलोनी में सभी तरह भी आवष्यक सुविधा जैसे बिजली, पानी तथा अन्य सेनिटरी तथा स्वास्थ्य सुविधा कॉन्ट्रेक्टर को उपलब्ध कराना होगा। कॉन्ट्रेक्टर , लेबर को लेबर कॉलोनी से कार्यस्थल तक तथा कार्यस्थल से लेबर कॉलोनी तक पहुँचाने के लिए , सतही (भू)यातायात उपलब्ध कराएगा।

110.0 <u>निर्णय</u>

110.1सभी विवाद जो पार्टी के बीच कार्य संपादन या रख–रखाव के क्रम में उत्पन्न होगा उसका समाधान सदयतापूर्वक निम्न प्रकार से होगा।

क) पहली अवस्था में प्रभारी अभियंता द्वारा

ख) दूसरी अवस्था में एन०आर०एल० के चीफ एक्जेक्यूटिव द्वारा तथा

(ग) तीसरी अवस्था में आई. सी.ए. (इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेषन) द्वारा निम्न धारा के अंतर्गत किया जाएगा :–

सभी विवाद या मतभेद जो भी निर्माण से संबंधित कार्यों को लेकर उत्पन्न हो (अर्थ और परिचालन या कॉन्ट्रेक्ट के प्रभाव या एकरारनामा में टूट) तो उसका आरबिट्रेषन (मध्यस्थता) इंडियन काउंसिल ऑफ आरबिट्रेषन के नियम के तहत सेटल किया जाएगा तथा इस अवार्ड को मानने के लिए दोनों पार्टी को बाध्यता होगी।

110.20 सरकारी विभाग तथा दूसरे के बीच विवाद का समझौता (सेटलमेंट) तथा एक सरकारी विभाग तथा लोक– उपक्रम (पब्लिक इंटरप्राइजेज) तथा दूसरे के बीच का आरबिट्रेषन इस प्रकार होगाः–

पार्टियों के बीच किसी तरह की विवाद या मतभेद की स्थिति में , इसका सौहार्द्रपूर्ण समझौता आपसी संपर्क या सरकार के षक्तिप्रदत्त कार्यालय के माध्यम से होगा। यदि इस प्रकार के समझौते (रिजोल्युषन) संभव नहीं हो तो ऐसी स्थिति में इस अनसुलझे विवाद या मतभेद को आरबिट्रेषन के लिए आरबिट्रेटर के पास भेज दिया जाएगा। आरबिट्रेटर का नोमिनेषन सचिव , लिगल अफेयर्स विभाग (लॉ सचिव) के द्वारा कार्यालय मेमोरेंडम सं. 55/3/1/75– सी फी , दिनांक 19 दिसंबर ,1975 (जो मंत्रिमंडल सचिवालय केबिनेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा निर्गत है) के संबंध में किया जाएगा। यह नियम समय समय पर परिवर्तित भी होते रहते हैं ताकि यह परिवर्तन तदनुसार लागू होंगे । आरबिट्रेषन एक्ट ,1940 (1940 का 10) इस धारा(क्लाउज) के अंतर्गत लागू नहीं होंगे। आरबिट्रेषन के द्वारा दिये गये अवार्ड सभी पार्टियों पर लागू होगा । यदि कोई पार्टी इस अबार्ड से भी संतुश्ट नहीं होगे तो वैसी स्थिति में इसे ठुकराते हुए इस अबार्ड को सुधारने हेतु लॉ सेक्रेटरी (कानून सचिव) के पास आबेदन कर सकता है तथा उनका निर्णय सभी पार्टियों को मानने की बाघ्यता होगी तथा अंतिम होगा ।

<u>111.0 ज्युरिसडिक्षन (अधिकार क्षेत्र)</u>

कॉन्ट्रेक्टर का परिचालन भारत में प्रचलित कानून के अनुसार होगा । कॉन्ट्रेक्ट के संपादन के फलस्वरूप उत्पन्न विवाद या मतभेद हो जाने पर कॉन्ट्रेक्टर का इसको गुआहाटी न्यायालय में अपील कर सकता है। केवल गुआहाटी न्यायालय के पास ही इसका निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा ।

<u>खण्ड–9</u>

<u>सुरक्षा कोड</u>

<u>112.0 सामान्य</u>

कॉन्ट्रेक्टर सुरक्षित निर्माण पद्धति का प्रयोग करेंगे । खतरनाक तथा असुरक्षित कार्य की स्थिति में स्वामी द्वारा बनाये गये सुरक्षा नियम को प्रयोग करेंगे । निर्माण के पहले ,कॉन्ट्रेक्टर को सूचना तथा मार्गदर्षन हेतु स्वामी द्वारा तैयार किया गया सुरक्षा कोड (यदि तैयार हो गया हो तो) दिया जायगा ।

112.1 फस्ट एड तथा औद्योगिक इनजुरी

1. कंट्रेक्टर अपने कर्मचारी तथा सबकंट्रेक्टर के लिए फस्ट एड का रखरखाव करेगा ।

2.कॉन्ट्रेक्टर एम्बुलेंस सेवा का भी बाहरी ब्यवस्था करेगा ताकि इंडस्ट्रियल इंजुरी की स्थिति में उसका इलाज कराया जा सके।

3.सभी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनजुरी का स्वामी को षीघ्र प्रतिवेदन देगा तथा कॉन्ट्रेक्टर इलाज हेतु उठाये गये कदम से स्वामी को सूचित करेगा ।

113. सुरक्षा अधिनियम

1.0 सभी मजदूर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (जो एकरारनामा के तहत कार्य संपादन हेतु) कॉन्ट्रेक्टर द्वारा कार्य पर लगाया जाता है, उसका सुरक्षा, सीपीडब्लुडी का सुरक्षा कोड, इंडस्ट्रियल स्टैण्डर्ड इंस्टीच्युषन, इलेक्ट्रीसिटी एक्ट, माइन एक्ट तथा अन्य जो लागू हो, के अनुसार करना होगा।

2.0 स्वामी द्वारा प्रतिपादित अग्नि तथा सुरक्षा अधिनियम कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा। कार्य आरम्भ करने के पूर्व कंट्रेक्टर को सेफटी इंजीनियर या प्रभारी अभियंता से सम्पर्क करना चाहिए तथा स्वामी के संतुश्टि स्तर तक पालन करना चाहिए । कोई हानि या क्षति जो आग के कारण हुआ हो तो उसका क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रेक्टर करेगा।

114.0 सामान्य नियम

बैटरी एरिया ,टैंक फार्म या डॉक लिमिट में घुम्रपान करना वर्जित होगा । धुम्रपान नहीं नियम को अबहेलना करनेवाले को तुरत कार्य से हटाया जायगा ।

115.0 कंट्रेक्टर का घेरा

1 कंट्रेक्टर कार्य संपादन तथा सुरक्षा के लिए घेरा लगायगा तथा उसका रखरखाव करेगा

(क) खुदाई

(ख) हवाईस्टिंग एरिया

(ग) कंटेक्टर या स्वामी द्वारा खतरनाक क्षेत्र घोशित

(घ) स्वामी का पूर्व से स्थित सम्पति जो कंट्रेक्टर के कार्य से क्षति हो सकता है ।

(च) रेल रोड अनलोडिंग स्थान

2 कंटेक्टर तथा सबकंट्रेक्टर स्वामी द्वारा व्यवहार कियेव घेरा को पहचानेगा तथा उसको मानेगा ।

3 घेरा तथा खतरनाक क्षेत्र जो सामान्य रास्ता में नहीं हो उसका घेरा रात्रि में फलेष लालटेन से होगा ।

116.0 स्केफोल्डिंग

1 उचित स्केफोल्डिंग का व्यवस्था वर्कमैन के लिए होना चाहिए जो सुरक्षापूर्वक जमीन से नहीं किया जा सकता हो या सोलिड तथा फार्म स्थान पर नहीं किया जा सकता हो। इसका अपवाद वही होगा जो सीढी से किया जा सके । जब सीढी का प्रयोग होता है तथा अतिरिक्त मजदूर रखना पडता हो तथा सामान ढुलाता हो तो सीढी पर उचित फुटहोल्ड तथा हैंडहोल्ड लगाया जायगा तथा सीढी का झुकाव 4 में 1 (चार में एक) से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2 स्केफोल्डिंग या स्टेजिंग , जो धरती या फर्ष से 4 मी से अधिक हो , के लिए गार्ड रेल होना चाहिए , बोल्टेड होना चाहिए , ब्रेस्ड होना चाहिए (अन्यथा सतह से एक मीटर उँचा पर ही रिटार्ड कर देना चाहिए) । इस स्केफोल्डिंग का इस तरह का स्टेजिंग तथा फास्टनिंग किया जायगा कि वह अपने जगह से खिसक नहीं सके ।

3 वर्किंग प्लेटफार्म ,गैंगवे तथा स्टेयरवे का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि उसका सैग (ढीला पडना) असमान रूप से नहीं हो तथा यदि इन सभी का उँचाई 4 मीटर से ज्यादा हो तो इसका ठोस रूप से फास्टनिंग (कसाई) तथा चौडाई वगैरह होना चाहिए ताकि यह पूर्ण सुरक्षित रहे जैसा कि पारा 2 में बताया गया है ।

4 मकान के फ्लोर में ओपनिंग या वर्किंग प्लेटफार्म में ऐसा व्यवस्था किया जायगा कि कार्य करने वाले आदमी गिरे नहीं । इसके लिए कम से कम एक मीटर उँचाई का घेरा या रेलिंग लगाया जायगा ।

5 सभी वर्किंग प्लेटफार्म तथा स्थान पर सुरक्षित पहुंचने का व्यवस्था किया जायगा । सभी सीढी को फिक्सड किया जायगा । कोई भी पोर्टेबुल सीढी 9 मी से अधिक लम्बा नहीं होना चाहिए । रेल के बीच की चौडाई 30 सेमी से कम किसी भी हाल में (3 मी तक की सीढी के लिए) नहीं रखा जायगा। इससे लम्बा सीढी के लिए प्रत्येक एक फीट की लम्बाई बढने पर 5मिमी की चौडाई में वृद्धि की जायगी । स्टेप का स्पेसिंग युनिफार्म होना चाहिए । विद्युत उपकरण के खतरा से सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था किया जाएगा।

स्थल पर सामानों का ढेर इस प्रकार किया जायगा ताकि जनता को यातायात में कोई असुविधा नहीं हो । कंट्रेक्टर स्टाफ तथा वर्कर की दुर्घटना से सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रकाष तथा फेंसिग का व्यवस्था करेंगे । घायल होने पर व्यक्ति के द्वारा मुकदमा करने पर उसका लिगल (कानूनी) खर्च भी कंट्रेक्टर उठाएंगे ।

117.0 खुदाई तथा ट्रेचिंग

1.2 मी या उससे गहरे सभी ट्रेचों में कम से कम एक सीढी 50 मी तथा उसके अंष के लम्बाई में लगाया जायगा । सीढी की लम्बाई ट्रेंच के तल पर रखने पर सतह से कम से कम एक मी उँची तक का होना चाहिए। 1.5 मी गहरे ट्रेंच के साइड सुरक्षा हेतु उसका कटाव स्टेप में

होगा या स्लोप में होगा तथा टीम्बर ब्रेसिंग किया जायगा ताकि साइड गिरे नहीं। खोदी गई मिट्टी किनारे से 1.5 मी या ट्रेंच से आधा (जो भी अधिक हो) से कम दूरी पर नहीं रखा जायगा । कटिंग सतह से तल की तरफ किया जायगा । किसी भी परिस्थिति में अंडरमाईनिंग या अंडरकटिग नहीं किया जायगा

118.0 <u>डिमोलिषन (ढहान) /जेनरल सेफ्टी</u>

1 डिमोलिषन का काम षुरू होने के पहले तथा डिमोलिषन के दरम्यान ।

(क) कार्यस्थल के समीप सभी सड.के तथा खुले स्थानों को या तो बंद कर दिया जायगा या सुरक्षित कर दिया जायगा ।

(ख) कोई इलेक्ट्रीक केबल्स या एपरेटस जो खतरनाक हो सकता है , को बिजली से चार्ज्ड नहीं छोड.ा जायगा ।

(ग) आग या विस्फोट या बाढ. की खतरा से सभी कर्मचारी को सुरक्षित रखे जाने हेतु सभी आवष्यक तथा व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे । फर्ष या छत को सामानों से ओवरलोड नहीं किया जायगा ताकि वे असुरक्षित नहीं हो सके ।

2 कार्य–स्थल पर लोगों की सुरक्षा हेतु सभी आवष्यक उपकरण रखे जाएंगे जो प्रभारी अभियंता को पर्याप्त लगे । उक्त उपकरण को व्यवहार में आने की व्यवस्था कंट्रेक्टर करेंगे।
(क) आषपाल्टिक पदार्थ को मिलाने वाले, सीमेंट तथा लाइम मोर्टर को बनानेवाले वर्कर को सुरक्षा फुटवियर तथा ग्लोब्स दिए जाएंगे।

(ख) व्हाइट वाषिंग तथा सीमेंट बैग को स्टैक करनेवाले तथा वैसा पदार्थ जो ऑख के लिए नुकसानदेह हो, से बचने के लिए वर्कर को ऑख की सुरक्षा हेतु गोगल्स दिया जाएगा।

(ग) वेल्डिंग तथा कटिंग कार्य करनेवाले को प्रोटेक्टिव फेष तथा आई षिल्ड, दस्ताना इत्यादि दिया जाएगा।

(घ) पत्थर तोड.नेवाले को प्रोटेक्टिव गोगल्स तथा कपड.ा दिया जाएगा तथा सुरक्षित अंतराल पर सीटिंग बदला जाएगा।

(च) सिवर तथा मेनहोल में काम करनेवाले को सुरक्षा की दृश्टि से, कॉन्ट्रेक्टर मैनहोल ढक्कन को हटा देगा। इसका वर्कर के घुसने से एक घंटा पहले वेंटिलेषन किया जाएगा तथा उस मेनहोल के चारों तरफ से उचित रेलिंग लगाया जाएगा तथा खतरे से बचाने हेतु लगाया जाएगा।

(छ) कंट्रेक्टर 18 वर्श से कम उम्र वाले लोगों को काम पर नहीं लगाएंगे तथा लिड वाले पदार्थों से पेंटिंग में औरत को काम पर नहीं रखे जाएंगे। यदि 18 वर्श से अधिक उम्र के लोगों को लिड पेंटिंग काम पर लगाया जाता है तो निम्न सावधानियॉ बरती जाएगी–

(1) पेस्ट या तैयार पेंट को छोड.कर अन्य लिड वाले पदार्थ व्यवहार में नहीं लाए जाऍगे।

(2) काम करनेवाले को एक उचित फेसमास्क दिया जाएगा जो उक्त स्प्रे के रूप में व्यवहार करता है या जिस सतह पर सुखा लिड पेंट का रब तथा स्क्रैप किया होता है।

(3) कॉन्ट्रेक्टर द्वारा वर्कर को ओवरल दिया जाएगा ताकि पेंटर इसे कार्य समाप्ति के बाद धो सके।

(पपप) ड्राइंग होने की संभावना वाले खतरनाक स्थान पर कार्य कराने पर सभी आवष्यक सुरक्षा उपकरण को तैयार अवस्था में रखना होगा ताकि समय पर बिना देर के षीघ्र लोगों को खतरा से निकाला जा सके तथा प्रथम सहायता षीघ्र किया जा सके।

(पअ) व्हाइस्टिंग मषीन तथा टेंकल्स (एटेचमेंट, एंकोरेज तथा सपोर्ट सहित) के लिए निम्न मानक होगा–

(क) यह अच्छे यांत्रिक निर्माण, पदार्थ तथा स्ट्रेंग्थ का होना चाहिए। इसमें कोई पेटेंट त्रुटि नहीं होना चाहिए तथा अच्छी वर्किंग स्थिति में होना चाहिए।

(ख) व्हाइस्टिंग में लगनेवाले रस्सी या लोअरिंग पदार्थ या लटकानेवाले साधन को टिकाउ गुण तथा पर्याप्त स्ट्रेंग्थ (मजबूती) वाला होना चाहिए तथा पेटेंट त्रुटि से मुक्त होना चाहिए।

(ग) प्रत्येक क्रेनचालक या व्हाइस्टिंग ऑपरेटर को पर्याप्त क्वालिफिकेषन होना चाहिए तथा उम्र 21 वर्श से कम नही होना चाहिए (प्रभारी को) जो ह्वाइस्टिंग मषीन (स्केफाल्डिंग सहित) या जो सिग्नल देने का कार्य करता हो।
(घ) प्रत्येक व्हाइस्टिंग मषीन के लिए तथा प्रत्येक चेन रिंग हूक का षेकल, स्वीवेल और पुली ब्लॉक व्हाइस्टिंग में लगना चाहिए या लोअरिंग में (सस्पेंषन के रूप) लगना चाहिए तथा उस पर सुरक्षित लोड ही देना चाहिए। इस प्रकार के सभी मषीन में सुरक्षित लोड का संकेत लगा हुआ, निष्चित होना चाहिए। किसी भी हाल में इस मषीन या गियर बॉक्स पर सुरक्षित लोड से अधिक नहीं लगाना चाहिए अपवादस्वरूप टेस्टिंग।

(च) विभागीय मषीन की स्थिति में, प्रभारी अभियंता सुरक्षित लोड का निर्धारण करेंगे। कंट्रेक्टर के मषीन की स्थिति में वही प्रभारी अभियंता को इसकी सूचना देंगे।

(5) मोटर्स, गियर्स, ट्रांसमिषन लाइन्स, इलेक्ट्रिक राइटिंग और अन्य खतरनाक ह्वाइस्टिंग (कल–पूर्जे, एपलायसेंज) से ठोस सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ह्वाइस्टिंग एपलिएंसेज को इस प्रकार रखना चाहिए ताकि उसमें लोड से संबंधित निम्नतम घटना हो। सस्पेंडेड लोड से सुरक्षा के लिए प्रचुर सावधानी बरतनी चाहिए। जब वर्कर   इलेक्ट्रिक इंस्टौलेषन के साथ काम करे तब इनसुलेटिंग मैट्स, वियरिंग एपरेल , दस्ताना, स्लीब्स और बुट्स जो आवष्यक हो मिलना चाहिए। जो सामान बिजली के सुचालक हो जैसे –रिंग्स, घडी, चाभी या अन्य पदार्थ का उपयोग वर्कर को नहीं होना चाहिए।

(6) सभी स्केफाल्ड्स सीढी तथा अन्य सुरक्षा उपकरण को सुरक्षित स्थिति में रखा जाएगा तथा उसे अच्छी स्थिति में रहने पर नहीं हटाया जाएगा। कार्यस्थल पर प्रचुर वाषिंग सामग्री उपलब्ध रहना चाहिए।

(7) सभी सुरक्षा प्रावधान तथा सावधानी को नोटिस बोर्ड पर कार्यस्थल पर लगाना चाहिए तथा सुरक्षा पदाधिकारी का नाम भी बोर्ड पर रहना चाहिए।

(8) सुरक्षा सावधानी से संबंधित नियम अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए।
कान्ट्रेक्टर द्वारा की गई व्यवस्था को कल्याण पदाधिकारी तथा प्रभारी अभियंता प्रषासन के सेफ्टी इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि के लिए खुला रखना चाहिए।

(9) कान्ट्रेक्टर को अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए ताकि इससे सड.क या ट्रैफिक, फुटपाथ वगैरह में बाधा न हो। इसके अतिरिक्त कान्ट्रेक्टर को सी. पी. डब्लू.डी. सेफ्टी कोड तथा इण्डियन स्टैन्डर्ड सेफ्टी कोड के सेफ्टी कोड प्रावधान को पालन करना चाहिए।

119.0 ज्वलनषील गैस के व्यवहार में सावधानी

ज्वलनषील गैस सिलिण्डर/ज्वलनषील तरल पदार्थ/ पेंट इत्यादि के व्यवहार में कॉन्ट्रेक्टर को सावधानी बरतना होगा तथा स्वामी के फायर आथेरिटी के सलाह को पालन करना होगा ।

120.0 अस्थायी दहनषील सरंचना

कार्य–स्थल के पास अस्थायी दहनषील संरचना का निर्माण नहीं किया जायगा ।

121.0 आग से सावधानियॉ

प्रभारी अभियंता के अनुषंसा के अनुसार संवेदक को कार्यस्थल पर अग्निषामक /फायर बकेट और ड्रम रखना होगा ां उसे ज्वलनषील गैस सिलिण्डर / ततरल पदार्थ 2 पेंट के व्यवहार में पूरी सावधानी बरतनी होगी ।

122.0 विस्फोटक

प्रभारी अभियंता के लिखित अनुमति के बिना कंट्रेक्टर कोई विस्फोटक सामग्री कार्य– स्थल पर नहीं रखेंगे । यदि विस्फोटक की आवष्यकता कार्य के लिए हो तो उसे नियमतः विषेश मैगजीन में अपने खर्च पर रखना होगा । इसके भंडारण के लिए तथा व्यवहार करने के लिए कंट्रेक्टर को लाइसेंस लेना होगा तथा यदि कोई लापरवाही बरतता है तो उस हानि /क्षति से स्वामी को सुरक्षित रखेगा ।

123.0 माइन्स एक्ट

123.1 सेफटी कोड का पालन अपने खर्च्र पर कंट्रेक्टर को करना होगा ं। मजदूर को उपर्यक्त सुरक्षा उपलब्ध करायगा । ऐसा नहीं करने पर स्वामी ऐसा करने के लिए अधिकृत होगा तथा इसका भरपाई कंट्रेक्टर से कर लेगा।

123.2 सेफटी कोड के पालन में विफलता हाने पर या औरत मजदूर जो कार्य पर रखे जाएंगे ,नहीं प्रदान करने पर कंट्रेक्टर को 50.00रूपया प्रत्येक डिफाल्ट के लिए जमा करना होगा । निरीक्षण पदाधिकारी या प्रभारी अभियंता के प्रतिनिधिका प्रतिवेदन पर आधारित प्रभारी अभियंता का निर्णय इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारी होगा तथा क्षति का वसूल कंट्रेक्टर के विपत्र से कर लिया जायगा । इसमें माइंस एक्ट 11952 के प्रावधान को ध्यान में रखा जायगा ।

124.0 जगह की सुरक्षा

कंट्रेक्टर यह सावधनी रखेगा कि काम पर लगे उसके आदमी आसपास के संपति , जमीन , आवास तथा षांति की रक्षा करे तथा गैरकानूनी आचरण नहीं करे । यदि कोई अव्यवस्था फैलती है तो कंट्रेक्टर के खर्च पर पुलिस बल की व्यवस्था कार्यस्थल तथा उसके आसपास की जायगी । यदि स्वामी भुगतान करेगा तो कंट्रेक्टर से वसुली कर लेगा ।

125.0 छुआछुत की बीमारी का फैलाव

कंट्रेक्टर अपने मजदूर तथा उसके परिवार को वहॉ (कैम्प) से हटा देगा तथा उसका टीकाकरण या अन्य उपाय प्रभारी अभियंता के सलाह के अनुसार करना होगा ं।
कॉलरा ,प्लेग या अन्य छुआछुत की बीमारी फैलने पर कंट्रेक्टर ग्रसित व्यक्ति कें हट (झोपरी) ,विछावन , कपरा तथा अन्य व्यवहारों में आनेवाले सामानों को जला देगा तथा षीघ्र नया हट अच्छे जगगह पर प्रभारी अभियंता के आवष्यकतानुसार तैयार कर देगा । कंट्रेक्टर के असफल होने पर स्वामी इसे तैयार कर देंगे तथा कंट्रेक्टर से उसकी राषि वसुल लिया जायगा ।

126.0 नषीले पदार्थ का प्रयोग

स्पीरिट या अन्य नषीले पेय पदार्थ कका कैम्पस या मकान जो कंट्रेक्टर के नियंत्रण में हो , में अनाधिकृत बिक्री से मना करेगा । कंट्रेक्टर इस पर अपना प्रभाव और अधिकार का उपयोग पालन कराने में करेगा ं।